इकाई 1 परिवार का अर्थ एवं प्रकार

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 परिवार - अर्थ एवं परिभाषा

1.4 परिवार की प्रमुख विशेषताएं

1.5 परिवार के कार्य

1.6 परिवार के प्रकार

1.7 सारांश

1.8 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

परिवार मानव समाज की सबसे छोटी एवं सार्वभौमिक इकाई है। परिवार शब्द लैटिन भाषा के शब्द ‘फेमुलस’से उत्पन्न हुआ है। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें पति – पत्नी तथा बच्चों को शामिल किया जाता है, जिसमें दूसरों के प्रति अपेक्षाएं होती हैं। परिवार एक समूह, संस्था तथा सामाजिक इकाई है। परिवार स्त्री पुरूष के परस्पर विवाह सम्बन्ध से बनता है। परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। परिवार के सदस्य आपस में भावनाओं से बंधे होते हैं। इस इकाई में आप परिवार के अर्थ, परिवार के प्रकार और परिवार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे|

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप-

-परिवार के अर्थ को समझ पायेंगे|

- परिवार की विशेषताओं को समझ पाएंगे|

- परिवार के विभिन्न प्रकारों से अवगत हो पाएंगे|

1.3 परिवार – अर्थ एवं परिभाषा

परिवार मानव समाज की सबसे छोटी एवं सार्वभौमिक इकाई है। मनुष्य के सभी समूहों में से परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक हैं। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Family) 'फैमिली' अर्थात् परिवार शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'फेमुलस'से उत्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात् माता-पिता, सन्तान, यहां तक कि नौकर तथा गुलाम भी आ जाते हैं।परिवार को किसी एक परिभाषा में बांधना अत्यन्त कठिन है।

1. आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार

परिवार पति और पत्नी की सन्तान रहित या सन्तान सहित या केवल पुरूष या स्त्री की बच्चों सहित कम य अधिक स्थायी समिति है।

2. इलियट तथा मैरिल के अनुसार

परिवार को पति- पत्नी तथा बच्चों की एक जैविकिय ईकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक सामाजिक संस्था भी है और एक सामाजिक संगठन भी है जिसके द्वारा कुछ मानवीय अ ावश्यकाताओं की पूर्ति की जाती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि –

परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें पति – पत्नी तथा बच्चों को शामिल किया जाता है, जिसमें दूसरों के प्रति अपेक्षाएं होती हैं। परिवार एक समूह, संस्था तथा सामाजिक इकाई है।

1.4 परिवार की प्रमुख विशेषताएं

1. यौन सम्बन्धों की पूर्ति (Mating relationship) : परिवार स्त्री पुरूष के परस्पर विवाह सम्बन्ध से बनता है। विवाह के पश्चात समाज, स्त्री पुरूष को यौन सम्बन्ध बनाने की स्वीकृति प्रदान करता है। विवाह परिवार निर्माण की प्रथम आधारशिला है। अत: कहा जाता है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार में होती है।
2. सामान्य निवास (Common Residence) : परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। प्रत्येक परिवार का एक निवास स्थान होता है जहॉ पर रहकर पति-पत्नी बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करते हैं।

3. वंश नाम की व्यवस्था -प्रत्येक परिवार का अपना वंश नाम या गोत्र होता है जों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानान्तरित होता जाता है। वंशनाम मातृवंशीय या पितृवंशीय हो सकता है।
4. सीमित आकार – परिवार का आकार छोटा होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। परिवार की सदस्यता केवल जन्म, विवाह तथा गोद लेने से ही मिलती है। इसी कारण परिवार का आकार छोटा होता है।
5. भावनात्मक आधार -परिवार के सदस्य आपस में भावनाओं से बंधे होते हैं। सभी सदस्यों में स्वार्थ रहित प्रेम, स्नेह और वात्सल्य पाया जाता है।
6. आर्थिक व्सवस्था य्म्बवदवउपबे च्तवअपेपवदद्धरू प्रत्येक परिवार को अपने सदस्यों के पालन पोषणए वृद्धि और विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

1.5 परिवार के कार्य

परिवार के कार्यों को हम दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं

1. मौलिक एंव सार्वभौमिक कार्य
2. परम्परागत कार्य

1. मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य

ये मौलिक कार्य सभी देशों जातियों प्रजातियों और विभिन्न प्रकार के परिवारों में समान रूप में पाया जाता है इन्हे हम जैवकीय कार्य भी कहतें हैं। ये कार्य निम्नलिखित प्रकार के होते है।

1. यौनइच्छाओं की पूर्ति- विवाह बंधन में बंधने के बाद अपने सदस्यों को यौन सम्बन्धों की मान्यता प्रदान करता है। बिना विवाह के यौन सम्बन्धों को हमारा समाज मान्यता नहीं देता। और उसे उचित नहीं समझा जाता।
2. सन्तानोंत्पति - बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना मानव समाज की निरन्तरता और अस्तित्व को बनाए रखता है।
3. सुरक्षा - मानव एक ऐसी प्राणी है जिसे जन्म से लेकर काफी वर्षों तक किसी सहारे की आवश्यकता होती है। अगर यह सहायता न मिलें तों उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

2.परम्परागत कार्य- परम्परागत कार्य वे कार्य होते हैं जो विभिन्न समाजों में विशेष प्रथाओं या मान्यताओं पर आधारित होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए कुछ विशेष कार्यों का निष्पादन करता है जो कि निम्नलिखित है-

1. आर्थिक कार्य
   उत्पाद इकाई
   श्रम विभाजन
2. मनोविज्ञानिक कार्य
   मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना
   व्यक्तित्व का विकास
3. समाजिक कार्य
   सामाजिकरण
   सामाजिक नियंत्रण
4. धार्मिक कार्य

1.6 परिवार के प्रकार

परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है।

सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार

1. मातृसत्तात्मक परिवार- इस प्रकार के परिवर की मुखिया माता या पत्नी होती है। सम्पत्ति का अधिकार माता द्वारा पुत्र या पुत्रियों को प्राप्त होता है। आसाम मे खासी एवं मालाबार के नायर आदि में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
2. पितृसत्तात्मक परिवार- इसमें परिवार की सत्ता पिता अथवा पुरूष के हाथ में होत है। इस प्रकार के परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से चलता है।

निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार

1. पितृ स्थानीय परिवार- विवाह के पश्चात मुख्यतः पत्नी, पति के परिवार के साथ निवास करती है।

2. मातृ स्थानीय परिवार- इस प्रकार के परिवार में पतिए पत्नी के परिवार के साथ आकर रहता है। ये परिवार खासी नायर एव गारों जनजाति मे पाए जाते हैं।

वंश के आधार पर परिवार के प्रकार

मातृवंशीय परिवार एवं पितृवंशीय परिवार

संरचना एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार- परिवार की सरंचना के आधार पर परिवार को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

a. एकाकी या केन्द्रीय परिवार
b. संयुक्त परिवार
c. विस्तृत परिवार

1.7 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि परिवार मानव समाज की सबसे छोटी एवं सार्वभौमिक इकाई है। मनुष्य के सभी समूहों में से परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक हैं। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Family) 'फैमिली' अर्थात् परिवार शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'फेमुलस'से उत्पन्न हुआ है। परिवार स्त्री पुरूष के परस्पर विवाह सम्बन्ध से बनता है। विवाह के पश्चात समाज, स्त्री पुरूष को यौन सम्बन्ध बनाने की स्वीकृति प्रदान करता है। परिवार का आकार छोटा होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। परिवार की सदस्यता केवल जन्म, विवाह तथा गोद लेने से ही मिलती है। सत्ता के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर परिवार, संरचना एवं सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के विभिन्न प्रकार होते हैं|

निबंधात्मक प्रश्न

1.परिवार के विभिन्न प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिये?

इकाई 2-परिवार की भूमिका

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य
2.3 परिवार पर प्रभाव
2.4 अभिभावकों पर विकलांगता का प्रभाव
2.5 पुनर्वास
2.6 परिवार की भूमिका
2.7 सारांश
2.8 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

दिव्यांग बच्चा होने पर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है| विकलांग बच्चों के जन्म के प्रति माता-पिता की प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है। वे सदमे, अविश्वास की भावनाओं के रूप में इनकार, क्रोध और अपराध या अवसाद में आ जाते हैं| बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों के जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। इतिहास और संस्कृति के संवर्धन एवं अस्तित्व के लिए के परिवार समाज की प्राथमिक एजेंसी रहा है।प्रस्तुत इकाई में हम परिवार पर विकलांगता का प्रभाव एवं उनकी भूमिका का अध्ययन करेंगे|

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

-परिवार पर विकलांगता के प्रभाव जान पाएंगे|

-अभिभावकों पर विकलांगता के प्रभाव जान जायेंगे|

-परिवार की भूमिका से अवगत हो सकेंगे|

2.3 परिवार पर प्रभाव

परिवार एक व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक इकाई है| परिवार को व्यवसाय एवं रोजगार द्वारा आय पैदा करनी चाहिए, उसके सदस्यों और घर को बनाए रखना और एक दूसरे से प्यार करना और उसे प्यार करना चाहिए और यह देखना होगा कि बच्चों का सामाजिक मानदंड और शिक्षित किया जाता है।|दिव्यांग बच्चा होने पर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है| हालांकि, दिव्यांग बच्चों पर हुए कई शोध-अनुसंधान में, कोई आनुवांशिक कारण नहीं पहचाना जा सका है। इसके कारण-

पूरा परिवार प्रभावित होता है|
दिव्यांग बच्चा होने पर माँ को अपराध भावना होती है|

वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है|

वित्तीय बोझ अधिक हो जाता है|

अभिभावकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है|

2.4 अभिभावकों पर विकलांगता का प्रभाव

विकलांग बच्चों के जन्म के प्रति माता-पिता की प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है। माता-पिता की 3 से 7 भावनात्मक अवस्थाएं आमतौर पर पहचान दी जाती हैं। वे सदमे, अविश्वास की भावनाओं के रूप में इनकार, क्रोध और अपराध या अवसादमें आ जाते हैं|अभिभावकों पर विकलांगता का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है-

१.असमंजस एवं नाखुश – प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के दिव्यांग होने का पता चलने पर वे अप्रसन्न होते हैं|बच्चे की शिक्षा पालन पोषण की उचित जानकारी ना मिलने पर असमंजस की स्थिति बनी रहती है|

२.भावनात्मक प्रतिक्रिया- अभिभावक समय समय पर अपने को उदास एवं चिंताग्रस्त पाते हैं|आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न होते हैं|

३.मानसिक चिंताएं- अभिभावकों को कई तरह की मानसिक चिंताएं होने लगती हैं\ जैसे- बच्चे के भविष्य, विवाह, व्यवसाय प्रशिक्षण को लेकर|

४.मनोशारीरिक समस्यायें- अभिभावकों में अत्यधिक चिंता, कुंठा, रक्तचाप, अनिद्रा, सिरदर्द इत्यादि को लेकर |

५.व्यवसाय सम्बन्धी समस्याएं- अभिभावकों को दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कई बार अपने काम या नौकरी को छोड़ना या स्थानांतरण कराना पड़ता है|कार्य समय में सामंजस्य बनाना पड़ता है|

६. कई बार दिव्यांग बच्चे के व्यवहार से शर्मिंदा होना पड़ता है|

७.समाज से अलगाव|

2.5 पुनर्वास

पुनर्वास में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समन्वित उपायों, चिकित्सा सेवाओं, शिक्षा, व्यवसायिक और सामाजिक का एक समूह शामिल है और समुदाय में एक स्वतंत्र जीवन प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च संभव प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य और वैज्ञानिक अध्ययनों के संदर्भ में हम देखते हैं कि अबो अली सिना अपने मरीजों और ग्राहकों के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनर्वास हेतु भौतिक चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया है। वह रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए गर्मी का सेंकन या मालिश करते।

मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र , बाल अधिकार सम्मेलन और संगठन, सम्मेलनों, सिफारिशों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के बच्चों (यूनिसेफ़) और अन्य एजेंसियों के प्रस्तावों में व्यक्तियों के पुनर्वास को प्रासंगिक माना जाता है

2.6 परिवार की भूमिका

इतिहास और संस्कृति के संवर्धन एवं अस्तित्व के लिए के परिवार समाज की प्राथमिक एजेंसी रहा है। हालांकि परिवारों के रूप अलग-अलग हैं, पर कार्य सार्वभौमिक हैं। बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों के जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। वे विकास की समस्या को पहचानने वाले पहले लोग हैं, और उन्हें अपनी चिंता का तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक कि उन्हें संतोषजनक निदान न मिल पाये और उनके बच्चे के लिए उचित सेवाएं मिलें या विकसित करें।

परिवार की प्रमुख जिम्मेदारियों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:-

1. आर्थिक जिम्मेदारियों के लिए आय उत्पन्न करने और जीवन व्यय और संबंधित भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू और स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी।

3. खाली समय का मनोरंजक क्रियाकलापों द्वारा उपयोग|

4. प्रत्येक परिवार के सदस्य की अपनी भावनाओं को संबद्ध कर आत्म-पहचान बढ़ाने की जिम्मेदारी

5. प्रेम, देखभाल, भावनात्मक भावनाओं और सहभागिता दिखाने और साझा करने के लिए स्नेही जिम्मेदारी।

6. सामाजिक कौशल विकसित करने और पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के लिए समाजीकरण की जिम्मेदारी।

7. स्कूली शिक्षा और कैरियर के चयन और तैयारी में सहायता और समर्थन करने के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक जिम्मेदारी।

2.7 सारांश

परिवार एक व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक इकाई है| परिवार को व्यवसाय एवं रोजगार द्वारा आय पैदा करनी चाहिए, उसके सदस्यों और घर को बनाए रखना और एक दूसरे से प्यार करना और उसे प्यार करना चाहिए| दिव्यांग बच्चा होने पर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है| साहित्य और वैज्ञानिक अध्ययनों के संदर्भ में हम देखते हैं कि अबो अली सिना अपने मरीजों और ग्राहकों के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनर्वास हेतु भौतिक चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया है। अभिभावकों पर विकलांगता के प्रभाव पड़ते हैं|और उनकी दिव्यांग बच्चों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है|

2.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. परिवार एवं अभिभावकों पर दिव्यांग बच्चों के जन्म लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इकाई-3 पुनर्वास में पारिवारिक प्रशिक्षण एवम् सहभागिता (TRAINING AND INVOLVING FAMILIES IN THE REHABILITATION PROCESS)

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 पुनर्वास
3.4 परिवार
3.5 परिवार के प्रकार
3.6 विकलांगता का परिवार पर प्रभाव
3.7 पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका
3.8 पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकोंको शामिल करना
3.9 अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक की भूमिका
3.10 अभिभावकों को शामिल करने में प्रशासन की भूमिका
3.11 अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
3.12 सारांश
3.13 शब्दावली
3.14 स्वमूल्यांकन हेतू प्रश्न
3.15 संदर्भ सूची

3.1 प्रस्तावना:

बच्चों के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है। बच्चों के लालन-पालन का पूरा कार्यभार परिवार पर ही होता है। आप जानते हैं एक परिवार बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्र भी होता है। माता को ''प्रथम गुरू'' का दर्जा प्राप्त है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है वह माता के अलावा अन्य पारिवारिक सदस्यों से भी बहुत कुछ सीखता है। परंतु जब बच्चा विकलांग हो तब परिवार की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ उस विकलांग बच्चे की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। जिस प्रकार बच्चे की परवरिश होती है उस पर उसकी उपलब्धियों तथा क्षमताओं का विकास होता है। परिवार इस बात में सहायक हो सकता है कि उनमें सही प्रवृति विकसित हों तथा उनकी अधिकतम क्षमता का विकास हो। हर बच्चे के पालन पोषण के लिए प्यार व स्नेह आवश्यक होता है तथा ऐसे बड़े लोगों की सलाह की आवश्यकता होती हैं जिन्हें बच्चों के बारे में ज्ञान होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा पुनर्वास में शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो

जाता है। प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात् आप परिवार की पुनर्वास में योगदान तथा भूमिका को जान सकेगें।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आपः-

1. परिवार के बारे में जानेगें,
2. पुनर्वास के अर्थ को समझ सकेगें,
3. पुनर्वास में परिवार के प्रशिक्षण व योगदान का समझेगें।

3.3 पुनर्वास ;

पुनर्वास सामान्य तौर पर योगीकरण के विस्तृत प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है। योगीकरण से तात्पर्य विशेष रूपरेखा के प्रयास से है। जिसमें जन्म से या प्रारम्भिक बाल अवस्था के दौरान विकलागों को सहायता देनी है। जहां पर विकासात्मक, परिपक्वता और सीखना या कार्य हर समय सामान्य जीवन से निम्न रहता है आतंरिक कारणों के कारण विकासात्मक अवधि के दौरान और परिणाम के तौर पर कार्य करने का स्तर सामान्य तक नहीं पहुंच पाता है। योगीकरण ;भ्ंइपसपजंजपवदद्ध को सामान्य तौर पर उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां व्यक्ति के जन्म से ही कुछ कमियां होती है उनकी सहायता की जाती है ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम विकास कर सके ताकि वह व्यक्ति जितना हो सके एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। अतः योगीकरण या पुनर्वास की आवश्यकता है विकलांग व्यक्ति के जीवन में सहायता प्रदान करना। विभिन्न व्यवसायियों की सेवाएं, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे विशेष शिक्षक चिकित्सीय सहायता, थैरेप्यूटिक सेवाएं या व्यवसाय स्थापित करना। ये सब योगीकरण और पुनर्वास का एक मुख्य भाग है। योगीकरण या पुनर्वास एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसकी विकलांग व्यक्ति के पूरे जीवन में आवश्यकता रहती है। पुनर्वास प्रक्रिया को हम निम्न चित्र से समझ सकते है

ASSESSMENT OBSERVATION ⟶ GOALS ⟶ PRACTICE ⟶ REVIW EDUCATION ⟶ ASSESSMENT OBSERVATION

स्वमूल्य□ंकन ह□तु प्रश्न:-

1. योगीकरण से क्या अभिप्राय है?
2. पुनर्वास के बारे में संक्षिप्त रूप से बताएं।

3ण्4 परिवार ;थ्ंउपसलद्ध

परिवार समाज की सबसे छोटी ईकाई है। जिसमें सदस्यों के रूप में दो विपरित लिंगों के व्यक्ति विवाह के द्वारा साथ रहते है। मनुष्य के समूहों में से परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। इसमें बच्चों सहित शामिल होते है। जिसमें एक दूसरे के प्रति आशाएं तथा अपेक्षाएं उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार बनती है।

परिभाषा ;क्मपिदपजपवदद्ध

बीगज और लॉके के अनुसार, ''परिवार व्यक्तियों का समूह है जिसमें की विवाह बन्धन से एक जुट होकर रहते है। वे खून का रिश्ता या अपना घर एक गृहस्थ परिवार का निर्माण करके पति-पत्नी, माता-पिता, बेटा-बेटी और भाई-बहन इत्यादि के रूप में भूमिका निभाते है। इस प्रकार अपनी सामान्य संस्कृति का निर्माण करते है।"

मेकाइवर के अनुसार, ''परिवार एक समूह है। यह वह समूह है जिसमें निश्चित यौन सम्बन्ध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना शामिल होता है।''

विशष□त□एं

1. यौन सम्बन्ध:-परिवार वैवाहिक संस्था के माध्यम से दम्पति में यौन सम्बन्धों का सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। यौन सम्बन्ध एक मुख्य कारक है जिसके द्वारा विवाह सम्पूर्ण माना जाता है या स्थापित होता है।
2. वंशनाम:-प्रत्येक व्यक्ति का अपना नाम व गोत्र होता है।
3. आर्थिक व्यवस्था:-सभी परिवारों को अपने भरण पोषण स्थायित्व और सन्तुलित वृद्धि के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती है। परिवार का मुखिया इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
4. सामान्य निवास:-परिवार को निवास के लिए घर व गृहस्थी की आवश्यकता होती है। बिना किसी स्थान के बच्चे पैदा करना और उनका लालन पालन करना कठिन हो सकता है।
5. सार्वभौमिकता:-परिवार सार्वभौमिक है। इसे व्यक्ति के जीवन में प्रथम सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना गया है। कोई भी संस्कृति, समाज, परिवार के एक या दूसरे स्वरूप् के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता।
6. भावनात्मक आधार:-परिवार मानव समाज की एक मूलभूत ईकाई है, जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु प्रयन्त भावनात्मक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करता है।
7. समाजिक नियमन:-परिवार विशेष तौर पर रीति-रिवाजों तथा नियमों से घिरा हुआ होता है। जिसका आसानी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

3.4 परिवार के प्रकार

1. केन्द्रीय परिवार;छनबसमंत थ्ंउपसलद्ध:-इस प्रकार के परिवार में एक समान गृह में वे दंपति रहते है जिनके बच्चे भी उनके साथ हो सकते है और नहीं भी हो सकते है। ऐसे परिवारों की मुख्य

विशेषताएं होती हैं जैसे घर के बड़ों का नियंत्रण विवाह के बाद बच्चों पर कम हो जाता है। महिलाओं को अधिक आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता मिल जाती है। घर पर भी स्त्रियों का अक्सर दबदबा होता है। परिवार का आकार छोटा रहता है। परिवार में किसी भी प्रकार के निर्णय पर बच्चों के विचारों का भी प्रभाव रहता है। परिवार में अगर विकलांग बच्चा है तो उसकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल की जाती है। परिवार का आकार छोटा होने के कारण निश्चित व संगठित प्रशिक्षण संभव होता है। परिवार के सदस्यों की सक्रिय भूमिका के कारण परिवार हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रभावपूर्ण ाा से कार्यान्वित किया जा सकता है। परंतु कई बार बच्चा नाभिक परिवार में काफी समस्याओं का भी सामना करता है। अभिभावकों के कार्यरत होने की स्थिति में अभिभावकों पर अधिक बोझ पड़ जाता है। और समस्या बहुत अधिक हो जाती है। गृहस्थ कार्य ठीक प्रकार से नहीं बंट पाता है। व्यक्तिगत, व्यवसायिक और भावनात्मक दवाब के कारण अभिभावकगण बच्चे को नज़र अंदाज कर देते है। परिवार को सहारा न मिलने के कारण उनमें अवसाद व नकारात्मकता का संचार हो सकता है। अभिभावकगण की मृत्यु के पश्चात् विकलांग व्यक्ति बच्चे के भविष्य को लेकर समस्या बन सकती है। ऐसे बच्चे अधिकतर विशेषज्ञों पर निर्भर रहते हैं या बच्चों को संस्थाओं में छोड़ देते है। ऐसे में बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे माता-पिताओं को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करने के साथ-साथउन्हें प्रशिक्षण देना भी आवश्यक हो जाता है।

2. संयुक्त परिवार ;श्रवपदज थ्ंउपसलद्धः-संयुक्त परिवार छोटे परिवारों का समूह है। यदि कुछ मूल परिवार एक साथ रहते हैं, उनमें निकट का नाता हो तथा साथ भोजन करते हा,ें एक आर्थिक ईकाई के रूप में कार्य करते हों, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवारों में एक ही रसोई होती है और एक ही धर्म और संस्कृति का पालन करते है। वे अपने विŸाीय स्त्रोत ऐसे बनाते हैं जिससे उनके परिवार की मांगे पूरी हो सकती है। ऐसे परिवार में पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है जिस पर बाकी के पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है तथा वह परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित निर्णय लेता है।

परिवार का आकार बड़ा होता है। इसमें संपति अविभाजित होती है। सभी सदस्य एक परिवार की तरह रहते है। समान धर्म का अनुसरण करते है। दोहरा अधिकार और उत्तरदायित्व होने के कारण परिवार में कमजोर व विकलांग व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ जाता है।

ऐसे परिवार में विकलांग बच्चों की देखभाल बराबर बंट जाने से परिवार के सदस्यों पर बोझ कम पड़ताहैं एक जुटता होने के कारण अभिभावकों में द्वंद्व या संघर्ष और वैवाहिक अनबन कम हो जाती है। आत्म सहायता का प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल और उनका सामान्यीकरण करना आसान हो जाता है। क्योंकि परिवार के विभिन्न सदस्य पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल हो जाते है। परंतु इस परिवार संरचना की कुछ कमियां भी है जैसे गलत धारणाओं, धार्मिक तल्लीनता और रीति-रिवाजों पर निर्भर रहने से वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रभावपूर्ण ाा से लागू नहीं हो पाते है। जगह की समस्या या कभी-कभी बार-बार ध्यान भंग हो जाने के कारण तीव्र संगठित और नियमित कार्यक्रम में रूकावटें आ जाती है।

व्यक्तिगत कार्यक्रम को लागू करने में भी कठिनाई आ जाती है। क्योंकि सभी सदस्य कार्यक्रम में अपने-अपने विचार डालना प्रारंभ करते है। और उसे उचित प्रकार से लागू नहीं कर पाते। परिवार की लापरवाह अभिवृति से पुनर्वास और व्यवसायिक स्थापन में देरी हो जाती है।

3. विस्तृत परिवार ;म्गजमदकमक थ्ंउपसलद्धः-ये नाभिक परिवार का विस्तृत रूप है। विस्तृत परिवार अकेले या घरों के समूह में रहते है। परिवार की सीमा में या घरों के समूह एक ही जगह में विस्तृत होते है। विस्तृत परिवार में माता-पिता तथा उनके बच्चे और माता-पिता के करीब के रिश्तेदार जो कि निरतंर परिवार के साथ रहते है। विस्तृत परिवार में धन की बचत होती है और श्रम विभाजन का लाभ होता ळें

3.5 विकलांगता का परिवार पर प्रभाव

विकलांग बच्चे के होने से परिवार में एक बहुत बड़ा तनाव आ जाता है और माता-पिता एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों को जीवन भर समझौते करने की आवश्यकता होती है। कई बार माता-पिता को पूरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन लगता है। घर में विकलांग बच्चा होने से परिवार में भाई बहनों और अन्य सदस्यों जैसे:- दादा-दादी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस भाग में सामान्यतः परिवार किस प्रकार प्रभावित होते है इस प्रकार की स्थितियों का सामना करते हुए माता-पिता को क्या लाभदायक लगेगा और क्या नहीं, तथा आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार के विशेषज्ञों से सम्पर्क करना चाहिए इस बात का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। परिवार में विकलांग बच्चा होने से निम्नलिखित प्रभाव या समस्याएं आती है:-

1. शिक्षा:-परिवार में विकलांग बच्चा होने से उसको शिक्षा देने की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जब तक पूरा परिवार उस बच्चे को अपना न लें तब तक माँ बाप को उसे शिक्षा देने की समस्या रहेगी।
2. हिचकिचाहट:-किसी भी परिवार में अगर कोई विकलांग बच्चा हो जाता है तो माता-पिता यही सोच कर उसे शिक्षा देने व आगे बढ़ाने में हिचकिचाहट करेंगें की हमारा बच्चा विकलांग है और लोग पता नहीं क्या सोचेंगे वो इस बात से डरते है।
3. ध्यान न देना:-अगर परिवार बड़ा हो या छोटा परन्तु अगर घर में कोई विकलांग बच्चा जन्म लेता है तो माता-पिता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपने काम में व्यस्त होने की वजह से अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते है। जिस कारण बच्चा सोचता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता है।
4. बेरोजगार:-जब परिवार में कोई विकलांग बच्चा जन्म लेता है उसका परिवार काफी तनाव में आ जाता है और उस बच्चे को शिक्षा देने में तथा उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने मेंहिचकिचाहट

व शर्म महसूस करते है। जिस कारण बच्चा बेरोजगार रह जाता है और आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है।

5. ैवबपंस प्दजमतंबजपवद में दिक्कत:-दिव्यांग बच्चे को माता-पिता समाज के लोगों से रू-बरू नहीं करवा पाते। उन्हें शर्म महसूस होती है। जिससे उसमें समाजिक कौशल विकसित नहीं हो पाते और उसे ैवबपंस प्दजमतंबजपवदमें दिक्कत आती है।
6. आर्थिक व्यवस्था:-परिवार में विकलांग बच्चे के जन्म लेने से उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था काफी प्रभावित होती है। क्योंकि उस बच्चे का पालन पोषण करने, उसकी देखभाल करने तथा उसे आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा देने इत्यादि में काफी धन की आवश्यकता होती है। जिस कारण उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था काफी प्रभावित होती है।

स्वमूल्य􀀀कन हत􀀀 प्रश्न:-

1. परिवार से आप क्या समझते है?
2. परिवार की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. केन्द्रीय परिवार में एक विकलांग बालक की किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
4. किसी भी परिवार के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है?

3.6 पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका : –

एक बच्चे के जीवन में पहले अध्यापक उसके अभिभावक ही होते है। वे बच्चे के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते है। माँ और बच्चे के बीच में भावनात्मक सम्बन्ध होता है। अभिभावक अपने बच्चे की आवश्यकताओं और उनकी रूचियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को अभिभावक ही दिशा प्रदान करते हैं। जब नवजात शिशु में विकलांगता पाई जाती है तो अभिभावकों को उस बच्चे की शिक्षा तथा लालन पालन में बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए उन्हे सूचना तथा सहयोग प्रणाली की आवश्यकता होती है। इन अभिभावकों को समुदाय में जो सामाजिक संस्थाएं है उनके माध्यम से परामर्श और शैक्षिक सेवाएं दी जाती है। जैसे ही किसी अभिभावक को अपने बच्चे की विकलांगता के बारे में पता चलता है तो उनके लिए कठिन समस्या हो जाती है। अतः विकलांगता के बारे या उससे सम्बन्धित निम्नलिखित मार्गदर्शन दे सकते है:-

1. अभिभावकों को शीघ्र अति शीघ्र बता देना चाहिए।
2. अभिभावकों और अध्यापक के बीच में जो भी बात हो वह उनके बीच में ही रहनी चाहिए।
3. परामर्श सरल से सरल शब्दों में होना चाहिए।
4. माता-पिता में शर्म की भावना को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
5. माता-पिता में व्याप्त डर-भय की भावना को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

3.7 पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करना

पुनर्वास की प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करने में एक अध्यापक और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक और अभिभावकों के बीच में सम्पर्क का होना बहुत आवश्यक होता है। ताकि अभिभावकों को समय-समय पर यह पता चलता रहे कि बच्चे को क्या सीखाया जा रहा है। ताकि वह घर में उसी कार्य को निरंतर रूप से करवाते रहे। उनके बीच स्वस्थ सम्बन्ध होने चाहिए। उनके बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए।

3.8 अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक की भूमिका :-

पुनर्वास की प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक केन्द्रबिन्दु होता है। अध्यापक निम्नलिखित तरीके से अपनी भूमिका निभाता है:-

1. सुविधा देने वाला - परामर्श देने वाला:-अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि एक अध्यापक को बच्चे की जरूरत का अच्छी तरह से पता होता हैं इसलिए एक अध्यापक अभिभावकों को सुविधा तथा परामर्श देता है। तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करता है। उन्हें बताता है कि बच्चे के साथ कैसे कार्य करना है, और समस्या आने पर उनका समाधान करता है। अभिभावक भी निसंकोच अध्यापक से पूछ सकते है क्योंकि व पहले से उसे जानते है और स्वीकार करते है कि अध्यापक ही उनका सही मार्गदर्शन कर सकता है।
2. एक विचारक के रूप में:-एक अध्यापक को पता होता है कि बच्चे को क्या सीखाने की जरूरत है और अध्यापक बच्चों तथा माता-पिता को विभिन्न प्रकार के विचार देते रहते हैः- कि बच्चे को कौन सा कार्य कैसे सीखाना है। वह उन्हें बताता है कि घर पर ही कैसे बालक को संभाला जा सकता है। अध्यापक अभिभावकों को नए विचार देकर प्रेरित करने के साथ-साथउन्हें सही दिशा निर्देश भी देता है।
3. कार्यक्रम को निर्धारित करने वाला:-एक अध्यापक बच्चों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करता है कि बच्चे को क्या करवाना हैं तथा अध्यापक अभिभावकों को भी बताते हैं कि बच्चे को क्या सीखाना है? अध्यापक ही मुख्यतः बालक के लिए सभी कार्यक्रम बनाता हैं जैसे:- शैक्षणिक, व्यवसायिक इत्यादि। वह लक्ष्यों को निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के सीमा भी निर्धारित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वह अभिभावकों को सीखाता है कि किस तरह हम लक्ष्य व्यवहारों का चयन करते है और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को भी बताता है। आप अभी तक जान गए होगें कि अभिभावकों को कार्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि अधिकतर समय बालक घर पर ही रहता है।
4. स्त्रोतों के विकास करने वाला:-एक अध्यापक को बच्चे से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं का पता होता है। इसलिए एक अध्यापक बच्चे तथा बच्चे के माता-पिता को

बच्चे से सम्बन्धित समस्याओं के स्त्रोतों के बारे में जानकारी देता है कि इस समस्या से सम्बन्धित साधन के स्त्रोत कहाँ उपलब्ध हैं और उन्हें कैसे प्राप्त करना है अर्थात् अध्यापक परामर्श सेवाओं की जानकारी भी प्रदान करता है। अभिभावकों को बहुत सी समस्याएं हो सकती है जिसके लिए उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे मनोवैज्ञानिक, भौतिक चिकित्सक, व्यवसायिक चिकित्सक इत्यादि। अभिभावक इनसे मिलकर अपने बच्चे में सुधार कर सकते है। वह इन विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते है।

5. एक मित्र के रूप में:-एक अध्यापक एक बच्चे तथा अभिभावकों का एक मित्र का रूप होता है। अध्यापक बच्चे के बारे में सभी प्रकार से जानता है। वह अभिभावकों के साथ एक मित्र के रूप में कार्य करता है। अभिभावक भी अध्यापक पर निर्भर होते है। एक अध्यापक के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वह माता-पिता के साथ एक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए। यह बच्चे के विकास के लिए भी आवश्यक है। अध्यापक माता-पिता में अच्छे सम्बन्ध होने से बच्चे का सम्पूर्ण विकास होने की प्रबल संभावना रहती है। अब आप जान गए होगें कि माता-पिता और अध्यापक के बीच अच्छे सम्बन्ध बच्चें के लिए आवश्यक होते है।

3.9 अभिभावकों को शामिल करने में प्रशासन की भूमिका : -

स्कूल के वातावरण पर प्रशासन का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रशासन ही अच्छे वातावरण का निर्माण करता है तथा स्टाफ को मिलजुल कर रहने तथा संयम से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रशासन निम्नलिखित तरीके से अपनी भूमिका निभाता है:-

1. प्रशासन स्टाफ की हिम्मत और उत्साह को बढ़ाता है:- एक प्रशासन स्टाफ की हिम्मत तथा उत्साह दोनों को बढ़ाता है क्यांेकि यदि स्टाफ का कोई सदस्य अच्छा काम करता है तो प्रशासन के कार्यकर्ता उसके कार्य की सराहना करते हैं। जिससे स्टाफ की हिम्मत तथा उत्साह बढ़ता है। वह कार्य करने के लिए प्रेरित होते है।
2. अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है:-प्रशासन अभिभावकों के साथ मिलते-जुलते हैं व बात-चीत करते हैं जिससे अभिभावकों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित होते है। अभिभावकों में भी एक आशा जागृत होती हैं कि प्रशासन उनके साथ हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर है।
3. उचित मार्गदर्शन देता है:-प्रशासन को बच्चे तथा अभिभावकों से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी होती है इसलिए प्रशासन अभिभावकों को उचित मार्गदर्शन देता है। वह बच्चे से सम्बन्धित अन्य परामर्श सेवाओं की भी व्यवस्था करता है।
4. सुविधाएं प्रदान करता है:-प्रशासन को बच्चे से सम्बन्धित सुविधाओं का पता होता है कि बच्चे को कौन-कौन सी सुविधाएं कहाँ से मिल सकती है, इसलिए प्रशासन अभिभावकों को

सुविधा देने में अपनी भूमिका निभाते है। वह अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपना योगदान देता है तथा उन योजनाओं को कैसे प्राप्त करना है यह जानकारी भी देता है और उन्हें प्राप्त करने में अभिभावकों की सहायता भी करता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नः-

1. पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है?
2. अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक की भूमिका बताइए।
3. पुनर्वास प्रक्रिया में प्रशासन के योगदान के बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए।

3.10 अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

विकलांग बच्चों के माता-पिता अपने बच्चे की सहायता के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब अभिभावको को अपने बच्चे की विकलांगता के बारे में पता चलता है तो वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाते है। माता-पिता अपने विकलांग बच्चे के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अभिभावक बच्चे के स्थायी अध्यापक, समाजीकरण करने वाले एजेन्ट और मुख्य देखभाल करने वाले होते है। क्योंकि माता-पिता बच्चे के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। इसलिए प्रभावशाली उपचार कार्यक्रम, अभिभावकों, अध्यापकों और विशेषज्ञों को सम्मिलित करके ही तैयार किया जा सकता है। अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

1. गृह प्रशिक्षण - गृह प्रशिक्षण आमतौर पर विकलांग बच्चों के माता-पिता तथा परिवार के सदस्यों के लिए तैयार किया जाता है ताकि घर के वातावरण में रहकर परिवार वालों को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। इससे अभिभावकों को उनके बच्चे को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए यह पता चलता है। गृह प्रशिक्षण बच्चे के माता-पिता को न देकर परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाता है। जो बच्चे के शिक्षण व प्रशिक्षण में सहायता करता है। परिवार के सदस्यों को बच्चे की समस्या का म्गचवेनतमदेकर उसे डंदंहमकरने की तकनीकों को शामिल किया जाता है। विकलांग बच्चे के माता-पिता, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहां-2 सहायता कर सकते है इसके बारे में उन्हें परिचित करवाया जाता है। गृह प्रशिक्षण के दौरान अभिभावकों को उनके विकलांग बच्चे के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में भी बताया जाता है तथा उनके लिए सरकार जो सुविधाएं दे रही है इसके बारे में भी अवगत करवाया जाता है।
2. पत्राचार पाठ्यक्रम व अन्य कोर्सः-अभिभावकों को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। माता-पिता के प्रशिक्षित हो जाने पर वह बच्चे की स्वयं अच्छे से देखभाल कर सकते है और उनकी विशेषज्ञों पर निर्भरता कम हो जाती है। इससे एक

अन्य लाभ यह भी होता है कि माता-पिता विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही सलाहों और दिशा निर्देशों को अच्छे से समझ सकते है। ऐसे पाठ्यक्रम समय-समय पर सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते रहते है। जैसे प्ळछच्न्द्वारा एक विकलांगता संबंधी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ साल पहले चलाया गया था जो माता-पिता तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए था। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसमें सभी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध थी। ऐसा ही एक कार्यक्रमकेयर-गीवर कोर्स छप्डभ् द्वारा चलाया जाता था अर्थात् अन्य शब्दों में हम कह सकते है कि समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम चलते रहे है। दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्सों में ऐसे व्यक्तियों के लिए छूट का प्रावधान रहता है जिनके घर में विकलांग बच्चा हो या वह माता-पिता हो। ऐसे माता-पिता यह कोर्स करके स्वयं इतने सक्षम हो सकते है कि वह अपने बच्चों के साथ-साथअन्य अभिभावकों को भी प्रेरित व उनका मार्गदर्शन कर सकते है। अगर हम विदेश की बात करें तो वहां माता-पिता के लिए विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम चलते रहते है जैसे:- कैलीफोर्निया में जॉन ट्रेसी क्लीनिक है जो छोटे श्रवण बधित बच्चों के अभिभावकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। जॉन ट्रेसी के पाठों का देश के अनेक संस्थानों में भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी कराया गया है। भारत में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा अभिभावकों के सम्मुख आने वाली विविध समस्याओं को देखते हुए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

3. व्यवसायिक प्रशिक्षण:-अभिभावकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वास प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बच्चे की योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों का चयन किया जा सकता है। अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो निम्नलिखित व्यवसायिक प्रशिक्षण हो सकते है जैसे लिफाफा बनाना, बैग बनाना, सॉफ्ट टायज बनाना, मोमबत्ती बनाना, पॉट पेंटिग, कढ़ाई-बुनाई, सिलाई इत्यादि अन्य और भी ऐसे व्यवसाय है जहां हम बच्चों के साथ अभिभावकों को भी प्रशिक्षित कर सकते है। परंतु अभी इस तरह के प्रशिक्षण अधिकतर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ही चलाए जाते है।

ल[?]भ

अभिभावकों की समस्याओं का समाधान:-अभिभावकों को इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से बहुत लाभ मिलता है। उनकी समस्याओं का समाधान होता है और उनमें आशा का संचार होता है। वह व्यक्तिगत तौर पर अपनी समस्याओं का हल [?]पाते है और भविष्य के लिए स्वयं का हल [?] पाते है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करते है।

पपण् बच्चे की विकलांगता को समझना तथा बच्चों को सीखाने में सहायक:-सबसे अधिक लाभ इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से होता है कि वह अपने बच्चे में उपस्थित विकलांगता को समझ पाते हैं वह यह भी समझते है कि वह उनकी इस परिस्थिति का कारण नहीं है। वह स्वयं को दोष देना बंद करते है।

एक बार बच्चे की स्थिति समझ आने पर वह उसका उचित प्रबन्धन भी कर पाने में सक्षम हो जाते है। वह यह भी समझ पाते हैं कि बच्चे को क्या समस्या है? उसका समाधान क्या है? उसका प्रबन्धन करने के लिए किन विशेषज्ञों की सहायता है? अन्य सुविधाएं क्या-क्या मिलती है? इत्यादि। वह इस जानकारी को प्राप्त कर बच्चे को सीखाना आरंभ कर सकते है। उनमें एक नई ऊर्जा का विकास होता है।

पपपण् बच्चों को समाज से मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक:-अभिभावकों को बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी सहायता मिलती है। जब उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और नीतियों का पता चलता है तो वह स्वयं जागरूक होकर उनके हक के लिए लड़ना प्रारंभ कर सकते है। यह जागरूकता सिर्फ बच्चे को सीखाने के साथ-साथही नहीं बल्कि समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में भी सहायक होती है।

अध्यापकों और अभिभावकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना:-ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अभिभावकों के संबंधों में भी सुधार होता है एवं नए संबंध स्थापित होते है। विशेषज्ञों से भी नए संबंध बनते है एवं अभिभावकों का सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। इनसे उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायता मिलती है। वो जानते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है?

अण् समस्यात्मक व्यवहारों का प्रबंधन:-विकलांगता के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह भी हो सकती है - बच्चों में समस्यात्मक व्यवहारों का पाया जाना। अधिकतर अभिभावक ऐसे व्यवहारों से काफी समस्याग्रस्त रहते है। वह बच्चे की स्थिति से तो दुखी होते ही है, परंतु इन व्यवहारों के उपस्थित होने से और अधिक चिंतित हो जाते है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को करने के पश्चात् अभिभावक इन व्यवहारों का भी उचित प्रबंध कर पाने में सक्षम हो जाते है और उन्हे इन व्यवहारों के प्रबंधन में बहुत सहायता मिलती है।

अब तक आप जान गए होगें कि माता-पिता का पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल होना कितना आवश्यक है। परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब हम इन्हे प्रशिक्षित करें और उनकी समस्याओं का उचित प्रबंधन कर सके।

समस्याएं:

अभिभावकों के प्रशिक्षण में बहुत समस्याएं भी आती है। ऐसे प्रशिक्षणों से लाभ तो बहुत मिलता है परंतु कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ समस्याआंे का वर्णन निम्नलिखित है:-

अभिभावकों की आर्थिक स्थिति:-अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कई बार काफी अच्छी नहीं होती। जिससे वह इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम मुफ्त में भी हो रहा है तो रहना, खाना-पीना मंहगा हो सकता है जिससे बहुत से अभिभावक ऐसे कार्यक्रमों से वंचित रह जाते है।

संस्थान से घर की दूरी:-घर का संस्थान से दूर होना भी एक कमी के रूपमें देखा जा सकता है। यात्रा का किराया और सभी घर के कार्याेंं को छोड़कर आना कई बार अभिभावकों के लिए संभव

नहीं हो पाता है। ऐसे में ऐसे अभिभावकों का रोज प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले पाना मुश्किल हो जाता है।

अशिक्षित माता-पिता:-अभिभावकों का अशिक्षित होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वह ऐसे कार्यक्रमों में दी गई जानकारी एवं पुस्तकों को सही से समझ पाने में अक्षम हो जाते है। बहुत बार वह अध्यापकों-विशेषज्ञों की बात को सही तरह से समझ नहीं पाते। जिससे बच्चे को सीखाने में उन्हे परेशानी का सामना करना पडता है। अशिक्षित होने से बहुत बार ऐसे अभिभावक अंधविश्वास में पड़ कर जादू टोने में फंस जाते है।

जागरूकता की कमी:-भारतवर्ष में विकलांगों से संबंधित जानकारी का आम जनता में अभाव रहता है। व्यक्तियों के पास ऐसी जानकारी होती ही नहीं है। वह सरकारी नीतियों एवं सुविधाओं के बारे में जानते ही नहीं है। ऐसे में सरकारी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाती है। और अगर अभिभावक अशिक्षित है तो वह तो इन सभी जानकारियों से काफी दूर होते है।

ग्रामीण तथा शहरी प्रभाव:-अभिभावकों का ग्रामीण पर शहरी क्षेत्रों से होना यह भी प्रभाव डालता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में रहने वालों का और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का परिवेश अलग-अलग होता है। इसके साथ उनकी जरूरतें और समस्याएं भी अलग-अलग होती है।

अब तक आप जान गए होगें कि अभिभावकों को प्रशिक्षित करने में क्या-क्या समस्याएं आती है। हमें इन समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।

3.11 सारांश

अभिभावकों को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करना एवं उन्हें प्रशिक्षण देना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। इस अध्याय में आप ने पुनर्वास के अर्थ को समझा। पुनर्वास का अर्थ है कि विकलांग व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग करना और उसे पुनः इतना सक्षम बनाना की वह आत्मनिर्भर बन सके। पुनर्वास प्रक्रिया में सर्वप्रथम व्यक्ति का आकलन कर उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते है और उसे सीखाने का प्रयास किया जाता है। आपने परिवार के बारे में भी जाना के परिवार से मतलब है, उन व्यक्तियों का समूह जिसमें वह विवाह बंधन से एक जुट होकर रहते है। परिवार मुख्यतः तीन तरह के होते है। केन्द्रीय परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार।पुनर्वास प्रक्रिया में अभिभावकों और प्रशासन की भी अहम भूमिका होती है। अभिभावकों को विभिन्न तरह से प्रशिक्षण देकर पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। जैसे गृह प्रशिक्षण, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा। अंत में आप यह कह सकते है जब भी परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार में उस बच्चे की विकलांगता का काफी प्रभाव पड़ता है। विकलांग बच्चे के परिवार को सशक्त बनाने तथा उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने और स्वतंत्र रूप से जीवनयापन के लिए तैयार करने में उस परिवार को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक होता है।

3.12 शब्दावली

पुनर्वास;.यह वह प्रक्रिया है जिसमें विकलांग व्यक्ति की जितनी भी क्षमता है जो उसके लिए उपयोगी होती है उसे पुनः (दोबारा से) भंडारण किया जाता है।

योगीकरण ;भ्ंइपसपजंजपवदद्ध रू. यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में जन्म से ही कुछ कमियां होती है उनकी सहायता की जाती है। ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम विकास कर सके।

परिवार;थ्ंउपसलद्ध रू. यह वह समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंध स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना शामिल होता है।

3.13 स्वमूल्यांकन हेतू प्रश्न

1. पुनर्वास कार्यक्रम में माता-पिता को शामिल करने की क्या आवश्यकता है?
2. गृह प्रशिक्षण क्या है?
3. माता-पिता को प्रशिक्षण में शामिल करने में क्या कठिनाइयां आती है?
4. पुनर्वास में परिवार का क्या योगदान है? संक्षिप्त रूप से बताएं।
5. अभिभावकों को शामिल करने में अध्यापक एवं प्रशासन कि भूमिका का वर्णन कीजिए।

3.14 संदर्भ सूची

- Aurora, S (2001). *Mothering Patterns in Indian Families*. Agra: H.P. Bhargava Book House.
- Bhan S. (1995). *Parental Role in the Life of a Special Child*. Disability and Imapairments, Vol.9 (1), 37-40
- Bhargava. (1998). *Introduction to Exceptional Children. Their Nature and Educational Provisions.* New Delhi: Sterling Publishers Pvt.Ltd.
- Dyson ,L. and Fewell, R.R. (1986). *Stress and Adaptations in Parents of Young Handicapped and Non- Handicapped Children*. A Comparative Study.
- Hewett, F.M. and Forness, S.R.(1984). *Education of Exceptional Learners*. London: Allyn and Bacon.
- Mullins, J.B. (1987).*Authentic Voices from Parents of Exceptional Children. Family Relations* 63, 30-36.
- Peshawaria,R. ;Menon,D.K..; Ganguly,R. (1994). *Moving Forward – An Information Guide for Parents of Children with Mental Retardation*.
- Status of Disability in India- 2000, RCI, New Delhi.

इकाई 4 - अभिभावकों के स्वयं सहायता समूह बनाना (FORMATION Of PARENTS SELF HELP GROUP)

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 अभिभावक स्वयं सहायता समुह
4.4 स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता
4.5 स्वंय सहायता समूह बनाने के विभिन्न अवस्थाएं
4.5.1 स्वय सहायता समूह द्वारा अनुरक्षित रखे जाने वालें बहीं और रजिस्टर
4.6 स्वयं सहायता समूह को गठित करना
4.7 स्व-सहायता समूह की विशेषताए
4.8 अभिभावक सं्वय सहायत समूह-आखिर क्यों?
4.9 अभिभावक स्वयं सहायता समूह की स्थापना के विभिन्न चरण
4.10 सारांश
4.11 शब्दावली
4.12 संदर्भसूची

4.1 प्रस्तावना

समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है बल्कि निरन्तर नये समूहों का निर्माण भी करता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य के जीवन का अधिकतम समय समूह में ही व्यतीत है। हम सभी किसी न किसी समूह के सदस्य होते है। यह समूह औपचारिक भी हो सकते है और अनौपचारिक भी। जब हम स्वयं सहायता समूह की बात करते है तो उससे हमारा तात्पर्य उस समूह से होता है जहां पर कुछ व्यक्ति स्वयं आगे आ कर अपनी स्वेच्छा से मिलजुल कर कार्य करते है, इन सभी का लक्ष्य एक होता है। यह लक्ष्य ''आर्थिक'' भी हो सकता है और ''स्वावलम्बन'' भी। जब हम विकलांगता के क्षेत्र में अभिवावकों के स्वयं सहायता समूह की बात करते है तो उससे हमारा अभिप्राय एक ऐसे समूह से होता है जहां पर सभी अभिभावक एक दूसरे की समस्याओं को सुनते है, समझते है, अपने अनुभवों को सांझा करते हैं और समस्याओं

का हल निकालने का प्रयास करते है। यह समूह विशेष तौर से आर्थिक सहायता, स्व-वकालत, अधिकारों के लिए, समाजिक जागरुकता, सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए बनाये जाते है।
अभी तक आपने पिछली इकाईयों में अभिभावकों को पुर्नवास प्रक्रिया में शामिल करना तथा अभिभावक-व्यावसयिक संबंधो को पढ़ा। अभी तक आप अभिभावकों को शामिल करने तथा व्यावसायिक के साथ संबंधों के महत्व को जान गए होगें। इस इकाई में आप अभिभावकों के स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेगें।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आपः

1. स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेगे।
2. स्वयं सहायता समूह की विशेषताओं और लाभ के बारे में जानेगें।
3. अभिभावकों को स्वयं सहायता समूह की आवश्यक्ता को बता सकेगें

4.3 अभिभावक स्वयं-सहायता समूह

भारत में गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रहती है। विभिन्न योजनाओं में से एक योजना जो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसका नाम है 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' (SGSY), ये रोजगार आरंभ करने के उदेश्य से एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे सर्वप्रथम '1 अप्रैल 1999' को प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 75:45 की लागत पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सांझा किया गया था। इसे कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य बैंक ऋण और सरकारी सबसिडी के माध्यम से उन व्यक्तियो के लिए आय उत्पन्न करने के साधनों से था जो गरीबी रेखा में है। इसे गा्रमीण गरीबों के लिए स्व-रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि उनका जीवन स्तर भी उपर उठ सके। स्वयं-सहायता समूह इसी योजना का एक प्रमुख घटक है। अधिकतर स्वयं-सहायता समूह सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए या गठित हुए हैं।
स्व-सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक समूह है जो अपनी सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ आते है। स्वयं सहायता समूहों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक दूसरे का पारस्पारिक समर्थन करने के विचार से आरंभ होता है। ऐसे समूह स्थिति और आवश्यकता के आधार पर कई विभिन्न उद्देश्य प्रदान कर सकते है उदाहरण के लिए विकास क्षेत्र के भीतर स्वयं-सहायता समूह का उपयोग गरीबी उन्मूलन के लिए, मानव विकास, सामाजिक सशक्तिकरण आदि के लिए के लिए प्रभावी रणनीति के रुप में किया गया है और इसलिए अकसर सुक्ष्म ऋण कार्यक्रमों और स्वयं पैदा करने करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केन्द्र किया जाता है। पिछले 20 वर्षो में विकलांगता के क्षेत्र में विभिन्न रुपो में स्वयं सहायता समूहो का उपयोग किया गया है और विकलांग लोगों और उनके

परिवारों के स्वयं सहायता समूहों कों स्वास्थ्य देखभाल, पुर्नवास, प्रचार अभियान, शिक्षा, लघुऋण सहित पूरी गतिविधियों में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। अभिभावकों तथा दिव्यांगो के लिए समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने समुदाय में भाग ले सकते है। वह इन स्वयं समूह के द्वारा वह समुदाय में जागरुकता फैला सकते है। अपने अस्तित्व तथा अपनी पहचान बना सकते है तथा समाज और समुदाय में परिवर्तन ला सकते है।

जब कुछ व्यक्ति एक स्थान पर रहते है और उनमें किसी न किसी प्रकार की अंतः क्रिया होती है तो यही अंतः क्रिया समुह का निर्माण करती है। मैकाइबर तथा पेज के अनुसार '' समुह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों से बंधे हो। थियोडोर एम.मिल्स के अनुसार ''समूह साधारणतः दो अथवा दो से अधिक लोगों की एक इकाई होती है जो एक उद्देश्य के तहत संपर्क में आते है और संबध को अर्थपूर्ण ढ़ग से समझते है''।

अभिभावक स्वयं सहायता समूह भी ऐसे अभिभावकों का समूह है जो एक दूसरे की समस्याओं और कठिनाईयों को समझते है और एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते है। ऐसे समूहों का लक्ष्य तथा उद्देश्य एक होते है और सभी सदस्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति कार्यरत होते है। अगर हम विकलांगता को देखे तो यह एक ऐसी समस्या है जिससे प्रत्येक देश, प्रजाति तथा समाजिक स्तर प्रभावित है। पूरे विश्व में विभिन्न विकलागताओं से ग्रसित मनुष्य पाये जाते है। यह प्रत्येक समाज के लिए एक चुनौति है। इन सभी लोगों को अधिकार दिलाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, समाज में इन्हे यथोचित स्थान दिलाना आदि। यह हर देश की सरकार तथा नागरिकों की जिम्मेवारी है। अगर हम भारत के मानसिक मंद लोगों के शिक्षण-प्रशिक्षण के बारे में देखें तो इस क्षेत्र में गंभीर प्रयास सर्वप्रथम लगभग 1940 में शुरु हुआ।

भारत में 1941 में इस दिशा में प्रयास शुरु किए जबकि बम्बई में 'Children's Aid Society' नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा मानसिक मंद लोगों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। भारत में दूसरा स्कूल एक अभिभावक द्वारा 1944 में शुरु किया गया, जिसे ''स्कूल फॉर चिलडर्न इन निड स्पैशल केयर'' नाम दिया गया, तभी से इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है तथा अब करीब 1000 से अधिक संस्थाएं, नैदानिक, शैक्षिक, थैराप्यूटिक और व्यवसायिक सेवाएं मानसिक मन्द लोगों को प्रदान कर रही है।

यदि हम पिछले 60-70 वर्षों के विकास को देखें तो हमे ये पता चलता है कि जिस क्षेत्र में हम जोर दे रहे हैं, उसकी तुलना किसी भी सामान्यतः विकसित देशों से की जा सकती है, जैसे अलगाव तथा संस्थागत से एकीकरण और मानसिक व्यक्तियों की समुदाय द्वारा देखभाल करना। केवल अन्तर यही हैं कि हम लोगों ने इस चलन को इस्तेमाल करने की देरी की है। कई कारणों में से कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि एक विशाल देश की प्राथमिकताएं अज्ञानता, संसाधनों की कमी, सीमित प्रशिक्षत मानवीय ऊर्जा और उचित सेवाओं का उपलब्ध न होना इत्यादि। भारत जैसे विशाल देश के लिए तो यह प्राथमिकताएं और भी आवश्यक हो जाती है।

सभी बातों को नजर रखते हुए आप यह कह सकते है कि दिव्यांग व्यक्तियों को पालने की एवं उनकी जरुरतों को देखने का उत्तरदायित्व मुख्यतः अभिभावकों पर निर्भर होता है। अतः यह आवश्यक कि देखभाल करने के तरीके और बालकों के विकास के लिए अभिभावकगण स्वयं आगे आ कर सामुहिक रुप से संगठित हो तथा मिलजुल कर कार्य करे। अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को मुख्यधारा में लाने के सामुहिक प्रयास करना यह आज की जरुरत है। उनके भविष्य के लिए तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए अभिभावकों को स्वयं आगे आना होगा। उन्हें एक जुट होकर एक मजबुत संघ तथा एक दूसरे का सहारा बनना होगा।

4.4 स्वयं सहायता समुह की आवश्यकता

जब कोई माता-पिता अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के संबंध में सोचता है, तो उसी समय से दादा-दादी बनने के सपने देखने लगता है। उस सपने में एक सुन्दर बच्चे का सपना भी दिखने लगता है। ऐसे में यदि एक अक्षम बच्चे का जन्म होता है, तो उनकी आशाएं, निराशा में बदल जाती है। अतः ऐसे में विशिष्ट अभिभावकों की स्थिति में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। यह स्थितियाँ प्रायः निम्नलिखित होती हैं-

अस्वीकार की भावना - ऐसे बच्चे के पैदा होने पर पहली प्रतिक्रिया अस्वीकार की भावना देखी जाती है। ऐसे अभिभावक सोचते है, बच्चा उनका है ही नहीं, जो सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ इत्यादि।

दोषारोपित करना - अक्षम बच्चा पैदा होने के उपरान्त माता-पिता उसके कारणों को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। इस स्थिति में कभी कभी माता-पिता में भी अलगाव हो जाता है।

डर की भावना - बच्चे अक्षम पैदा हो जाने पर अभिभावक दूसरे बच्चे के प्रति आशंकित रहते है। ऐसे में कभी कभी वे दूसरा बच्चा न पैदा करने का निर्णय ले लेते है।

अपराध बोध - इस प्रकार का बच्चा पैदा होने के कारण माँ अपने को मानने लगती है। ऐसे में बच्चे में बिलकुल रुचि नहीं दिखाती या फिर पूरे समय उसका ध्यान बच्चे पर ही केन्द्रित रहता है।

शोक की स्थिति - जब बच्चे की अक्षमता का कारण अथवा अक्षमता की पहचान हो जाती है, तो माता-पिता शोक की स्थिति में चले जाते है। वे बच्चे को बोझ समझने लगते है तथा कभी कभी तो बच्चे की मृत्यु तक की कामना करने लगते है।

अलग करने की प्रकृति - कभी कभी अक्षम बच्चा पैदा होने पर अभिभावक शर्म महसूस करने लगते हैं। वे बच्चे को अपने से तथा समाज से अलग करने के विषय में सोचते है। ऐसे में कुछ अभिभावक बच्चे को घर के किसी कमरे में बन्द करके रखते हैं।

अत्याधिक अपेक्षाएं - कुछ अभिभावक अपने बच्चे की क्षमता से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं। यदि बच्चा उनकी अपेक्षाओं पर सफल नहीं हो पाता है तो अभिभावक उस पर अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हैं।

स्वीकार्य की भावना - इस चरण में अभिभावक बच्चे की अक्षमता को तथा स्वयं को स्वीकार करने लगते हैं और बच्चे को परिवार के दूसरे बच्चों अथवा सदस्यों की तरह महत्व देने लगते हैं।

समाजिक बहिष्कार - किसी घर में एक अक्षम बच्चा पैदा होने पर स्वभाविक रुप से दूसरे बच्चे पर यह जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इससे उस बच्चे का जीवन प्रभावित हो जाता है तथा वह अक्षम भाई-बहन को बोझ समझने लगता है एवं दूसरों के द्वारा अत्याधिक सुझाव आने के कारण अभिभावक लोगों से कतराने लगते है। वे धीरे धीरे सामाजिक दायरा कम कर देते है। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि अभिभावक किसी भी पारिवारिकए सामाजिकए सांस्कृतिक क्रार्यक्रमों में जाना पसंद नहीं करते हैं।

एक अक्षम बच्चे के परिवार में जन्म लेने से परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसमें एक निराशा उत्पन्न होती है। वह बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होता है। कई बार ऐसे परिवार समाज में भी आना-जाना पसंद नहीं करते। वह बच्चों का घर पर बंद या बांध कर रखते है। परंतु जब वह एक समुह में आते है तो उन्हे एक दुसरे का सहारा मिलता है तथा वह यह भीं सोचते हैं कि वह इस परिस्थिति में अकेले नहीं है।

4 . 5 स्वंय सहायता समूह बनाने के विभिन्न अवस्थाएं

समूहों में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते है। समय के साथ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते है। किसी भी समूह को बनाने के लिए कई चरणों से गुजरता है। समूह का लक्ष्य स्वयं आत्मनिर्भर होता है। सदस्यों को वाद-विवाद से उपर उठकर समूह कि सफलता तथा प्रदर्शन के बारे में कार्य करना पड़ता है। समूह बनाने के विभिन्न चरणों की महत्वपूर्ण अवस्थाएं टुकमान नें बताई है। समूह के विकास हेतु इस मॉडल का बहुत उपयोग किया जामा है। ये अवेस्थाएं निम्नलिखित है-

1. गठन - इस अवस्था में विभिन्न अभिवावक अनौपचारिक तौर पर मिलते है। वह अपनी समस्याओं तथा संभावित समाधानों पर चर्चा करतें है। गठन के चरण में ‘ निर्भरता’ ही व्यक्तिगत सबंधो की विशेषता है। एक सदस्य दूसरे सदस्य पर निर्भर होता है। सदस्य सुरक्षित व्यवहारों पर भरोसा रखतें हैं तथा मार्गदर्शन और दिशा के लिए समूह के नेता की ओर देखते है। समूह के सभी सदस्यों को एक-दुसरे की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह भी उनके लिए जानना आवश्यक है कि क्या यह समूह सुरक्षित है? वह यह जानकारी एकत्रित करना प्रंरभ करते हक् कि उनके मध्य कितनी समानताएं एवं कितनी भिन्नताएं है। व्यवहार के साधरण नियम सभी को सहज एवं सरल रखते है तथा विवाद से बचने के लिए गंभीर विषयों और भावनाओं से परहेज किया जाता है।

2. उथल-पुथल - इस स्तर पर व्यक्तिगत मतभेदों, व्यक्तिगत सबंधों में प्रतिस्पर्धा, और संघर्ष की विशेषता अधिकतर पाई जाती है। सदस्य अपने-अपने कार्यों को व्यक्तिगत करने का प्रयास करते है। वह अपने विचारो, अभिवृतियों, विश्वास आदि को समूह के अनुसार □लने का प्रयास करते है। कई बार उनमें असफल होने का डर भी होता है इसलिए सभी की इच्छा होती है कि समूह का संरचनात्मक स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। यद्दपि सदस्यों का आपसी संघर्ष समूह के मूद्दां◌े के रूप में नहीं होते पर

फिर भी वह वहां विद्यमान रहते है। प्रश्न उत्पन्न होते है- कौन किस के लिए जिम्मेदार होगा? नियम क्या होंगे? पुरूस्कार प्रणाली क्या होगी? तथा मूल्याकंन के लिए कौन-से मानदंड होगें? ये नेंतृत्व, संरचना, शक्ति और प्राधिकरण पर सघर्ष को दर्शाते है। प्रतिस्पर्धा और आपसी मतभेदों के मुददों के आधार पर सदस्यों के व्यवहारों में बदलाव आते-जाते रहते है। इस स्तर के दौरान उत्पन्न असुविधा के कारण कुछ सदस्य पूरी तरह से चुप रह सकते है जबकि अन्य हावी हो सकते है।

2. मानक: समूह मे एकता, विश्वास और घनिष्ठता के विकासात्मक मानक के अनुसार सभी सदस्य अपनी जिम्मेवारी निभाते है। सदस्य दूसरे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अपने पूर्वकेद्रित विचारांे या राय को बदलने के लिए तैयार हो जाते है, और वह सक्रिय रूप से एक दूसरें से प्रश्न पूछते है। नेतृत्व को सांझा किया जाता है और समूह के अंदर पनप रहे छोटे समूह समाप्त होते है। जब सदस्यों को एक दूसरे के बारे मे पता चलता है और वह समझ जाते है कि उनकी पहचान एक-दूसरे के कारण है तो उनके व्यक्तिगत संबधो मे विश्वास का स्तर बढ़ता है तब वह समूह के विकास में अपना योगदान देना प्रारंभ करते है। उनके पारस्परिक सघर्षो का समाधान हो चुका होता है और उनमे समूह भावना और राहत की भावना का अनुभव करना शुरू करते है। इस चरण में सदस्यों के मघ्य जानकारियों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है वह अपनी राय/भावनाओ को सांझा करते है। वह अपने विचार प्रकट करते है, और एक दूसरे को प्रतिपुष्टि ;मिमकइंबाद्ध देते है। वह कार्य को सपन्न करने का प्रयास एकजुट होकर करते है। वह समूह का एक हिस्सा होने के बारे मे अच्छा महसूस करते है।

4. प्रदर्शन - समूह की संरचना हेतु समूह के स्त्रोतों का प्रयोग करते हुए क्रियान्वयन किया जाता है। यह अंतिम चरण है जहां पर समूह पूर्ण रूप से क्रियात्मक हो जाता है और समूह के सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करना आंरभ और सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है इस चरण में सदस्य उपसमूहो में, स्ंवत्रतन्त्रतापूर्वक, या एक युनिट के रूप कार्य करना आरंभ कर देते है।

4.5.1 स्वंय सहायता समूह द्वारा अनुरक्षित रखे जाने वालें बहीं और रजिस्टर ;

1. उपस्थित रजिस्टर - इसमें सभी अभिभावकों की उपस्थति दर्ज होती है।कितने अभिभावक है जो मीटिग के दौरान उपस्थित रहे और कितने गैर हाजिर हुए।

2. कार्य विवरण पुस्तक/ कार्यवृत पुस्तक ; डपदनजमे इववोद्धरू कार्यवृत पुस्तक का नमूना निम्नलिखित है-ः

अ.	Name of SHG	:	________________.
	Minutes Book No	:	________________.
	Date of Starting	:	________________.

Date of Closing : ________________.

No. of Pages Used : ________________.

No.of Pages Cancelled : ________________.

Sign of Secratory

Date : ________.

Sign of G/S

Date : ______.

ब. SHG meeting – :____________.

SHG Name	:____________.	Village	:____________.
Meeling Name	:____________.	Meeting Date	:____________.
Total Membership	:____________.		
Member Present	:____________.		
Member Absent	:____________.		
Time of Starting	:____________.	AM/PM	
Time of Closing	:____________.	AM/PM	
Meeting Chaired by	:____________.		

etc.

इस तरह कार्यवृत पुस्तक में संक्षेप में पिछली-अगली सभी मीटिंग तथा अन्य जरुरी बातों का उल्लेख रहता है।

3. बचत खाता: समूह से कितनी आमदनी हुई, कितनी बचत हुई, इस सबका विरवरण विवरण इसमें होता है।

4. ऋण खाता (स्वंद स्मकहमत):- सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण का विवरण इसमें होता है।

5. सामान्य खता बही

6. नकदी बही
7. व्यक्गित पासबुक
8. रसीद पासबुक
9. भुगतान वाउचर

उपरोक्त लिखे रजिस्टर व बुक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए आवश्यक होते है। अगर हम ध्यान से देखे तो स्वयं सहायता समूह का आधार अधिकतर आर्थिक स्वालम्बन होता है। कहीं न कहीं अभिभावकों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे में कमियां हैं। जिनकी वजह से वह कार्य करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अभिभावक स्वयं एकत्रित होकर एक समूह का निर्माण करते है। इसका फायदा अभिभावकों के साथ-साथ बच्चे को भी मिलता है। समूह की कार्य प्रणाली को सुगम बनाने के लिए उपरोक्त रजिस्टरों को होना आवश्यक है। इससे सभी सदस्यों को ज्ञात होता रहता है कि समूह में क्या घटित हो रहा है। वह समूह की कार्य प्रणाली, आमदनी आदि से भी परिचित रहते है। इससे समूह के सदस्यों के मध्य विश्वास व एकता बनी रहती है।

4.6 स्वयं सहायता समूह को गठित करना :-

एक विकलांग बच्चे के माता पिता की स्वयं सहायता समूह को गठित करने में प्रमुख भूमिका होती है। अभिभावकों को अपने क्षेत्र के अन्य ऐसे परिवारों से संपर्क करना चाहिए जहां विकलांग व्यक्ति हो और उनसे मिलकर एक समूह बनाने की चर्चा करनी चाहिए और सभी परिवारों को आपस में मिलकर स्वयं सहायता समूह गठित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप पहले भी समझ चूके है कि स्वयं-सहायता समूह का मतलब है ऐसे लोगों का एक स्वैच्छिक समूह जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य संगठित हुआ है। समूह के सदस्य ही यह तय करते है कि उन्हे कौन से लक्ष्य प्राप्त करने है और ये लक्ष्य प्राप्त करना ही उनके संगठित होने का कारण होता है। संक्षेप में हम यह कह सकते है कि स्व-सहायता समूह निम्नलिखित उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गठित किए जा सकते हैः-

- आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए।
- समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और आम आदमी को विकलांगता से संबधित विभिन्न पहलुओ के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए।
- समूह के सदस्यों को सामाजिक और मनोविज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए।
- विकलांग व्यक्तियों और ऐसे परिवारों के पक्ष का समर्थन करने के लिए जिससे उन्हे उनके अधिकार और विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो।
- दिव्यांग व्याक्तियों को सामाजिक और मनोरजंन की गतिविधियों में स्लंगन करने के लिए, ताकि उनके जीवन के स्तर में सुधार हो सके।
- एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए।

- स्मूह में एक साथ अपनी समस्याओं को बताने, चर्चा करने और सामूहिक तौर से उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए।
- स्व-सहायता समूह परिवारों को आर्थिक सहायता पँहुचाने के साथ एक दूसरे को यह भी सीखाता है कि विकलांग बच्चे को किस तरह बड़ा एवं परवरिश कि जाए।
- इस तरह के समूह में काम करने से अभिभावकों के जीवन में तो परिवर्तन आता ही है, साथ ही साथ विशेष बालक के जीवन में सुधार होता है।
- स्व-सहायता समूह में परिवारों की संख्या 5 से 10 या इसमें अधिक हो सकती है। यह निर्भर करता है कि समूह किसलिए बनाया गया है।
- किसी भी उदेश्य के लिए एस.एच.जी. (ैभ्ळ) बनाए जा सकते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर बचत और क्रेडिट समूह, सशक्तिकरण समूह, अधिकार समूह, सीखने के समूह, आपसी सहायता समूह, इत्यादि।

अभिभावक किसी भी क्षेत्र के हो, जाति के हो, कोई भी स्व-सहायता समूह गठित कर सकता है। अगर उनके क्षेत्र में कोई गैर-सरकारी संगठन अथवा समूह पहले से ही कार्य कर रहा हो तो उनकी मदद लेना उचित रहता है। स्व-सहायता समूहों के गठन तथा विकास में विभिन्न अवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं होती है, जैसे थोडा बहुत आप उपर पढ़ चुकें है। स्व-सहायता समूह बनाते समय जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए वह निम्नलिखित हैः-

- सदस्यों को मोंटें तौर पर उन सभी बातों उदेश्यों को परिभाषित करने में मदद करनी चाहिए जिसके लिए स्व-सहायता समूह बनाना चाहते है। समूह के उदेश्यो ंके बारे में मन मुटाव हो सकते है। समूह आर्थिक गतिविधियों, मनोरजंन संबधी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के उदेश्य से गठित हो सकता है।
- दिव्यांग व्यक्तियो ंके साथ-साथ माता-पिता तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों को भी समूह का सदस्य बनाना चाहिए।
- समूह के सदस्यों विकलांगता के बारे में शिक्षित करना चाहिए ताकि उन्हें स्वंय लाभ हो और वे दुसरों तक भी सही जानकारी पहुंच सके तभी वे स्वंय भी जागरूक होगें व अन्य को भी जागरूक करेंगें।
- स्व-सहायता समूह के सदस्यों को अपने में से ही नेता चुनना चाहिए। वो ऐसे अभिवावक को नेता चुन सकते है जो समूह के लिए कार्य करें, सभी को एक-जुट रखें, समूह को आगे ले जाने के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे।

- स्व-सहायता समूह को नियमित रूप से मिलने के लिए एक स्थान निर्धारित करना चाहिए। यह स्थान समयानुसार और जरूरतानुसार बदला सकता है। परन्तु समूह के नेता को मिलने के लिए एक स्थान अवश्य निर्धारित करना चाहिए।
- समूह के सदस्यों को उनकी गतिविधियों और प्राथमिकताओं का तय करना आना चाहिए। ताकि वे यह जान सके कि कौन सी बाद में की जा सकती है। इन प्राथमिकताओं को निश्चित करने के लिए समूह के अन्य सदस्य भी राय दे सकते है।

4.7 स्वयं –सहायता समूह की विशेषताएं

एक स्वयं सहायता समूह लोगों का एक स्वैच्छिक संघ है जो समूह के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक और उतरदायी रूप से कार्य करता है। ऐसे समूह की निम्नलिखित विशेषता होती है-

1. स्वैच्छिक प्रकृति - ये समूह स्वेच्छा से बनाए जाते है। इसमें सदस्य स्वेच्छा से एकत्रित होते है नियमित बैठक करते है और नए सदस्यों के लिए खुले हैं।
2. विशेष मुद्दे:- अधिकतर या आम तौर पर समूह एक विशेष मुद्दे को लेकर बनाया जाता है जैसे- विकलांगों के अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए, समानाधिकार के लिए, आर्थिक कारण से सीमित आय के साधनों के लिए, आदि।
3. पारस्परिक जागरूकता:- सामूहिक जीवन में आपसी जागरूकता आवश्यक होती है। समूह के सदस्य एक दुसरे के प्रति जागरूक होते है तथा पारस्परिक संबधों से उनके व्यवहार की पहचान होती है। यह उनकी जागरूकता तथा चेतना पर निर्भर करता है।
4. सामान्य लक्ष्य एंवम रूचियां:- एक समूह के लक्ष्य, रूचि एवम् विचार एक जैसे होते है। व्यक्ति वास्तव सिर्फ समूह में शामिल नहीं होते बल्कि उनके शामिल होने का कारण समूह के लक्ष्य एवं रूचि होते है। लक्ष्यों और रूचियों में भिन्नता के कारण एक समूह दूसरे समूह से भिन्न होता है। अतः लक्ष्यों उद्देश्यो ंके अनुसार समूह कई तरहों के हो सकते है। किसी भी स्व-सहायता समूह के लक्ष्य बिलकुल साफ होते है। यह लक्ष्य सदस्यों की जरूरत के कारण उत्पन्न होते है और सभी सदस्यों द्वारा निर्धारित किए जातें हैं।
5. समूह के मानक:- प्रत्येक समूह के अपने नियम एंव मानक होते है जिसका सभी सदस्यों को पालन करना पड़ता है। ये मानक रीति-रिवाज, लोकानुसार, परम्परा, अधिवेशन एंव कानून के रूप में हो सकते है। अनौपचारिक संरचना, बुनियादी नियमों और दिशा र्निदेशों के साथ सभी सदस्यों को से बताता है कि एक साथ मिलकर कैसे कार्य करना है।
6. सदस्यों का एकत्रिकरण:- कोई भी सामाजिक समूह लोगों से मिलकर बनता है अर्थात व्यक्तियों के बिना समूह की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए समूह बनाने के लिए लोगों का पास आना एकत्र होना आवश्यक है।

7. सदस्यों में अन्तःक्रिया:- सामाजिक अंतःक्रिया सामूहिक जीवन का आधार होता है। अतः लोगों के एकत्रीकरण मात्र से समूह नहीं बन सकता। सदस्यों के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। एक सामाजिक समूह वास्तव में सामाजिक अन्तःक्रिया की एक प्रणाली होता है। अतः सदस्यों के मध्य अन्तःक्रिया न होने से समूह निष्क्रीय हो सकते है।
8. सदस्यों का व्यवहार:- समूह के सदस्यों का व्यवहार लगभग एक समान होता है इसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि समूह के लक्ष्य एक समान होते है।
9. समूह का आकार:- लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार समूह बड़ा व छोटा हो सकता है। अभिभावक के स्व-सहायता समूह का आकार 10 परिवार से लेकर 25 तक या इससे अधिक भी हो सकता है। समूह के आकार का उसके सदस्यों पर भी प्रभाव पड़ता है।
10. स्व-सहायता समूह कि प्रकृति परस्पर सहभागिता पर निर्भर होती है। सदस्य एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते है अपना ज्ञान और अनुभव सांझा करते है। वह एक दूसरे कि सहायता करने के साथ-साथ स्वयं कि सहायता करना भी सीखते है।
11. समूह के सदस्य अपने आप जिम्मेदारीयों को सांझा करते है। प्रत्येक सदस्य की एक स्पष्ट भूमिका है और समूह में प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार अपना योगदान देते है।
12. मुख्यतः समूह का प्रशासन अधिक समूह के सदस्य संवय करते है व चलाते है। जरूरतानुसार बाहरी सुविधा ;म्गजमतदंस ंिबपसपजंजवतद्ध देने वाला का उपयोग या सहायता भी ली जा सकती है। यह सहायता समूह के गठन के समय तथा और कभी भी ली जा सकती है। समय-समय पर विशेषज्ञों ;त्मेवनतबम च्मतेवदेद्ध को भी आंमत्रित कर नई जानकारीयां प्राप्त की जा सकती है।

अभी तक आप जान गए है कि संवय सहायता समूह एक ऐसा संघ है जो माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह आपस मे अपनापन रखने वाले एक जैसी समस्याओं से पीड़ित अभिभावकों का ऐसा समूह है, जो अपनी समस्याओं को सुविधा जनक तरीकों से सुलझाते है। इसमें दिव्यांग बच्चो के माता-पिता अपनी-अपनी समस्याओं को आपस सांझा करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करते है।

4.8 अभिभावक संवय सहायत समूह–आखिर क्यों?

परिवार में अक्षम बच्चें के जन्म से अनेको समस्याएं होती है। अक्षमता का परिवार के ऊपर गहरा प्रभाव पडता है। किसी भी परिवार में अक्षम बच्चे का जन्म होने पर अलग-अलग प्रतिक्रियांए देखने को मिलती है। एक अक्षम बच्चे के सामाजिक-आर्थिक एवम् विकास हेतु परिवार एंवम अभिभावको की मुख्य भूमिका होती है। इसी संदर्भ में अगर हम देखे तो पिछले दो दशकों से स्वयं-सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है। समुदाय की भी इसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेंवारी वाली भूमिका रहती है। अगर आप देखे तो समुदाय आधारित पुर्नवास ने भी विकलांग-जनां े को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने में सहायता प्रदान की है। इसमें परिवार या स्वयं विकलाग जनों के समूह स्व-आत्मनिर्भर

होकर सिर्फ अपना ही नहीं अपितु अपनें पारिवारीक सदस्यों की भी सहायता की है चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। बहुत से सामुदायिक कार्यक्रम ऐसे है जिन्होंने अभिभावकों एवम् विकलांगों की सहायता की है ताकि वह अपना जीवन स्वाभिमान तथा स्वंतंत्रता पूर्वक व्यतीत कर सके। विकलांग व्यक्ति तथा अन्य ऐसे अभिभावकों का लक्ष्य सिर्फ स्वंतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना ही नहीं है अपितु इन्हे ऐसे समूह की भी आवश्यकता है जो इन्हे समझ सके, इनकी सहायता कर सके और इनके साथ सहानुभूति तथा समानुभूति पूर्ण ;ैलउचंजीजपब. म्उचंजीमजपबद्ध संबंध स्थापित कर सकें। ऐसे समूह एक मंच के रूप में कार्य करता है जिसमें वह मिलते हैं,चर्चा करते है और बाहर की दुनिया के लिए अपनी जरूरतो और हितों का प्रतिनिधित्व करते है। अब अधिकतर राज्य-प्रशासन एंव सरकार विकलांग लोगों कि विशेष जरूरतो तथा अधिकारो को पहचानना आरंभ कर दिया है तो ऐसे समूह सामूहिक रूप से काम कर सकतें है। वह एक साथ मिलकर प्रशासन व अन अधिकारियों से समर्थन प्राप्त कर सकते है, उन अधिकारों के लिए जो इन्हें दिए गए है। वह अपनी आवाज उठा सकते है अपने मौलिक अधिकारों के लिए और कह सकते है कि यह उनका अधिकार है कोई दया नहीं। अभिभावकों को स्वयं सहायता समूह में व्यवस्थित करना स्थिति और जरूरत के आधार पर अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। इस तरह का एक मंच अपने आप को किसी भी समुदाय में 'दृश्यमान' करने में मदद करता है। समुदाय के लोगो को भी जानकारी प्राप्त होती है कि विकलांग समाज पर या परिवार पर बोझ नहीं है अपितु वह भी समाज के अभिन्न अंग है। समूह के सदस्य एक दूसरे की सहायता विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं जैसे कि एक-दूसरे को परामर्श सेवाओ कि जानकारी देकर, अन्य संसाधनो के बारे में बताकर, किसी परिवार को निर्णय लेने में मदद देकर, सामाजिक एंवम व्यक्तिगत इत्यादि। एक स्वयं सहायता समूह दूसरे समूहों से मिलकर अपने लिए विभिन्न उपकरण, योजनाओं, आदि के लिए स्व-वकालत कर सकते है। एसे मिलकर वह अपने समाज तथा समुदाय में भी एकीकृत हो सकते है।

अभिभावको को संगठित करने के लिए आवश्यक बातेः

- सभी को चर्चा के लिए एक कार्यवली के साथ नियमित बैठको में उन्हे एक साथ लाना व आना चाहिए।
- अभिभावको को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए, सभा के लिए एक आसानी से पहुंचने वाले स्थान का चयन करना चाहिए।
- सभा में उन मामलो में चर्चा करनी चाहिए जो उनके साथ सीधे जुड़े हुए हो तथा उनके लिए चिंता का विषय हों।
- समूह को स्वयं से एक नेता और एक सहायक नेता चुनना चाहिए। लेकिन यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह चुने गए नेता समूह पर हावी न हों और केवल वह अपने हित के मामलो के बारे ही न सोचे व चर्चा करें।

- आम हित के मुददों और विंकलागता के मुददों जैसे कि विकलांगता की स्थिति, कारणों, विकलांग लोगों की जरूरतो, अधिकारों, अवसरो की कमी, सामाजिक पृथककरण आदि विषयो पर चर्चा करनी चाहिए तथा भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए।
- अगली बैठक से पहले समूह सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना व जिम्मेंदारियां बांटना, ताकि वह अपनी जिम्मेंवारी व कार्य पूरा कर सके।
- समूह के अन्य सदस्यों को सरकारी योजनाओं व अन्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में अवगत कराना। तभी अभिभावक अपने विचार मंच पर सांझा कर सकते हैं व अपनी योग्यता व स्थिति के अनुसार अपना कार्य व रोजगार आंरभ कर सकते है।
- सभी अभिभावक एकजुट होकर तभी कार्य कर सकते है जब उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहल की जाए। स्व-सहायता समूह तभी स्वंतत्र रूप से कार्य कर सकता है जब उन्हे इतना सक्षम बना दिया जाए की वह अपनी जरूरतो तथा अधिकारों के लिए स्वयं पहल कर सके। इन सब के लिए अगर किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता भी लेनी पडे तो ले लेनी चाहिए।
- बचत और क्रेडिट प्रबंधन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान होनी चाहिए।
- आय बनाने और बढ़ाने वाली गतिविधियों, संसाधनो को बढ़ाने आदि संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए तथा इससे संबंधित जानकारी सदस्यों की दी जानी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह के गठन में कुछ जोखिम भी होते है जैसेः-

a. समूह उन्हीं लाभों पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है जो वे सरकार और अन्य योजनाओं से प्राप्त कर सकते है।
b. समूह बचत और क्रेडिट कार्यक्रमों पर ध्यान बहुत अधिक ध्यान दे सकता है।
c. समूह के नेता समूह पर हावी हो सकते है। नेता समूह के लाभ को छोड़कर केवल अपने लाभ के बारे में सोच सकते है।

4.9 अभिभावक स्वयं सहायता समूह की स्थापना के विभिन्न चरण

अभी तक आप जान गए हैं कि स्वयं सहायता समूह आपस में अपनापन रखने वाले ऐसे अभिभावकों का समूह है जो स्वेच्छा से किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होते है। यह लक्ष्य एक-दो या इससे अधिक हो सकते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इनका संगठित होने का कारण होता है। स्वयं सहायता समूह को स्थपित करने के निम्नलिखित चरण हैः-

चरण 1 समुदाय या गाँव प्रवेश:

पुनर्वास विकास अधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा के बारे में समुदाय, अभिभावकों और विकलांग लोगों को सूचित करना है और इन्हे अपने समुदाय में स्वयं

सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक बार चर्चा हो गई और संबंधित लोगों और अभिभावकों ने स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय ले लिया या कर लिया तो समूह को आगे की कार्यवाही के लिए सामुदायिक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। निर्वाचित अधिकारी समुदाय के प्रमुख व्यक्ति होते है इसलिए उन्हें शुरूआत में सम्पर्क किया जाना चाहिए। समुदायिक अधिकारियों के साथ बैठक में समूह के उद्देश्यों, योजनाओं और गतिविधियों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए और उन पर सहमत होना चाहिए। केवल दो पार्टयों के समझौते के बाद स्वयं सहायता समूहों का गठन होना चाहिए।

चरण 2 अक्षम लोगों का विवरणध् तथ्य

गाँव में महत्वपूर्ण लोगों से सम्पर्क करके, एक अनौपचारिक तरीके से डेटा एकत्र किया जा सकता है। चँूकि सामुदायिक अधिकारी अपने समुदाय को अच्छी तरह से जानते है और वे जानते है कि विकलांग लोग और उनके अभिभावक कहाँ रहते है। उनके लिए ऐसे परिवारों की पहचान करना मुश्किल नहीं होता है। एक ऐसा मंच जिसमें अक्षम लोग, अभिभावक, स्वयं-सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और पुनर्वास श्रमिक शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति की विकलांगता के स्तर को और प्रकारों का निर्णय ले सकते है। आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद, सभी सक्षम लोगों व उनके अभिभावकों को एक सुलभ जगह में जन बैठक के लिए बुलाया जाना चाहिए। जितना संभव हो इस बैठक में भाग लेने के लिए गाँव के अध्यक्ष वार्ड सदस्य, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वयं सेवकों और सामाजिक कार्यकर्ता को भी आंमत्रित किया जाना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्यों पर चर्चा करने के बाद ही एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा सकता है। इसमें उन अभिभावकों की इच्छाएं और समस्याओं पर भी चर्चा की जानी चाहिए जो स्वयं सहायता समूह गठित करना चाहते है।

चरण 3 लक्ष्य समूह की पहचान

समूह के गठन के बाद सभी समूह सदस्यों को लक्ष्य समूह की पहचान करने में भाग लेना चाहिए। अभिभावक किसी भी प्रकार की विकलांगता से संबंधित हो सकते है अर्थात उनके बच्चे किसी भी विकलांगत के हो सकते है। मुख्य विकलांगताएं निम्न होती है जैसे मानसिक मंदता, दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, शारीरिक विकलांगता बहु-विकलांगता इत्यादि। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा हम विकलांगता के अनुसार समूह को गठित करे। एक समूह में मिश्रित विकलांगता के अभिभावक भी हो सकते है।

चरण 4 विकलांग लोगों के अभिभावकों का स्वयं सहायता समूह का गठन करना

एक स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया स्थानिय स्थिति और आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। सांख्यिकीय आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद अभिभावकों की स्थिति का ध्यानपूर्वक विशलेषण करना चाहिए। स्थिति की गंभीरता व्यक्तिगत विशेषताओं, आवश्यकताओं, भौगौलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए एक समूह में अभिभावकों की संख्या का गठन किया जाना चाहिए। एक दिशा निर्देश यह हो सकता है कि वे ही अभिभावक एक समूह बनाए जिन्हे बैठक में पँहुचने के लिए

आधे घण्टे से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में 5 से अधिक परिवार हो तो एक और समूह का गठन किया जा सकता है। सामान्यतः 10 से 15 या 15 से 20 अभिभावकों का समूह ठीक रहता है। परन्तु ध्यान रहे कि दूरी के लिए कोई कठिन या स्पष्ट नियम नहीं है। बैठक (उममजपदह) का स्थान सभी सदस्यों के लिए सुलभ होना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों पर मिलकर चर्चा कर सकें। प्रत्येक समूह में एक समन्वयक या नेता होना चाहिए। आयु, लिंग, जाति, धर्म या विकलांगता के प्रकार आदि किसी समूह की सदस्यता को प्रतिबंधित (त्मेजतपबज) नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास पुनर्वास में मदद करने में अनुभव है, रूची है उन्हें एक सलाहकार समूह बनाने के कहा जा सकता है। स्वयं सहायता समूह और सलाहकार समहों गठन में पिछले अनुभवों के साथ अन्य संगठनों से सलाह ली जा सकती है। अपने स्वयं के कार्यक्षेत्र में अन्य स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहायता के लिए इस तरह के संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

चरण 5 मीटिंग (डममजपदह):-

पहली बैठक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सामान्य तौर में बैठक में बहुत सी परस्पर क्रियाएं होती है और बातचीत होती है। बैठक में सकारात्मक व नकारात्मक दोनो तरफ से चर्चा होनी चाहिए। अन्त में बैठक का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और आमतौर पर ये बैठके महीने में एक बार होनी चाहिए। बैठक में लिए गए फैसले निष्कर्षो की मुख्य बातों को लिखा जाना चाहिए और सभी सदस्यों को बता कर उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए। कभी कभी स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक तरीकों से भी मिल सकते है। इस प्रक्रिया को प्रभावी ढ़ग से चलाने के लिए, सभी सदस्यों के विचारों को हर समय ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसलिए सभी सदस्यों को सभी बैठकों के लिए बुलाया जाना चाहिए।

मीटिंग प्रक्रिय􀀀

सचिव को समन्वयक से परामर्श करके, फिर सदस्यों को नियमित बैठकों की तारीख समय, स्थान और एजेंडे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए। समय ऐसा होना चाहिए कि वह सभी सदस्यों के लिए उपयुक्त हो प्रयास करना चाहिए कि जब तक सभी सदस्य उपस्थित न हो तब तक बैठक शुरू नहीं की जानी चाहिए। बैठक (उममजपदह) शुरू होने से पहले सभी मुख्य बिन्दुओं को एकत्रित कर लेना चाहिए। बैठक शुरू होने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य बिन्दुओं के अलावा कोई अन्य असंबंधित बिन्दु शामिल न हो। सभी बिन्दुओ को एक-एक करके निपटाना चाहिए। हर बिन्दु को सभी के समक्ष स्पष्ट करना चाहिए एवं विचार विमर्श करना चाहिए। सदस्यों के सुझावों को भी अन्त में सम्मिलित करना चाहिए। अध्यक्ष को ऐजेंडा को प्राथमिकता देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। आमतौर पर वितीय मामलों में सभी सदस्यों के मध्य समझौता होना चाहिए ताकि बाद के झगड़े या वाद-विवाद से बचा जा सके। वितीय मामलों के अलावा अन्य मामलों में सदस्यों के मध्य 51 प्रतिशत का समझौता पर्याप्त होता है। अर्थात 51 प्रतिशत सदस्य अगर सहमत है तो मामला स्वीकार्य होगा। भविष्य के संदर्भ के लिए ‘‘मीटिंग के मिनट’’ सही ढ़ग से दर्ज किए जाने चाहिए। बैठक के अन्त में,

सचिव को 'मिनटों' को पढ़ना चाहिए और अगर सभी सदस्य सहमत है तो सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए। कार्यकारी सदस्यों जैसे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को समूह के सदस्यों द्वारा चुना जाना चाहिए। यह कार्यकारी निकाय मासिक बचत, ऋण देना, ऋण भुगतान, आवेदकों का चयन इत्यादि करने का निर्णय लेती है। आवश्यकतानुसार बैठक कभी भी की जा सकती है।

बैठक के अच्छे प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक:-

- सभी अभिभावकों को बैठने का स्थान होना चाहिए। विशेषतौर पर अगर कोई विकलांग है तो उसका बैठने का प्रबन्ध तो होना ही चाहिए।
- बैठक का स्थान आरामदायक व खुला होना चाहिए।
- बैठक का समय सभी के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- अस्वीकार्य एवं भद्दी भाषा को प्रतिबधित किया जाना चाहिए।

चरण 6 स्वयं -सहायता समूह की गतिविधियां

स्व-सहायता समूह के गठन के बाद सभी समूह सदस्यों को निम्नलिखित कार्य/गतिविधयों में भाग लेना चाहिए।

1. जागरूकता बढ़ाना - अभिभावकों द्वारा समूह बनाना ही पर्याप्त नहीं है उन्हे आम जनता, सरकार, अन्य अभिभावकों, विकलांगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने, सूचनाएं प्रदान करना, चर्चाएं करना, समाज को सवेंदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।
2. मूल्यांकन की आवश्यकता- समूह में सभी अभिभावक सदस्यों की जरुरत, समाज में उनकी स्थिति, अभिभावकों की योग्यताएं इत्यादि को साक्षात्कार और टिप्पणियों के माध्यम से ध्यानपूर्वक विशलेषण किया जाना चाहिए।
3. आत्मविश्वास का निर्माण - सभी अभिभावकों को और विकलांगजनों को अपनी योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए या फिर समूह को आपस में अपने अनुभवों को सांझा करके एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। इसके साथ-साथ वह अपने सुझावों, अवलोकनों, सहयोग, संवेदीकरण, द्वारा, ज्ञान और सूचनाओं का प्रसार करके भी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते है एवं एक दूसरे की सहायता कर अपना और समूह में अन्य सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ा सकते है।
4. प्रशिक्षण :- एक बार व्यक्तिगत सदस्यों और समूह की जरुरतों की पहचान कर ली जाती है तो उसके बाद उनके लिए प्रशिक्षण, चर्चाओं, कौशल-हस्तांतरण, सेमिनार, कोचिंग और फील्ड यात्राओं के माध्यम से व्यवस्थित की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति विशेष की भी आवश्यकता प्रशिक्षण के लिए पड़ती है तो उसका भी प्रबंध किया जाना चाहिए। नीचे कुछ गतिविधियां या रोजगार बताएं गए है जिन्हे स्वयं सहायता समूह या विकलांगजन प्रशिक्षण प्राप्त कर आरंभ कर सकते है जैसे साबुन बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, चॉक बनाना, लिफाफे-बैग

बनाना, सिलाई-कढ़ाई, दर्जी का काम, विभिन्न वस्तुएं बनाना, , अगरबत्ती बनाना, पापड़-बड़िया बनाना, फूल बेचना, कैटीन लेना व खोलना, इत्यादि। इसमें अभिभावक विकलांग बच्चों को शामिल कर स्वयं व उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते है। इसमें दोनों में आत्मविश्वास के साथ-साथ अर्थिक मजबूती भी आती है।

5. प्रेरणा - सभी सदस्यों को समूह के उद्देश्यों से अवगत होना चाहिए, समूह क्या है? यह क्यों बनाया गया है? इसके उद्देश्य और नीतियां क्या है? यह सभी को स्पष्ट होना चाहिए। यदि उन्हे समूह के उद्देश्यों और नीतियों पर भरोसा है, तो वह स्वयं अपने कार्यों को प्रभावी ढ़ंग से करने में सक्षम होगें। उन्हे यह भी जानना चाहिए कि सरकार या गैर सरकारी संगठन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। विकलांगजनों को किन कठिनाई को सामना समाज में करना पड़ता है? समुदाय या पंचायत स्तर पर क्या-क्या नीतियां है? इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी खोजना व ध्यान से जाँच की जानी चाहिए और सभी संबधित व्यक्ति या विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए।
6. समूह के नियम, नीतियों और सिद्धातों का विकास करना - ऐसे परिवार जिनमें विकलाग बच्चे का जन्म होता है। उन्हे अक्सर पडोसियों और समुदायो द्वारा उपेक्षित या दया की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार उनके द्वारा यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये उनके पिछले कर्मों का फल है। अभिभावकों को अपने और बच्चों के अधिकार, गरिमा, और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। समूह की नीतियों और नियमों को विकसित करते समय राष्ट्रीय नीतियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चरण 7 बचत और ऋण योजना की स्थापना

बचत क्या है? आज अर्जित धन से, एक व्यक्ति कल, या अगले सप्ताह के लिए कुछ पैसे अलग रख सकता है यह बचत है। आप सभी भी कही न कहीं बचत करते होगें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस धन का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रणाली को बहुत पुराने समय से नियोजित किया गया है।

समूह बचत एक स्वयं-सहायता समूह सदस्यों और समूह कि गतिविधियां‍ि से मासिक बचत करके धन एकत्र करता है। संगठन के विकास और स्थिरता के लिए, एक समूह निधि आवश्यक है। सदस्यों का समूह कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे शामिल होने से वह लम्बे समय तक समूह मे शामिल रहते हैं। ऐसे अभिभावकों और विकलांगजनों के स्थायी समावेश और आर्थिक विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

ऋण आर्थिक गतिविधियों के लिए बचत, अनुदान और ऋण की आवश्यकता होती है। एक ऋण एक ऐसी राशि है जो किसी निश्चित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए बैंक से लिया जा सकता है। आम तौर पर लोगों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपार्श्विक संपति को जमा करना होता है। लोगों की जरूरतो को पूरा करने के लिए हर जगह ऋण उपलब्ध है। ऋण अल्पकालिक एवम् दीर्धकालिक हो सकता है। एक अल्पकालिक ऋण स्ंव-सहायता समूह के लिए आवश्यक या अच्छा होता है। इसे

इसलिए पंसद किया जाता है क्योंकि इसके कुछ फायदे है जैसे व्यापार मे लगाने के लिए ताकि कमाई की जा सके, आसान उपलब्धता, रोजगार मुखी प्रशिक्षण के लिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए जैसे-चिकित्सा उपचार या अन्य आपदाओं के लिए, रोजगार उन्मुख गतिविधियों के लिए, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए जैसे विवाह या अत्येष्टि इत्यादि के लिए।

ऋण भुगतान इसमें पूर्व-व्यवस्थित स्थितियों के अनुसार समूह खाते में पैसा वापस करना शामिल है। समूह का उद्देश्य न केवल ब्याज से पैसा कमाने के लिए है, बल्कि सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना हैं।

ब्याज-दर ब्याज मूल राशि पर लिया गया अतिरिक्त धन है जो दोनों कि सहमति से (ऋण देने वाले और लेने वाले) निश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दो मे हम कह सकते कि श्प्दजमतमेज पे जीम दमहवजपंजमक ंउवनदज व िउवदमलश् जिसे उधारकर्ता द्वारा किसी निश्चित तिथि से पहले मुख्य ऋण के ऊपर ऋणदाता को भुगतान किया जाता है। यह दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के द्वारा तय किया जाता है। समूह किसी भी राशि को उधार देने से पहले अपनी बैठक के दौरान ब्याज दर को निश्चित कर सकता है।

चरण 8 एक कार्य योजना तैयार करना

यह उपलब्ध तकनीकी, प्रबंधकीय ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के साथ समूह के सदस्यों के विचारों और उम्मीदों पर आधारित होना चाहिए। समूह में प्रत्येक सदस्य के कार्य योजना पर चर्चा की जानी चाहिए और इसे समूह में तैयार करना चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्यों सभी सदस्यों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

चरण 9 समाजिक गतिविधियों में भागीदारी

स्व सहायता समूह सामाजिक सेवाओं मे भाग ले सकते हैंजैसे कि व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के लिए सेवाएं समूह के सदस्यों को गांव विकास गतिविधियों जैसे बैठकों, सड़क निर्माण/मरम्मत, स्कूल समितियों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पेयजल प्रावघान, कृषि विकास, वन विकास, उद्योगों, सामुदायिक कार्यक्रमों इत्यादि में भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह विकलांग जन तथा अभिभावक भी समुदाय में विकास में अपना योगदान दे सकते है। वह सामुदायिक संसाधनों के विकास में अपना श्रमदान तथा भागीदारी दे कर समाज का अभिन्न अंग बन जाते है। इसके साथ-साथ विकलांग जनो को समुदाय में सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल कर उन्हें सम्मान प्रदान किया जा सकता है। इसमें उनमें भी समाज के प्रति आस्था और समुदाय में उनके प्रति जागरुक्ता बढ़ जाती है।

चरण 10 नेटवर्किंग

समूह सरकारी कल्याण नीतियों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को विकसित कर सकते है। वह गैर-सरकारी संगठनों से सहयोग प्राप्त कर उनकी सेवाएं ले

सकते है। वह अपने स्तर पर दूसरे स्वयं सहायता समूह में चल रही गतिविधियों का ब्योरा प्राप्त कर उनकी भी सहायता ले सकते है।

चरण 11   समस्या सुलझाना

समूह अक्सर उन समस्याओं का सामना करते है जिससे समूह को कुशलतापूर्वक चलाने में परेशानी होती है। इसमें अधिकतर समस्याएं होती है जो अक्सर आपसी तालमेल न हाने के कारण आती है। इसमे मुख्यतः सम्प्रेषण की कमी, द्वन्द, टकराव, विरोध, आपसी मतभेद शामिल होते है। क्या गलत हुआ, ये कैसे हुआ, इसे कैसे बदला जा सकता है, रोका जा सकता है, इन सब का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर या उनका विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान कर सकते है।

1. समस्याओं को पहचानना और उन्हे समझना।
2. समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने के लिए सुझाव देना।
3. सभी सुझावों का मुल्यांकन कर, उचित सुझावों का चयन कर उन्हें अमल में लाना अर्थात समाधानों का चयन करना जो समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो।
4. एक कार्य योजना बनाना जिससे समाधानों को लागू किया जा सके।
5. अंत में लागू की गई कार्य योजना (।बजपवद च्संद) का आकंलन कर परिणामों की जाँच करना।

इस तरह अभिभावक स्वं-सहायता समूह या अन्य किसी भी तरह का समूह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाकर आगे बढ़ सकने में सक्षम हो सकता है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानसिक मंद बच्चों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हैं तथा उनके लिए रोजगार में आरक्षण भी नहीं है। ऐसे में अभिभावकों को स्वंय अपनें बच्चे के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पडती है। स्वयं सहायता समूह वह माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार मानसिक मंद बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्घ कराती है। इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इसके अन्तर्गत कुछ मानसिक मन्द व्यक्तियों और अभिभावक मिलकर एक समूह का निर्माण करते है जिसका उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होता है। इस समूह में कम से कम 18 सदस्य होने चाहिए। इसमें अभिभावक या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा परिक्षण दिया जाता है। इसमें कार्य का विभाजन सबकी योग्यताए क्षमता एवं सुविधा के अनुसार किया जाता है। इसमें जो आमदनी होती है, उसका सदस्यांे में समान्य विभाजन किया जाता है।

समूह की आमदनी का एक हिस्सा समूह के कोष में रखा जाता है, जिसका उपयोग आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर सदस्य कम ब्याज दर से प्राप्त कर सकते है। स्वयं सहायता समूह को सरकार भी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से अभिभावक एवं निःशक्त व्यक्ति मिलकर स्वयं सहायता के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते है। उपरोक्त के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत कभी कभी अभिभावकों द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण क्रिया कलाप भी आयोजित किया जाते है।

राज्य और केंद्र सरकार की अनेको ऐसी योजनाएं हैं जो दिव्यांगजनों स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकलांग वित तथा विकास निगम ; (National Handicapped Finance and Development Corporation; NHFDC) विकलांग व्यक्ति अथवा व्यक्तियो के समूह को वितीय रूप से लाभदायक व्यापार स्थापित करने के लिए 2.5 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान करता है। यह ऋण तब दिया जाता है जब विकलांगता का स्तर 40 प्रतिशत से ज्यादा हो और उस व्यक्ति की पारिवारिक आय ग्ार्मिण क्षेत्रों के लिए 80,000 रू. सालाना से कम तथा शहरी इलाकों के लिए 1,00,000 रू. सालाना से कम हो। राज्य और केन्द्र तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों जैसे सी.बी.आर फोरम, सीबीआर नेटवर्क, एक्शन एड, सी.ए.पी.ए.आर.टी. (कापार्ट) कि अनेको ऐसी योजनाएं है जिनका लक्ष्य समूदाय आधरित उपागमों के जरिए विकलांग व्यक्तियों का पूर्ण पूनर्वास करना है और इन योजनाओं के तहत आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्ति को वितीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई राज्य स्तर की ऐसी ही एक योजना है श्विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वास संबधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programe for Rehabilitation of Persons with Disabilities; NPRDP) अभिभावक भी योजनाओं तथा अन्य योजनाओं का पता कर अपने बच्चेके लिए कोई आर्थिक गतिविधी आरंभ कर सकते है। वह इन योजनाओंका लाभ उठाकर अपने दिव्यांग बालक को आत्मनिर्भर कर सकते है।

4.10 सारांश

परिवार मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण समूह है जिसका प्रमुख कार्य जैविक और सामाजिक उत्पादन है। परिवार की प्रमुख जिम्मेदारी उसके परिवार की जरुरतों से संबंधित होती है। जिसमें विवाह, सन्तानोत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, खान पान, रहन-सहन तथा समाजिक, आर्थिक जिम्मेदारियां सम्मिलित होती है। जब आप विकलांगता की बात करते है तो यह जिम्मेदारियां और भी आवश्यक हो जाती है। विकलांगजन बहुत बार अपनी आर्थिक जरुरतों के लिए दुसरों पर निर्भर रहता है। अभिभावकों भी इसी चिंता से ग्रस्त रहते है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अभिभावक और विकलांगजन आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरुक होते है, जैसा आप जान चुके है कि विकलांग बच्चे के माता पिता की प्रमुख भुमिका होती है। अब आप जान गए है कि स्वयं सहायता समूह एक स्वैच्छिक समूह है जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होता है। स्वयं सहायता समूह विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गठित किए जाते है जैसे आर्थिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए, जागरुकता बढ़ाने के लिए, अधिकारों कों प्राप्त करने के लिए इत्यादि।

अभिभावक स्वयं सहायता बनाने के विभिन्न चरण होते है। यह सब भी आपने इस ईकाई में पढ़ चुके है। समूह की विशेषताओं के बारे में भी अब आप जान गए है जैसे कोई भी अभिभावक स्वयं सहायता समूह किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है, सदस्यों की संख्या समूह के अनुसार कम

ज्यादा होती हैं। समूह में एक नेता होता है, समूह के सदस्यों की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती है। समूह की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ की सहायता भी ली जा सकती है। आज के समय में अभिभावक स्वयं सहायता समूह और विकलांगजन स्वयं सहायता समूह बनाना आवश्यक है और उन्हें हर जगह फैलाना और भी जरुरी। यह सभी दिव्यांगों और उनके अभिभावकों को स्वालम्बन के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करते है। किसी एक परिवार के लिए बैंक या अन्य जगहों से ऋण लेना मुश्किल होता है पर समूह बनाने से उन्हें काफी फायदा होता है। अब आप जान गए है कि सहायता समूह क्या होता है? और अभिभावकों को समूह बनाने से क्या-क्या लाभ प्राप्त होते है? यह सब आपने इस ईकाई में पढ़ लिया है।

4.11 शब्दावली

SHG – Self Help Group

PSHG – Parent Self Help Group

NHFDC – National Handicapped Finance and Development Corporation

NPRDP – National Programme for Rehabilitation of Persons with Disabilities

SGSY – Swarna jayanti Gram Swarozgar yojana

समूह - समूह साधरणतः दो अथ्वा दो से अधिक लोगों की एक ईकाई होती है जो एक उद्देश्य के तहत संपर्क में आते है और संबंधों को अर्थपूर्ण ढ़ंग से समझते है।

स्वयं सहायता समूह - व्यक्तियों का एक सवैच्छिक समूह जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित होता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नः-

1) अभिभावक स्वयं सहायता समूह का अर्थ क्या है?
2) अभिभावक स्वयं सहायता समूह की क्या आवश्यकता है?
3) स्वयं सहायता समूह के चार अवस्थाओं का संक्षिप्त रुप से वर्णन कीजिए।
4) अभिभावक स्वयं सहायता समूह की क्या विशेषताएं होती है?
5) स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य क्या है?
6) अभिभावक स्वयं सहायता समूह के चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
7) किसी भी समूह में प्रयोग लाए जाने वाले रजिस्टरों के बारें में बताईए।

4.12 संदर्भसूची

- Desai A.N. (1995). *Helping the Handicapped: Problems and Prospects*, Vikas Publishing
- house, New Delhi.
- Inclusion-Ghana.Org/Resources/Brochures/Self Help Kit. *Forming and Maintaining a Parent Self Help Group: A discussion guide for parents / caregivers of persons with intellectual disabilities* pdf
- Mishra,N. Article-*Self-Help Group (SHG) of India: Meaning, Need and Objectives*
- Pandey R.S and Advani L.(1995), *Perspectives on Disability and Rehabilitation*,Vikas Publishing House, New Delhi.
- Thressiakutty, A.T. and Govinda Rao,L. *Transition of persons with Mental Retardation, From School to work* . NIMH,Secunderabad; 2001.
- Tuckman, Bruce W (1965). "*Developmental sequence in small groups*". Psychological Bulletin. 63 (6): 384–399.

इकाई 5- अभिभावक-व्यावसायिक संबंध (Parent-Professional Relationship)

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 परिवार -एक परिचय
5.4 अभिभावको की भूमिका
5.4.1 अभिभावक-अध्यापक सम्बन्ध
5.4.2 अभिभावकों के साथ कार्य करने के लिए कुछ प्रभावित मार्गदर्शन
5.5 अभिभावक समस्याएं
5.6 दिव्यांग बच्चों, माता-पिता में पाए जाने वाले मुख्य व्यवहार मनोभाव
5.7 अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन
5.8 अभिभावक-व्यावसायिक संबंध के लाभ
5.8.1 व्यावसायिक की विशेषताएं
5.8.2 अभिभावक व विशेषज्ञों का संबंध
5.8.3 परिवार-व्यावसायिक कार्यकारी आदर्श
5.8.4 अभिभावक-व्यावसायिक सहभागिता की सफलता के लिए सुझाव
5.9 अभिभावक-व्यावसायिक संबंध हेतु मुख्यबिन्दु
5.10 सारांश
5.11 शब्दाबली
5.12 स्वमूल्यांकन हेतू प्रश्न
5.13 संदर्भ सूची

5.1 प्रस्तावना

परिवार समाज की सबसे छोटी ईकाइ है, जिसमें सदस्यों के रूप में विपरित लिंगो के दो व्यक्ति विवाह के द्वारा साथ में रहते है। मनुष्य के सभी समूहों में से परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह हैं। इसमे बच्चों सहित शामिल होते है, जिसमे एक दुसरे के प्रति अपेक्षाएं-आशाएं भी होती है और अपेक्षाएं-आशाएं उनकी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि के अनुसार बनती है। ये आशा तब धुमिल सी होने लगती है जब अभिभावको को अपने बच्चों की विकलागंता के बारे मे पता चलता है। यदि विकलागंता गहन है तब उनके लिए यह कठिन एवंम दयनीय स्थिति बन जाती है। जैसा आपने पिछले अध्याय मे पढ़ा कि पुर्नवास कार्यक्रम में अभिभावको को शामिल करना अति अवाश्यक होता है उनको प्रशिक्षित करने का सबसे अधिक लाभ बालक को मिलता है। उनके प्रशिक्षित में

विभिन्न तरह के व्यावसयिको की आवश्यकता होती है । इस अध्याय मे आप यही सब जानेगें कि अभिभावक व्यावसायिक संबध कैसे होने चाहिए? ये क्यांे आवश्यक है ?

5.2 उद्दश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्यन के बाद आप बता सकेगें

पुर्नवास मे परिवार की भुमिका

1. अभिभावक व्यावसायिक संबधों के बारे मे जानेगें
2. अभिभावक - व्यावसयिक सहभगिता के लाभ बता सकेगें
3. अभिभावको की समस्याओ के बारे मे जानेगं

5.3 परिवार – एक परिचय

बच्चें की विकास प्रकिया प्रकति की जटिल बुनाई (ताने-बाने) के जरिये होती है तथा उनके विकास व पोशण में परिवार की अहम भूमिका होती है, बच्चो का जन्म जब होता है तो वह कुछ आतंरिक गुणों से युक्त होते है उनमे अलग - अलग स्तर की बुिद्धमता होती है , उनकी प्रवृत्ति भी अलग-अलग प्रकार की होती है। जिस प्रकार से उनकी परवरिश होती है उस पर उनकी उपलब्धियों का स्तर निर्भर करता है परिवार इस बात मे सहायक हो सकता है कि उनमे सही प्रवृत्ति विकसित हो तथा उनकी अधिकतम क्षमता का विकास हो। प्रत्येक बच्चों के पालन पोषण के लिए स्नेह व प्यार की आवश्यकता होती है। यह आम धारणा है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चों जैसा है तथा प्रत्येक बच्चा दूसरे से भिन्न भी है। बच्चे अपने आप मे अद्धितीय तथा दूसरों से अलग होते है कुछ बालक योग्य होते है तथा कुछ नीरस। विभिन्नताओं के बावजूद भी प्रत्येक बालक को अपनी शक्ति को विकसित करने का समान अधिकार है। सही शिक्षा, असमर्थ विधार्थियों तथा बच्चे के अधिकारों की रक्षा करती है।

परिवार के द्धारा उत्पन्न वंचना व अस्वीकृति बच्चे पर विपरीत प्रभाव डालती है और यह प्रभाव तब ज्यादा होता है जब बच्चा विकंलाग होता है। अस्वीकृति किसी भी प्रकार की हो चाहे वह गरीबी के कारण हो या गलत मनोवृत्ति या अज्ञान के कारण, यह बच्चे के पोषण , स्वास्थ्य तथा मनौविज्ञनिक विकास पर प्रभाव डालती है। इसी तरह उपेक्षा किसी भी प्रकार की हो चाहे वह लिगं के कारण हो या अवांछित या अनियोजित गर्भ के कारण, गरीबी या विकलागंता के कारण यह बच्चे की शरिरिक वृद्धि व मानसिक विकास को प्रभावित करती है, परिवार का अर्थ मात्र माता-पिता नही है। परिवार के अर्तगंत कुल-जन दादा-दादी ,नाना-नानी, चाचा-चाची और बच्चे का ध्यान रखने वाले जैसे आया, पडोसी, डॉक्टर तथा अन्य व्यस्क सभी होते है जो अधिकतर बच्चे के संपर्क मे रहते है।

परिव□र□के प्रक□र

- क्रेन्दीय परिवार - इस परिवार मे समान गृह मे वे दम्पति रहते है, जिसमे बच्चें भी उनके साथ हो सकते है और नही भी हो सकते है।
- सयुंक्त परिवार-:-सयुंक्त परिवार छोटे परिवारों का समुह है पिता वे उसके भाई परिवार सहित एक छत के नीचे रहते है। अपने संसाधनों का उपयोग मिल-जुल कर करते है।
- विस्तृत परिवार - -विस्तृत परिवार मे माता-पिता तथा उनके बच्चे और माता-पिता के करीब के रिश्तेदार जो कि निरन्तर परिवार के साथ रहते है। विस्तृत परिवार मे धन की बचत होती है और श्रम विभाजन का लाभ होता है।

शहरीकरण के कारण सयुंक्त परिवार प्रणाली धीरे- धीरे विलीन हो रही है। पहले की तुलना में आजकल एकल परिवार अधिक पाये जाते है। संयुक्त परिवार तंत्र में अनके प्रकार के लाभ होते है जैसे परिवार जनों की संख्या ज्यादा होती है और विकलांग बच्चा उनके साथ सपर्क में होता है। वह अपने प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है तथा माता-पिता अपनी समस्याएं तथा चिन्ताएं अन्य परिवारजनों के साथ बांट सकते है। एकल परिवार में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही होती है। अभिभावकों को इस चुनौती का सामना स्वयं करना होता है।

अभिभावक तथा व्यावसाथिक विभिन्न तत्वों में से वे तत्व है जो कि बच्चे की सफलता में सहायक है। व्यावसायिक कोई भी हो सकता है चाहे वह मनोवैज्ञानिक, परामशर्दाता, अध्यापक,विशेष अध्यापक, भौतिक चिकित्सक इत्यादि। बच्चे की क्षमताएं तब बढ़ती है जब परिवार, स्कूल तथा समुदाय/समाज सभी सहभागी के रूप में या टीम के रूप मे कार्य करते है। परिवारों तथा व्यावसायिकों के बीच सफल सहभागिता का विकास तभी संभव है जब दोनों अर्थात परिवार तथा व्यावसायिक एक-दुसरे की सहभागिता और भुमिका को समझे तथा एक-दुसरे को आदर दें। ऐसे संबंध चाहे विकसित होने में समय लेते है परंतु इनका मुख्य आधार विश्वास है।

स्वमुल्य□ंकन हत□प्रश्न:-

1. संयुक्त परिवर के क्या लाभ होते है।
2. परिवार के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

5.4 अभिभावको की भूमिका

विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों का स्तर तथा महत्ता न तो प्राचीन युग में और ना ही आधुनिक समय से पहले जान पाए है। आध्ुानिक युग में आधुनिकता तथा नगरीकरण के कारण अभिभावक तथा निपुर्णकर्ता के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा है, जो असमर्थता को चुनौती देने के लिए जरूरी है। अभिभावक अपने बच्चों के पहले गुरू अथवा अध्यापक माने जाते है और वे अपने बच्चें के प्रशिक्षण तथा विकास पर जीवन पर्यन्त प्रभाव डालते है चाहे वह स्कूली

शिक्षा ले रहा हो या फिर ले चुका हो। तत्पश्चात भी बच्चा अभिभावक से प्रभावित होता रहता है। स्कूल का भी महत्वपूर्ण कर्तव्य है खास तौर से स्कूल विशेषज्ञो या स्कूल परामर्शदाताओं का, की वह अभिभावकों को अपने बच्चे के भविष्य की शिक्षा के बारे में जागरूक करता रहे। साथ ही साथ इस समय में परिवार कि भी एक अह्म भूमिका होती है। बच्चों की शिक्षा को लेकर तथा उनके भविष्य को लेकर इसी कारण से परिवारों तथा स्कूलों के लिए जरूरी है कि वह सहभागिता अर्थात मिल-जुल कर काम करें। विभिन्न अनुसंधानों से यह पता चलता है कि अच्छे स्कूलों में अभिभावकों तथा समुदाय कि सहभागिता होती है। यह सहभागिता अच्छी और पक्के तौर पर विद्यार्थी की स्मरण क्षमता, प्राप्तियों, उपस्थितियों तथा सम्पूर्ण व्यवहार की सुधारने से जुड़ी होती है। परिवार की सहभागिता, विद्यार्थी स्मरण क्षमता परिवार से सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार पर गहन प्रभाव डालती है। स्कूल में परिवार की सहभागिता सुविज्ञ व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है ।

सामान्यतः अधिकतर अभिभावकगण दर्शक होते है जो कि निरिक्षण करते है, कि स्कूल उनके बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया मे क्या कर रहा है?, उनका विचार है कि स्कूल को ही ऐसा अधिकार है, जिसमें की बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। स्कूल में बच्चे के नैतिक गुणों का विकास होता है। स्कूल में बच्चा अच्छी आदतें सीखता है जैसे- सुबह टीचर की नक़ल करना, अपने दोस्तों को सहयोग करना, अपने सहपाठियों की सहायता करना, लड़ाई-झगड़ा न करना, ग्रुप में खेलना इत्यादि गुणों का विकास स्कूल में ही होता है।

बच्चे की शिक्षा सर्वप्रथम माता-पिता से ही प्रारम्भ होती है। माता-पिता ही बच्चे के प्रथम गुरू होते है। बच्चे की शिक्षा का कार्य सर्वप्रथम माता-पिता से ही प्रारम्भ होता है। यदि उनकों उत्साहित किया जाए तो वे कई भुमिकाओं की कल्पना करते है-

1. वे स्वंयसेवी व स्त्रोतक व्यक्ति है।
2. रोजगार स्त्रोत है
3. नितियां बनाने वाले है।
4. सलाहकार होते है

5.4.1 अभिभावक-अध्यापक सम्बन्ध

विकलांग व्यक्ति के अभिभावकों के द्वारा प्रतिक्रियाओं का जाहिर करना उन कठिनाईयों पर प्रकाश डालती है, जिन्हें वे अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामना करते है। समाज, अभिभावकों को सुडौल, स्वस्थ, बुद्धिमान तथा समाजिक तौर पर उपयुक्त बच्चों का निर्माण करने के लिए उत्तर दायित्व के साथ जिम्मेदार ठहराती है।

अभिभावकों से उम्मीद की जाती हे कि जब वे ऐसा करे तो अपने आप अपनी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखें। जब वे समस्याओं का सामना करते है तो ज्यादातर अभिभावक विभिन्न स्त्रोतों से सलाह लेते है तो इनके अपने अभिभावक, मित्र, रिश्तेदार तथा दुसरे प्रसिद्ध माध्यम् शामिल होते है।

1. मानसिक विकलांग बच्चों के अभिभावक लगभग एक जैसा सामाजिक दबाव का अहसास करते है। जब विभिन्न स्त्रोतो से सहायता प्राप्त करते है। तब अभिभावक अहसास करते है कि वे अकसर बढ़ते हुए दबाव और मांगो के साथ प्रभावित समझौता नहीं कर सकते। हीवर्ड ड्राईंग और रोजर (1979) ने एक विकलांग बच्चें के अभिभावकों के द्वारा अनुमानित किए हुए छः भूमिकाओं की सूचि दी है
2. शिक्षण
3. व्यवहारिक समस्यों का प्रंबध
4. सामान्य बच्चों की शिक्षित करना
5. अभिभावक संबंध जारी रखना।
6. दुसरों को शिक्षित करना
7. स्कूल तथा समुदाय से संबंध रखना।

उन्हे बच्चे के अत्याधिक विकास के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान के साथ सहारे, प्रशिक्षण और विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

5.4.2 अभिभावकों के साथ कार्य करने के लिए कुछ प्रभावी मार्गदर्शन:-

1. कभी भी अनुमान नही लगाना चाहिए कि तुम्हें बच्चें के बारे में अत्यधिक पता है।
2. प्रतिदिन और साधारण बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
3. कथन का समान्यीकरण न करें।
4. अभिभावकों के द्वारा रक्षात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए व डरना नहीं चाहिए।
5. शुरूआत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अभिभावक सफल हो सके। इसमे उनमें एक विश्वास उत्पन्न होता है।
6. यह कहने से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि हमें नहीं पता।
7. ध्यान रहे या रखना चाहिए कि अपका प्राथमिक संबंध बच्चे से है।
8. अभिभावकों की अनुकुलतम वास्तविकता के प्रयत्न में सहायता करनी चाहिए।
9. अभिभावकों के साथ बातचित करते समय उनकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। अगर वह विषय से भटक रहे हो तो कुशलतापूर्वक फिर से विषय पर लौटने का प्रयास करना चाहिए।
10. अभिभावकों के सामने अपनी विषय संबंधी टैकनीकल बातों को बोलने से बचना चाहिए।

5.5 अभिभावक समस्याएं

अभिभावकों को निम्नलिखित कई प्रकार की समस्याओं से जुझना पड़ता है-

1. अभिभावकों के कार्यरत होने की स्थिति में अभिाभावकों पर अधिक बोझ पड़ जाता है और समस्या बहुत अधिक हो जाती है।

2. गृहस्थ कार्य ठीक प्रकार से नहीं बांट पाते है। बच्चे को प्रशिक्षण के कारण अभिभावकगण को तीव्र दुःख या कठिनाईयों से गुजरना पड़ता है।
3. व्यक्तिगत, व्यवसायिक और भावनात्मक दबाव के कारण अभिभावकगण बच्चे केा नजर अन्दाज कर देते है।
4. परिवार केा सहारा न मिलने के कारण अभिभावकगण को भैतिक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आधार पर धक्का लगता है।
5. अभिभावकगण की मृत्यु के पश्चात्, व्यक्ति जो मानसिक मन्द है, उसका भविष्य एक समस्या बन जाता है। यह समस्या सभी अभिभावकगणों के समक्ष होती है।
6. वैवाहिक द्वंद्ध या संघर्ष भी समस्या का एक हिस्सा बन जाता है।
7. अभिभावकगण सामान्यतः विशेषज्ञों पर निर्भर रहते है या बच्चों को संस्याओं में छोड़ देते है। उनके बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पाता।
8. जब बड़े-बूढ़े शामिल हो जाते है तो अधिक छुट और आवश्यकता से अधिक देखभाल संभव तो हो जाती है परन्तु बुजुर्गो के भावनात्मक लगाव के कारण बच्चे को डांटना या सही कर पाना सम्भव नहीं हो पाता और यह भी एक गंभीर समस्या बन जाती है।
9. बच्चें की लालन पालन में अस्थिरता और अनुशासनहीनता स्थान ग्रहण कर लेती है, जब बहुमुखी और संघर्ष पूर्वक बच्चे का लालन-पालन होता है।
10. गलत धारणाओं, धार्मिक तल्लीनता और रिति-रिवाज पर निर्भर रहने से वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रभावित हो जाता है।
11. एक समान विकास की पहुंच में बच्चों में कमी है इस कारण परिवार के सदस्य सहानुभूति दर्शाते है जिसके कारण वैज्ञानिक कार्यक्रम लागू नही हो पाते है।
12. जगह की समस्या या कभी-कभी, बार-बार ध्यान भंग हो जाने के कारण तीव्र संगठित और नियमित कार्यक्रम में रूकावटें आ जाती है।
13. ''एकान्तता'' में कठिनाई होती है, विशेष बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वातवरण बदला नहीं जा सकता।
14. परिवार की लापरवाह अभिवृति से पुर्नवास और व्यवसायिक स्थापन में देरी हो जाती है।

बालकों के संपूर्ण संतुलित विकास में माता-पिता का महत्वपूर्ण येागदान रहता है। माता-पिता तो अपने बच्चों की उचित देख-रेख करते है परन्तु कई बार विशेष बच्चे के जन्म लेने के कारण उनमे कई अवसाद जन्म ले लेते है। जैसे ही किसी अभिभावक को अपने बच्चे की विकलांगता के सदंर्भ में पता चल जाता है तो वह अभिभावकों के लिए कठिन समस्या हो जाती है। उनके मन में आदर्श बच्चे के प्रति जो भावना होती है वह सब अपने टूट जाते है। बच्चे के प्रति अधिक सावधानी की भावनाएं उत्पन्न होती है। पारिवारिक सदस्यों को समाज व अपने ही परिवार के लोगों से 'रिजेक्शन' को

स्वीकार करना पड़ता है। उनमें शर्म की भावना विकसित होने लगती है। वे विकलांग बच्चे को पास-पड़ोस, धार्मिक संस्थानों, बाजार या किसी भी सामाजिक स्थल मंे ले जाने पर अभिभावक शर्म महसूस करते है, क्योकिं उन्हे समाज की अस्वीकृति का भय बना रहता है। विकलांग बच्चे के अभिभावकों के साथ अन्य रिश्तेदार भी डरते है कि जींस/गुणसूत्र के द्वारा कही यह प्रभाव हम तक न पहुंच जाए तथा उनके बच्चे विकलांग उत्पन्न न हो। अभिभावक धीरे-धीरे अपने विशेष बच्चे के साथ संतुलन बनाना प्रांरभ करते है। शुरूआती सदमें से उभर कर बह इसके कारणों को खोजना प्रारंभ करते है। फिर वह बच्चे के साथ समायोजित होकर उसके प्रबन्धन व उसके विकास के लिए कार्य करना प्रारम्भ करते है। अगर आप इस पूरे समायोजन को देखे तेा यह निम्न प्रकार से होता है –

समायोजन प्रक्रिया

मानसिक संकट **(Psychic Crisis)**	विभिन्न रूप (**Manifestations**)	आवश्यकता (**Needs**)
सदमा लगना	भावनात्मक अस्थिरता, संदेह निष्क्रिय होना, अविश्वास तर्क, विरूद्ध/विरोध (कुछ दिनों तक बना रहता है)	सहानुभुति और सहारा
प्रतिक्रिया दौर	दुःख को अभिव्यक्त करता है। गलत भावनाएं एवं धारणाएं असमर्थता, असफलता और प्रतिरक्षा युक्त्यिों का प्रयोग	अभिभवाकों को सुनना, उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण परन्तु ईमानदार तरीके से सच्चाई तथ्यों को प्रकट करना
अनुकुल दौर	विकलंगता को जानना अभिभावकगण पुछते है कि किया जाए। यह तत्परता का चिन्ह है कि हम कैसे उनकी सहायता कर सकते है।	चिकित्सीय तथा शैक्षिणक स्तर पर उपयुक्त सुचनाओं को प्रदान करना।
ओरिएन्टशन दौर	अभिभावक समस्याओं को	अभिभावकों केा उपचार के

	स्वीकार कर लेते है तथा सुचनाओं के द्वारा समस्याओं को किस प्रकार कम किया जाए उनके प्रति कार्य करने लगते है।	लिए नियमित सहायता और मर्गदर्शन उपलब्ध होने चाहिए। चिकित्सा की प्रक्रिया मे निरंतर सहायता व मार्गदर्शन का प्रावधान करना
संघर्ष की समाप्ति	अभिभावक बच्चें के प्रति सजग हो जाते है। वह बालक की अस्थिति को समझ जाते है और यथार्थ स्थिति को अपना लेते है।	उचित सेवाओं को प्रदान करना व अभिभावकों के भ्रम और समस्याओं केा दूर करना।

5.6 दिव्यांग बच्चों के माता–पिता में पाए जाने वाले मुख्य व्यवहार मनोभाव ;

माता-पिता का दृष्टिकोण अपने बच्चों के प्रति बच्चों के विकास व लालन-पालन को प्रभावित करता है। एक 'आदर्श बच्चा' का कनसैप्ट तब झूठा या गलत साबित हो जाता है। जब उन्हें अपने बच्चे के पैदा होने पर उसकी विकलांगता का पता चलता है। वह दुःखी हो जाते है और कई बार बच्चे के प्रति अस्वीकृति वाला व्यवहार दिखाते है। वह असहज महसूस करते है कि किस तरह वह इस बच्चे की देखभाल करें व उसका लालन-पोषण करें। प्राथमिक संवेग उनके बहुत ही दुःख वाले होते है। धीर-धीरे वह अपने बच्चे को स्वीकार करना आरंभ करते है। जैसे कि यह आप पहले ही जान चुके है कि माता-पिता कैसे बच्चे की विकलांगता के साथ समायोजित हेाते है। अभिभावकों के कुछ व्यवहार नीचे बताए गए है और साथ यह बताने का भी प्रयास किया गया है कि यह कैसे बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करते हैः

1. अति-सुरक्षा - माता-पिता की बच्चे के प्रति अति सुरक्षा उसकी देखभाल के लिए हो जाती है। इस कारण बच्चा प्रायः दूसरे पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता सिर्फ माता-पिता पर ही नही बल्कि सभी व्यक्तियों पर हो जाती है जो बच्चे के आसपास रहते है। इस कारण बच्चे में आत्मविश्वास की कमी तथा हीनता की भावना व निराशा पैदा होती हे।
2. अतिभोग/आसक्तिः- अत्यधिक अनुमोदित माता-पिता अपने बच्चों को कुछ भी करने देते है जैसे वह चाहते है। बच्चों पर बहुत कम अनुशासन लगाते है। ऐसे बच्चे अधिकतर अतिभोगी और आसक्ति हो जाते है। ऐसे बच्चे बाद में भी दुसरों से अधिकतम कार्य तथा ध्यान चाहते रहते है। इस कारण ऐसे बच्चे का सामाजिक व्यवहार घर तथा बाहर दोनो ही जगहों पर अच्छा नही हो पाता।

3. अस्वीकार करना:- ऐसे माता-पिता बच्चे को स्वीकार ही नही कर पाते। इस कारण वह बच्चों की आवश्यकताओं तथा जरूरतों की अधिक परवाह नही करते है। ऐसे बच्चों में प्रायः द्वेष, क्रोध, रोष, नाराजगी, लाचारी, विरोध की भावना रहती है। यह भावना अधिकतर उनके प्रति अधिक रहती है। जो उनसे छोटे व कमजोर होते है।
4. स्वीकार करना:- अभिभावकों की बच्चों को स्वीकार करने की भावना, बच्चों के प्रति स्नेह व प्यार को दर्शाती है। ऐसे माता-पिता बच्चों की अच्छे तरह से देख-भाल करते है। वे उनमें अनुशासन व सामाजिक गुणों को विकसित करने का प्रयास करते है। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर, प्रसन्न होते है।
5. पक्षपात ;थ्ंअवनतजपेउद्ध:- माता-पिता कई बार अपने विशेष बच्चे को अधिक ध्यान व प्यार देते है। वह अपने अन्य बच्चो से अधिक विशेष बच्चे का साथ देते है ऐस थ्ंअवनतपजम बच्चे अपने भाई बहनों की नहीं सुनते तथा उन पर अपनी हुकूमत चलाने का प्रयास करते है। उनकी बात न सुनने पर वह क्रोधित हो जाते है तथा कई बार चीजों को भी तोड़ते व फैंकते है।
6. माता-पिता की महत्वकांक्षाए -बहुत बार माता-पिता काफी महत्वाकाक्षी होते है। जब वह अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं कर लेते है और जब वह पूरी नहीं हो पाती तो उनमें हीनता की भावनाएं विकसित हो जाती है। वह क्रोधित हो जाते है और कई बार उनमें असंतोष वाली भावना पैदा हो जाती है।
7. अभी आपने पढ़ा कि अभिभावकों में क्या-क्या व्यवहार उत्पन्न होते है, जब उनके घर में एक दिव्यांग बच्चा पैदा होता है इसलिए इन सब हीन भावनाओं को दूर करने के लिए अभिभावक-व्यवसायिक संबंध होना अति आवश्यक है। इससे वह अपनी हिनता, मनोभावों को समझ सकते है तथा बच्चों के प्रति सकरात्मक रूख अपना सकते है।

5.7 अभिभावक–अध्यापक सम्मेलन

अभी तक आप जान गए होगें कि अभिभावको को प्रोफैश्नल कि आवश्यकता क्यों है? इसका साधारण सा उतर है कि माता-पिता अपने ही विचारों या अर्तद्वन्द्व से विचलित होते है। उन पर सामाजिक प्रभाव व परिवारिक सदस्यों का भी प्रभाव रहता है। जिस वजह से वह अवसाद कि स्थिति में जा सकते है। कई बार वह बालक के प्रति गलत दृष्टिकोण अपना लेते है। उनके लालन-पालन का तरीका भी गलत हो सकता है। परिवार के बाद अध्यापक ही बच्चे के बारे में जानता है व उसके कौशलों तथा कमियों को जान जाता है, जैसे-जैसे बच्चा कक्षा में आना प्रांरभ करता है। अध्यापक-अभिभावकों के मध्य मधुर संबंध होना आवश्यक है। स्कूल में भी ऐसे बालकों के अभिभावकों की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। जिसकी एक कड़ी अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन है। यह स्कूलों में सम्प्रेषण सुविधाओं को चलाने के लिए एक मुख्य साधन है। बच्चों की शिक्षा में सक्रीय भूमिका निभाते व अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अभिभावकों को अत्याधिक महत्व दिया जाता है। बहुत बार

अध्यापक बच्चे के संबंध में मिलने वाली बुरी खबर से चिंतित रहते है। परंतु ऐसी सभाओं से अभिभावक तथा अध्यापक दोनों को ही स्पष्टीकरण का अवसर प्राप्त होता है। लक्ष्य निधारण करके अपासी तकनीको को निर्धारित करते हुए बच्चों को शिक्षण के लिए टीम के रूप में कार्य करते है। अध्यापक-अभिभावक सभा दोनो को अत्याधिक उत्पादक ढंग से सीखने व बात करने का अवसर प्रदान करती है एवं उनके संबंधो को और प्रगाढ़ करती है। ऐसी सभाओं के लिए तीन विकल्प है जैसे- 1. दूरभाषिय वार्तालाप 2. टिप्पणीयां 3. समूह की सभाएं। व्यक्तिगत अथवा समूह के सम्मेलन के लिए भी एक वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाता है। जिसमें वे सुचनाओं का आदान-प्रदान तथा इसके अनुसार बच्चे के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है।

5.8 अभिभावक-व्यावसायिक संबंध के लाभ

परिवार-स्कूल सहभागिता का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के सभी सदस्यों, समुदायों में आपसी प्रभावी सहभागिता को विकसित करना जिसमें अध्यापक अध्यापक, परिवारों तथा विद्यार्थियों का सहयोग भी शामिल है। इस योजना में सहभागिता का काफी महत्व है क्योंकि यह विद्यार्थियों दो विभिन्न दलों अर्थात समर्थ तथा असमर्थ में संबंध स्थापित करती है। इस अभिभावक-निपुणकर्ता सहभागिता में संयुक्त शिक्षा के काफी लाभ है। जिनका इस प्रकार है-

1. समान रूप में महत्वपूर्ण सहयोग।
2. शिक्षाओं की विभिन्न स्कूली तथा घरेलू जरूरतों को पहचानना।
3. शिक्षा को सभी विद्यार्थियों के लिए, कईयों की असमर्थता के बावजूद महत्वपूर्ण तथा लाभदायक बनाना।
4. सभी विद्यार्थियों की जरूरतों का महत्व समझना तथा उन्हें प्रदान करना।
5. स्कूल में पारिवारिक सहयोग की रूकावटों को कम करना।
6. उन रूकावटों का दूर करने के लिए समूचित उपाय ढूंढना।
7. ज्ञान के समान अवसर प्रदान करना किन्तु यह प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के विकास की पहचान नहीं कर सकती।
8. विशेष तथा योग्य विद्यार्थियों को उपयुक्त सहयोग तथा सेवाएं प्रदान करना।
9. व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से नियोजित करना।
10. मनोविज्ञानिक, संवदेनात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर असमर्थ बच्चों की सहायता करना।
11. छात्रों का इकट्ठे मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।
12. विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार कक्षा का आकार कम करना।
13. विद्यार्थियों के लिए कार्यो का बढ़िया स्तर विकसित करना।

14. विद्यार्थियों की स्मरण-क्षमता तथा प्रेरणा को सुधारना।
15. सहायक अधिगम के क्षेत्र में व्यावसायिक कुशलताओ को विकसित करना जैसे उचित अध्ययन, अच्छा पाठ्यक्रम अपनाना आदि।
16. स्कूलों को फंड या अधिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे बच्चों की जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों का विकास कर सकें।
17. उन परिवारों को प्रोत्साहित की जाए जो स्कूल के कार्यक्रमों मे ंभाग लेते है।
18. स्कूल स्टाफ की व्यावसायिक-संतुष्टि प्रापत करने में योगदान देना।

प्रतिभाशाली बच्चों के अभिभावकों के समक्ष यह अच्छी चुनौती होती है कि वे उनकी मुख्य जरूरतों को समझ सके। इसलिए आज सभी अभिभावक अपने बच्चों की इच्छओं तथा जरूरतों को पुरा करने के लिए संघर्ष कर रहे है। परन्तु कुछ अभिभावक अपने बच्चों के लिए अधिक कोशिशें करते है ताकि उनका अच्छा होने के साथ-साथ एक सफल इन्सान भी बन सके। परिवार-स्कूल सहभागिता का विकास सरल नही है। ऐसा प्रयोजन अधिक समय तथा अधिक मदद की मांग करता हे ताकि बच्चों को स्कूली जीवन में तथा स्कूल के बाद के वर्षो के लिए बाह्य क्रियाओं में भाग लेने के लिए योग्य बनाया जा सके।

5.8.1 व्यावसायिक की विशेषताएं :-

व्यावसायिक की विशेषताऐं निम्नलिखित हैंः-

1. अपने विषय की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
2. उसके बातचीत करने का तरीका सही होना चाहिए।
3. उनके व्यवहार सही होना चाहिए ताकि वह अभिभावकों के साथ सही रूप से संबंध बना सकें।
4. व्सावसायिक को अच्छा परामर्शदाता होना चाहिए ताकि वह अभिभावकों को अपनी बातों से संतुष्ट कर सके।
5. व्सावसायिक सही मार्गदर्शक होना चाहिए ताकि वह अभिभावकों केा बच्चे के प्रति सही मार्गदर्शन दे सकें।
6. व्सावसायिक होना चाहिए।
7. व्सावसायिक की रचनात्मक होना चाहिए तथा उसमें धैर्य होना चाहिए ताकि वह माता-पिता की बातों को समझ सकें तथा तर्क संगत उतर देकर उनको संतुष्ट कर सकें।
8. अपने उतरदायित्व को समझने वाला होना चाहिए।

5.8.2 अभिभावक व विशेषज्ञों का संबंध

एक विकलांग बच्चों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि अभिभावक व विशेषज्ञ कैसे इकट्ठे होेकर समूह मे काम कर रहें। विशेषज्ञ उचित मार्गदर्शन से माता-पिता को इस काबिल बनाते है कि वह अपने बच्चे के साथ कार्य कर सकें। माता-पिता का अर्थकेवल, माता-पिता से ही नहीं होता बल्कि उन सब से होता है। जो बच्चे के साथ कार्य या सम्पर्क में आते है जैसे रिश्तेदार, चाचा-चाची, भाई-बहन, मित्र ईत्यादि।

जब अभिभावक व विशेषज्ञ मिल कर कार्य करते है तभी बच्चे में अत्याधिक सुधार पाया जाता है अभिभावक व विशेषज्ञों के बिच निम्नलिखित तरह का संबंध होना चाहिए।

1. आपसी सहयोग:- जब हम विकलांग बच्चे की बात करते है। तो उसमें अभिभावक व विशेषज्ञों का आपसी सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं के सहयोग के द्वारा बच्चे में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। ताकि जो भी कार्य बच्चे को सिखाया जाए वह उस कार्य को अच्छे व निरंतर रूप् से कर सकें।
2. संपर्क में रहना:- अभिभावक व विशेषज्ञों का आपस में संपर्क रहना चाहिए ताकि जो भी कार्य बच्चे केा सिखाया जाए उसमें अभिभावक व विशेषज्ञों की भागीदारी बराबर रहें। विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों को जो भी कार्य सिखाया जाए अभिभावक उस कार्य को बच्चे को घर पर करवा सकें। एक दुसरें के संपर्क में रह कर बच्चे की आवश्यकता का रूचियों का, सुधार व समस्या को पता लगया जा सकता हैे।
3. सकारात्मक रूप से सम्प्रेषण करनाः- अभिभावक व विशेषज्ञों में सम्प्रेषण सकारात्मक रूप में होना चाहिए। वे दोनों मिलकर एक दूसरें को अपनी समस्या बता सकते हैं तथा उस समस्या के विषय का समाधान कर सकें।
4. उचित सुविधाओं की जानकारी:- विशेषज्ञों को विकलांगता के क्षेत्र में पूर्ण जानकारी होती है। वे जानते है बच्चों की अक्षमता का स्तर देखकर उसके लिए सुविधा दी जाती है ताकि वह आत्मनिर्भर रूप से अपना जीवनयापन कर सकें।
5. परामर्श सेवाऐंः:- विकलांग व्यक्तियों को कई अन्य समास्याओं की सामना करना पड़ता है जैसे कि बच्चे में श्रवण एवं वाणी विशेषज्ञों के पास ले जाना, भौतिक चिकित्सा मनोविाानिक विशेषज्ञों के पास ले जाना, अभिभावकों का इन सब विशेषज्ञों के साथ उचित संबंध होना चाहिए ताकि बच्चे केा जो भी सिखाया जाए या बताया जए वे घर पर भी उस कार्य का अभ्यास करवा सकें, ताकि बच्चे में सही तरह से स्थिति में सुधार हो सकें। विकलांगता का निदान आवश्यक नहीं कि एक ही विशेषज्ञ के पास हो इसमंे बहुत बार विभिन्न विशेषज्ञों कि आवश्यकता पड़ती है। यदि अभिभावकों व विशेषज्ञों के मध्य अच्छे, संबंध होगें तो परामर्शदाता स्वयं ही अपने अलावा दुसरी सेवाआंे और विशेषज्ञों केा सम्मिलत कर सकता है।

5.8.3 परिवार-व्यावसायिक कार्यकारी आदर्श

1. उत्कृष्टता को बाहर निकालना - सभी परिवार तथा स्कूल अपने बच्चो के लिए अच्छा ही चाहते है। इसलिए परिवार व्यावसायिक संबंधो का उद्देश्य बालक में छुपी हुई योग्यता और क्षमताओं को बाहर निकालना है।
2. सामान अवसर प्रदान करना :- सभी अभिावक तथा स्कूल अपने बच्चों केा सही तथा सामान अवसार प्रदान करते है ताकि वह असमर्थता को दूर कर सके।
3. प्रथम शिक्षक :- व्यावसायिक संस्थाएं हमेशा इपने ध्यान में रखती है कि बच्चे के लिए परिवार सबसे पहला तथा हमेशा साथ रहने वाला शिक्षक है।
4. अनुकूल वातारवारण :- प्रभावी स्कूल बच्चे को सही तथा स्वस्थ्य वातावरण प्रदान करते है तथा परिवार अथवा अभिभावकों को चाहिए कि वह ऐसा वातारवरण प्रदान करने में स्कूल की सहायता प्रदान करें।
5. विशेषज्ञों द्वारा आपसी सम्मान प्रदान करना :- परिवार तथा निपुणकर्ताओं को इन सबसे दूर नही रहना चाहिए कि वे विद्यार्थियों की सफलता तथा उपलब्धियों में बराबर के संाझीदार है।
6. आपसी विश्वास, आदर तथा उतरदायित्व की सहभागिता - परिवार-स्कूल सहभागिता का मुख्य आधार आपसी विश्वास, आदर तथा उतरदायित्व की सहभागिता है।
7. आपसी संबंध की तरह :- परिवार-स्कूल सहभागिता में स्कूल तथा उनके समुदाय एक बंधन की तरह कार्य करते है।
8. अन्य सहभागिता :- सहभागिता उन सभी संगठनों को अपना लेती है जो परिवारों तथा स्कूलों का साथ देने में सहायक होते है।

इस सहभागिता के परिणाम उत्तम होते है। परिवार शिक्षा प्रणाली और उन समस्याओं को, जो स्कूलों को विशिष्ट बच्चों को संभालते समय आती है। सुलझाने में मदद करता है। इस पिरस्थिति को पहचानने के लिए प्रभावी परिवार एवं स्कूल सहभागिता का विकास किया जाता है। इसे विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए रू

1. इस सहभागिता की सही योजना, संगठन, सुधार तथा मुल्यांकन करना।
2. ऐसी योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यरूप देना जिनमें इस सिद्धान्तों तथा उचित सहभागिता को जाना जा सके।
3. समुदाय की सहभागिता के उचित परिणामों की रिपोर्ट पेश करना तथा सहभागिता में सुधार करना।
4. उन नैटवर्क को सहायक मानना जो कि स्कूल व समुदाय की योजनाओं व उचित क्रियाओं को बंाटने में सहायक हो।

5.8.4 अभिभ□वक-व्य□वस□यिक सहभ□गित□ की सफलत□ के लिए सुझ□व

यदि परिवार स्कूल के साथ अपने बच्चों की शिक्षा के सभी कार्यो में हिस्सा लेते है तो स्कूल को चाहिए कि वह उन्हें सभी अवसर तथा सहयोग प्रदान करें जो उनकी जरूरतों को पुरा करने में सहायक हों।

1. रूकावटों को जीत पाना :- सहभागिता को और मजबूत बनाने के लिए परिवारों तथा स्कूल स्टाफ के सदस्यों को एक दूसरे को बेहतर समझने में लिए, ऐसी योजनाओं को बनाना जिस से वे ऐसे कार्य कर सकें जो कि असमर्थ बच्चों केा समर्थ बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करने में सहायक हो।
2. आपसी विश्वास तथा संबद्वता पर जोर देना।
3. अभिभावकों को प्रशिक्षण देना :- अभिभावकों तथा स्कूल के बीच बने सूचना संबंधी बांध की दुरी को कम करना। सही सूचना तथा प्रशिक्षण सेवाएं अभिभावकों को देना ताकि वे समावेश के अर्थ को समझ सके।
4. परिवार के आवेष्टन के समर्थन में विद्यालय की पुनः सुरंचना करना :- सफल स्कूल परिवार सहभागिता के विकास के लिए सभी स्कूलों को प्रयत्न करने चाहिए। स्कूल के स्टाफ को हमेशा अभिभावकों क लिए बढ़िया वातारवरण बनना चाहिए। अभिभावक जानते है कि अध्यापकों के लिए बढ़िया वातावरण बनाना चाहिए। अभिभावक जानते है कि अध्यापकों द्वारा बनाया गया रास्ता उनके बच्चों के विकास के लिए सहायक होता है। स्कूल को भी असमर्थी बच्चों के जीवन में अभिभावक की भूमिका को पहचानना तथा आदर देना चाहिए।
5. स्कूल परिवार संबंधी अंतरों को समाप्त करना :- भाषा तथा सांस्कृतिक अंतरों के साथ-साथ शिक्षा में अंतर भी सम्प्रेषण के मार्ग में बड़ी बाधा होती है। जिसके कारण अभिभावक स्कूल की क्रियाओं में भाग ही नही लेते। स्कूल को चाहिए कि वह अभिभावकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करें। कुछ नए □गी केा अपनाए ताकि वह विद्यार्थियों की जरूरतों को समझ सकें तथा उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करें।

प्रभावशाली □ा सहभागिता को समुदाय से समुदाय तक, परिवार से परिवार तक स्कूल से स्कूल तक तथा व्यक्ति से व्यक्ति तक मजबूत बनाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि वशिष्ट बच्चों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए।

5.9 अभिभावक–व्यावसायिक संबंध हेतु मुख्यबिन्दु ;

अभी तक आप जान गए है अभिभावक व्यावसायिकों के बीच अच्छे संबंध होना जरूरी है। दिव्यांग बच्चे के घर में होने के कारण परिवार की दिनचर्या काफी बदल जाती हे कभी उनमें चिंता, क्रोध, अवसाद तो कभी शर्म, अपराध ;ळनपसजद्ध यदि की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में उन्हें परिवार के साथ-साथ समुदाय के सहारे कि आवश्यकता होती है, यदि कोई व्यावसायिक या

अध्यापक (जो मानव व्यवहार के बारे में जानकारी रखता हो) से अभिभावकों का संपर्क हो जाता है तो उनकी परेशानियां काफी कुछ हद तक कम हो जाती है। इसमें उन व्यवासयिकों और अध्यापकों की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है के वह प्रत्येक अभिभावक और उनके मध्य हर बात, निर्णय विश्वास आदि को बनाए रखें। अभिभावक-व्यावसयिक संबंध हेतू मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है।

1. व्यक्तिकरण :- प्रत्येक बालक की प्रवृति एवं समस्या अलग-अलग होती है। अभिभावकों की प्रकृति एवं परेशानीयां बच्चे से संबंधित होती है। यदि दो बच्चे में समान समस्याएं है तो हम यह नहीं कह सकते कि उनका प्रबधन भी एक जैसा होगा। इसलिए व्यावसायिक या निपूणकर्ता को चाहिए कि वह प्रत्येक बालक एवं अभिभावक को व्यक्तिगत तौर पर देखे। उनका सामान्यीकरण न करे। अतः व्यावसायिक को अभिभावकों कि समस्याओं और आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन एवं सहायता करनी चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान, एकान्त और उसकी भावनाओं का भी आदर करना चाहिए।
2. अनिर्णायक अभिवृति व्यावसायिक/निपूर्णकता और अभिभावकों के मध्य अनिर्णायक अभिवृति होनी चाहिए। निपुणकर्ता को चाहिए कि वह माता-पिता के प्रति बिना किसी धारणा बनाए स्वीकृत करें। यदि व्यावसायिक कि किसी भी अभिभावक के प्रति धारणा बन जाए, अगर अच्छी है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और अगर खराब बने, तो दुरियां बनती है, तो वह समस्या से संबंधित कारकों को नही बता पाते है। अभिभावकों के साथ कार्य करते समय सकरात्मक अभिवृति रखनी चाहिए और पक्षपात रहित होना चाहिए इससे आत्म सम्मान को बढ़ावा मिलता है और माता-पिता को अपनी समस्याओं से संबधित कारको को बाहर निकालने में सहायता मिलती है और व्यवसायिक को उनकी इच्छाओं के प्रति संबेदनशील होना चाहिए।
3. गोपनीयता :- व्यवसायिक संबंधो में अभिभावकों की गुप्त सूचनाओं को सुरिक्षत रखना चाहिए। इससे माता-पिता में विश्वास उत्पन्न होता है। यह आपसी संबधो की प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जितनी भी सूचनाओं वे हमें बनाएगें उतनी ही उनकी आवश्यक सहायता कि जाएगी तथा उन सूचनाओं को किसी और के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। यह भी भरोसा होना चाहिए कि माता-पिता कि रजामंदी लेकर ही थैराप्यूटिक उद्देश्य के लिए ही सूचनाओं को बांटा जाएगा अतः व्यवसियक संबंधो मे ंगोपनियता होना जरूरी है।
4. आत्म-दृढ़ता:- अभिभावकों को चयन करने, निर्णय लेने और समस्याओं से जुझने के लिए क्रियाओं को चुनने का अवसर देने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे प्रयास करते है तो इसका सबसे अधिक लाभ यह होता है कि माता-पिता में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी समझ बढ़ती है, समस्या का हल □ने का वह स्वयं प्रयास करते है, डर की भावना और भविष्य कि चिंता कम होने लगती है इत्यादि। व्यावसायिक का उतरदायित्व होता है कि वह ग्राहक के उतरदायित्वों को पहचाने, उनका आदर करे तथा उन्हें आत्म-निरीक्षण मे सहायता प्रदान करें।

इस सहायता से उनके साहस और अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलता है जिससे कि वे अपनी समस्या का समाधान करने में स्वयं सक्षम हो जाते है।

5. तदानुभुति:- तदानुभूति में अभिभावक की इच्छाओं के अर्थ को समझना और उद्देश्यपूर्ण और उचित प्रतिक्रिया देना इत्यादि व्यावसायिक द्वारा शामिल किया जाता है। व्यावसायिक को न केवल अभिभावकों की इच्छाओ/समस्याओं के प्रति तदानुभूति दर्शानी चाहिए, बल्कि कुछ कदम आगे चलना चाहिए, व्यवसायिक को चाहिए की वह माता-पिता को साक्षात्कार के दौरान यह अहसास दिलाऐं कि उन्हे़ उनकी समस्याओं के साथ स्वीकार किया गया है। समस्याओं के बारे में समझे और उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करें। तदानुभूति के तत्व निम्न है -

क) सवेदनशील ; इसका अर्थ है बसपमदज द्धारा प्रकट की गई इच्छा़ाओं को देखना और सुनना है। इसमे उनके बालेने का ⊡ां, बोलने की टोन , हिचकिचाना , अधिक जाहिर करने की कोशिश करना और वह इच्छाओं को मौखिक रुप से कैसे जाहिर कर रहा है,इत्यादि शामिल किए जाते है।

ख) समझना : व्यवसयिक को चाहिए कि वह माता-पिता अभिभावक की इच्च्छाओं/समस्याओं के अर्थ पूर्वक समझे /समझना एक निरतंर प्रकिया है, और प्रत्येक साक्षात्कार मे अभिभावको के ठीक प्रकार से समझने का अवसर मिलता है।

ग) प्रतिक्रिया : अपने आप मे सवेदनशीलता और समझ सपूर्ण नही है। प्रतिक्रिया को भी अर्थ देना पडता है। व्यावसयिक ,माता-पिता के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जो कि उनके सबंघो को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मनौवैज्ञनिक तत्व है, ये अभिवृति और इच्छा़ाओ की प्रतिक्रियाऐ करता है, जिनका ज्ञान और उद्देश्य के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है प्रतिक्रियाआं़ को शब्दों के द्वारा चेहरे के हाव - भाव के द्वारा, बोलने के द्वारा अभिभावको के साथ सम्प्रेषण किया जाता है।

6) भागीदारी : भागीदारी के द्वारा अभिभावको को इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सकें। उन्हें भी एक अवसर मिलता है जिससे की वह अपनी क्षमताओ को पहचान सकते है और अपने आप मे आत्म-विश्वास प्राप्त कर सकते है। व्यावसयिक का महत्वपूर्ण कौशल, अभिप्रेरित करना होता है। जिसमे वह अभिभावको से सबंघित कार्य करते समय व्यक्तिगत और समाजिक स्त्रोंतो का उपयोग कर सकें और समस्या का समाघान उन्हे स्वंय ⊡⊡ने देने मे सहायता करें।

7) भाव विवेचन : जब भी किसी को सहायता की जरुरत होती है तो उसे अपनी भावनाओं पर नियत्रणं रखने के लिए कई प्रकार की सोच से गुजरना पडता है। व्यावसयिक के लिए यह आवश्यक है कि वह उसकी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाले। इस प्रकिया मे ग्राहक की दबी हुई इच्छाओ को एक अच्छे वातावरण मे़ बाहर निकाला जाता है और उसे समझा जाता है इस प्रकिया को भाव-विवेचन कहा जाता है।

8) विश्वसनीयता :व्यावसयिक को चाहिए कि अभिभावको /माता-पिता को एहसास व भरोसा दिलाए कि उसे उसकी समस्याओं से व उसके प्रति हमदर्दी है। यहां पर अभिभावको को ईमानदारी और सच्चाई से अपनी समस्याओ को बताना चाहिए यहां पर माता -पिता और व्यावसयिक मे सच्चाई, ईमानदारी और सही सबंघों की आवश्यकता है जोकि सच्चाई और विश्वास पर आघारित है। व्यावसयिक जो कार्य उनके लिए करता है उसमे उसका कोई लाभ नही होता अपितु माता-पिता द्वारा बताई गई सच्चाई के अनुसार ही वह उनकी मदद करता है।

9) प्रभावपुर्ण ष्सुनना : व्यावसयिक को स्वयं को पुरी तरह से और प्रभावपुर्ण तरीके से सुनने मे शामिल करना चाहिए। सैशन मे जिन सुचनाओं को एकत्र किया जाता है वह महत्वपुर्ण है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है प्रभावपुर्ण सुनने का उद्देश्य वं ा ं ि छत परिणाम की आशा करना है जिनके अनुसार लक्ष्यों को दिशा दी जाती है जिससे की कार्यकर्ता सुचनाओं को एकत्र करके लक्ष्यो े ं की पूर्ति कर सकता है प्रभावपुर्ण सुनने के तीन महत्वपुर्ण तत्व इस प्रकार से है-

अ) वार्तालाप के दौरान नेत्र समनंवय बना होना चाहिए।

ब) शरीर की मुद्राएं सही होनी चाहिए अभिभावको के साथ बातें करते हुए किसी भी प्रकार की अरुचि कर बात शमिल नही करनी चाहिए।

स) वार्तालाप करते समय मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे कि समस्याओं से संबघित पहलुओ की अवेहलना होने से बचाया जा सकें।

10) सामान्यीकरण : अभिभावक/माता-पिता कई बार ऐसे सोचना आरभं कर देते है कि ऐसा उन्ही के साथ क्यो हुआ है?अकेलेपन का शिकार हो जाते है ऐसा लगता है उनका सब कुछ खो गया है कई बार वह अपने कर्मा े का दोष भी मानने लगते है जिससे वह परेशान और दुखी हो जाते है वह मदद के लिए हिचकिचाते है और स्वय से अनुमान लगाना प्रारभ करते है कि इस समस्या का कोई संतुष्टिजनक तरीका नही है व्यावसयिक को अभिभावको को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनकी समस्या भिन्न होते हुए भी यह आम व्यक्तियो की तरह सामान्य है। उसकी अवेहलना और चितांओ को दूर करने की आवश्यकता है उन्हे समस्या का सामान्यीकरण करने से रोकना चाहिए व प्रबंघन की ओर अग्रसर करना चाहिए।

5.10 सांराश

इस अध्याय मे आपने प⃞ा कि परिवार समाज की सबसे छोटी ईकाई है जिसमें सदस्यो के रुप मे विपरीत लिगों के दो व्यक्ति विवाह के द्वारा साथ मे रहते है मनुष्य के सभी समूहो में से परिवार सबसे महत्वपुर्ण प्राथमिक समूह है। अभिभावको को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है ै। आपने इस ईकाई मे अभिभावको की भुमिका को भी समझा। इसके साथ-साथ आपने यह भी जाना कि किस तरह अभिभावक व स्कूल/ अध्यापक आपस मे सहभागिता के साथ बच्चे के लिए कार्य कर सकते है। अभिभावक स्वंय सेवी होते है, सलाहकार होते है और नितियां बनाने वाले होते है। हमने इस ईकाई मे

अभिभावक - अध्यापक संबध की भी चर्चा की क्योकि कही न कही बालक के लिए अघ्यापक भी महत्वपुर्ण भुमिका में होता है। आपने इस ईकाई विभिन्न अभिभावक की समस्याओं को भी जाना और यह भी जानकारी प्राप्त की है कि ऐसे माता-पिता जिनके बच्चो मे कोई कमी रहती है उनमें मुख्यतः क्या मनोभाव पाए जाते है जैसे उनमे अतिभोग अस्वीकार करना, पक्षपात आदि मनोभाव मुख्यतः होते है। आपने अभिभावक अध्यापक सम्म्‍ेलन की भी जानकारी प्राप्त की। यह भी जाना कि इसे किस प्रकार किया जाता है। अब आप यह भी जान गये है कि अभिभावक व्यावसयिक सबंधो से क्या लाभ होता है और एक व्यावसयिक मे क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आपने परिवार व्यावसयिक कार्यकारी आदर्शों के बारे मे भी जाना। अंत मे आपने अभिभावको व्यावसयिक सबधो के मुख्य बिदु के बारे मे जाना जैसे ऐसे संबध व्यक्तिगत होने चाहिए, अनिर्णायक अभिवृति होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए इत्यादिं।

5.11 शब्दावली

1. परिवार के तीन प्रकार त्र संयुक्त परिवार, केन्द्रीय परिवार, विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार
2. व्यावसायिक
3. अस्वीकार करना त्र त्मरमबजपवद (माता पिता जब दिव्यांग बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाते है।)
4. अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन त्र ऐसे सम्मेलन या सभा जहां पर अध्यापक-अभिभावक साथ बैठकर बच्चे कि कमियों और लक्ष्य निर्धारण का कार्य करते है। यह समूह में भी हो सकती है और व्यक्तिगत भी।
5. अनिर्णायक-अभिवृति त्र छवद.श्रनकहमउमदजंस ।जजपजनकम
6. तदानुभुति / समानुभूति त्र म्उचंजील
7. सहानुभुति
8. सवेदनशीलता
9. भाव विवेचन

5.12 स्वमूल्यांकन हेतू प्रश्न :-

1. अभिभावक- अध्यापक संबंध कि क्या आवश्यकता होती है?
2. अभिभावको की समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. विशेषज्ञों और अभिभावकों के संबंध पर प्रकाश डालिए।
4. मनोभावों से क्या अभिप्राय है? दिव्यांग बच्चों के माता-पिता में पाए जाने वाले मुख्य मनोभावों का वर्णन कीजिए।

Write Short Notes on –:

क) तदानुभूति

ख) भाव-विवेचन

ग) प्रभावपूर्ण सुनना

घ) परिवार-व्यावसायिक कार्यकारी आदर्श

ड़) पक्षपात

5.13 संदर्भ सूची

- Bhan S. (1995). *Parental Role in the Life of a Special Child*. Disability and Imapairments, Vol.9 (1), 37-40.
- David ,H.P. (1979). *Healthy Family Functioning Cross- Cultural Perspectives. Toward a new Definition of Health*, New York.
- Dyson ,L. and Fewell, R.R. (1986). *Stress and Adaptations in Parents of Young Handicapped and Non- Handicapped Children. A Comparative Study.*
- Government of India. *Handbook of Disability Rehabilitation*.New Delhi: Ministry of Welfare.
- Hewett, F.M. and Forness, S.R.(1984). *Education of Exceptional Learners*. London: Allyn and Bacon.
- Mahapatra, C.S.(Ed.,2004). *Disability Management in India: Challenges and Commitments.* New Delhi: Indian Institute of Public Administration.
- Mani, M. (1997). *Techniques of Teaching Blind Children.* Sterling Publishers, New Delhi, 86-97.
- Moroney, R.M. (1986).*Shared Responsibility – Families and Social Policy*. Chicago : Aldine.
- Pahl. J. and Quine ,L. (1987). *Families with Mentally Handicapped*. Baltimore.
- Status of Disability in India- 2000, RCI, New Delhi.

इकाई-6 हैविलिटेशन एवं पुनर्वास का प्रत्यय, समुदाय आधारित पुनर्वास, सामुदायिक प्रतिभागिता पुनर्वास (Concept of habilitation and rehabilitation, Community Based Rehabilitation (CBR), Community Participatory Rehabilitation (CPR))

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 हैविलिटेशन एवं पुनर्वास
6.3.1 पुनर्वास: उद्देश्य
6.3.2 पुनर्वास के प्रकार
6.4 समुदाय आधारित पुनर्वास
6.4.1 समुदाय आधारित पुनर्वास के बुनियादी सिद्धांत
6.5 सामुदायिक प्रतिभागिता पुनर्वास
6.6 पुनर्वास विशेषज्ञों के कार्य
6.7 पुनर्वास की उपादेयता
6.8 पुनर्वास हेतु कार्यरत मुख्य संगठन
6.9 पुनर्वास के महानायक
6.10 सारांश
6.11 शब्दावली
6.12 स्वमूल्यंकित प्रश्नों के उत्तर
6.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची
6.14 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना (INTRODUCTION)

समूची दुनिया की लगभग 1 अरब से अधिक की आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता/अक्षमता से पीड़ित है। यह समस्त वैश्विक जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भाग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1970 की रिपोर्टों में यह आंकड़ा लगभग 10 प्रतिशत था।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज - Global Burden of Disease की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की 19.4% जनसंख्या विकलांगता से पीड़ित है तथा इसी आयु वर्ग में 3.4% जनसंख्या की अक्षमता की सीमा इतनी अधिक है कि इन लोगों को दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों के निष्पादन में भी अत्यधिक कठिनायी आती है। पुनः (0-14) आयु वर्ग के 5.1% बच्चे विकलांग है तथा 0.7% इस वर्ग के बच्चे गम्भीर रूप से विकलांग है।

विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों में विकलांगता का यह प्रतिशत थोड़ा सा कम है। जैसे 15 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वर्ग में 15.6% व्यक्ति विकलांग है तथा इसी आयु वर्ग में 2.2% लोग गम्भीर रूप से विकलांगता की श्रेणी में आते हैं।

मोटे तौर पर ये आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का क्रमोवेश हर 7वाँ व्यक्ति अक्षम है और विश्व में अक्षम लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पुनः उम्र बढ़ने के साथ-साथ अक्षमता/विकलांगता भी बढ़ रही है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार के साथ-साथ यद्यपि जीवन प्रत्याशा तथा औसत आयु बढ़ रही है, लेकिन वृद्धावस्था में निःशक्ता के मामले भी लगभग उसी अनुपात में बढ़ गये है। अनेकों बीमारियों जैसे मधुमेह, कैंसर, ह्रदय सम्बन्धी रोग तथा मानसिक रोगों के कारण भी निःशक्त लोगों की संख्या बढ़ रही है।

स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी आबादी को मुख्यधारा का हिस्सा बनाए बगैर हम समावेशित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस इकाई में हम इसी संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि निःशकतजनों को मानव जीवन की विकास यात्रा में सम्मिलित करना क्यों आवश्यक है तथा यह कैसे सम्भव है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि निःशक्तओं के सम्मानजनक, जीवन यापन तथा सामाजिक विकास में समुदाय की क्या भूमि हो सकती है। पुनः हम उन लोगों के उल्लेखनीय योगदान की भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिन्होंने अत्यधिक जटिल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निःशकतजनों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप:

1) Habilitation हैविलीटेशन- आवास की अवधारणा समझ सकेंगे।

2) Rehabilitation रिहैविलीटेशन - पुनर्वास की अवधारणा समझ सकेंगे ।
3) पुनर्वास के प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।
4) समुदाय आधारित पुनर्वास को समझ सकेंगे।
5) समुदाय सहभागिता पुनर्वास को समझ सकेंगे।
6) निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठनों से परिचित हो सकेंगे।
7) निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले महान व्यक्तियों से परिचित हो सकेंगे।

6.3 हैविलिटेशन (Habilitation) एवं पुनर्वास (Rehabilitation)

हैविलिटेशन शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन लेटिन शब्द Habilis तथा Habilitare से हुई है, जिसका अभिप्राय है Fit, Proper, Skillful अर्थात समर्थ, उचित तथा कौशलयुक्त तथा Make Capable, suitable and fit अर्थात समर्थवान बनाना।

शाब्दिक अर्थों में Habilitation का आशय है कार्य करने योग्य समर्थ बनाना अथवा बनना, कपड़े तथा वेशभूषा पहनना। निःशक्तजनों के परिप्रेक्ष्य में हेविलिटेशन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो उनके दैनिक जीवन के कार्यों को सरल तथा सुगम बनाती है। इससे निःशक्तजनों की कार्यप्रणाली में सुधार आता है तथा उनके दैनिक जीवन कौशल Daily Life skills (डी0एल0एस0) विकास में सहायता मिलती है। अथात हैविलिटेशन द्वारा निःशक्तजनों को इतना समर्थवान बनाने का प्रयास किया जाता है कि रोजमर्रा के कार्यों के निष्पादन में उनकी निर्भरता दूसरो पर न्यूनतम हो जाऐ।

इसके अन्तर्गत व्यावसायिक विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की सहायता ली जाती है। निःशक्तजन की आवश्यकतानुसार चिकित्सालयों में अथवा उसके घर अथवा किसी उपचार केन्द्र में विभिन्न प्रकार की थेरेपी Therapies तथा उपचार कार्यक्रमों के द्वारा निःशक्तजन की निःशक्तता के दुष्प्रभावों का समाप्त अथवा न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है।

कुछ राष्ट्रों में हैविलिटेशन के अन्तर्गत जन्मजात निःशक्तजनों के लिए अनेकों सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं जिनसे कि उन्हें समर्थवान बनाया जा सके। किसी बीमारी अथवा दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था के कारण जीवन के किसी कालखण्ड में उत्पन्न निःशक्तता तथा जन्मजात विकलांगता में बहुत अंतर होता है। जन्मजात निःशक्त व्यक्ति को निःशक्तता का कष्ट प्रायः आजीवन पीड़ित करता है।

हैविलिटेशन उन निःशक्त व्यक्तियों का किया जाता है जो किसी कारण से अब उस स्तर अथवा स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैसी कि अपेक्षा उनके आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों से सामान्यतः की जाती है। जैसे कि एक बच्चा जिसकी कि श्रवण क्षमता लगभग समाप्त है तथा अब उसकी श्रवण

क्षमता अन्य बच्चों जैसी हो पाना सम्भव नहीं है। नाक-कान-गला विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा परीक्षण करके उसकी वर्तमान श्रवण क्षमता के दृष्टिगत यथोचित माप की आडियोमेट्री मशीन - कान की डिजिटल मशीन तैयार करके उस बच्चे को प्रदान की जा सकती है।

''पुनर्वास'' मूलतः अंग्रेजी शब्द Rehabilitation का हिन्दी अनुवाद है। 'एकीकृत शिक्षा' जैसे कुछ शब्द और शब्द समूहों से सर्वथा पृथक हिन्दी में Rehabilitation शब्द के स्थान पर 'पुनर्वास' के लिए किसी अन्य शब्द का उपयोग नहीं किया जाता अर्थात हिन्दी में पुनर्वास शब्द को बिना किसी बहस तथा मतभेद के स्वीकार किया गया है।

आइये यह जानने का प्रयास करते हैं कि Rehabilitation शब्द को अंग्रेजी भाषा के प्रमुख शब्दकोष कैसे परिभाषित करते हैं।

(A) Rehabilitate – to restore to a former capacity: Reinstate; to restore to good repute ; reestablish the good name of; to restore to a former state (as of efficiency, good management, or solvency to restore or bring to a condition of health or useful and constructive activity) (***Merrian – Webster's collegiate Dictionary Tenth Edition)***

(B) Rehabilitate – restore to effectiveness or normal life by training etc, esp. after imprisonment or illness; restore of former privileges or reputation or a proper condition. (***Oxford English Reference Dictionary***)

(C) To rehabilitate someone who has been ill or in prison who is addicted to drugs or alcohol means to help them to live a normal life again.

If someone is rehabilitated it means they begin to be considered acceptable again after a period during which they have been rejected or severely criticised. (***Collins Cobuild English Dictionary***)

(D) Rehabilitation means to restore to former privileges, rights, ranks etc. to make fit after disablement, illness or imprisonment for earning a living or playing a part in the world. (***Chambers twentieth Century Dictionary)***

पुनर्वास का अर्थ है किसी पूर्व विशेषाधिकार तथा कद को पुनस्थापित करना जिससे कि व्यक्ति दिव्यन्गता, बीमारी अथवा कारावास के उपरान्त जीविकोपार्जन करने तथा संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता है।

शब्दकोशों से प्राप्त Rehabilitation शब्द से इतना तो आसानी से समझ आ जाता है कि पुनर्वास का आशय व्यक्ति की पूर्वावस्था को लौटाकर उसे आर्थिक रूप् से अपने पैरों पर खड़ा करना है जिससे कि वह ससम्मान सिर उठाकर समाज तथा देश की प्रगति में अपना सार्थक योगदान कर सके। निःसंदेह पुनर्वास शब्द के व्यापक अर्थ और अनेकों आयाम हैं। किन्तु उक्त इकाई में हम पुनर्वास शब्द का अध्ययन विकलान्गता/दिव्यांगता /निःशक्तता तथा दृष्टिबाधित/दृष्टिहीन व्यक्तियों के संदर्भ में ही करेंगे।

पुनः शब्दकोशीय अर्थो के आधार पर कभी कभी यह भ्रम भी हो सकता है कि मात्र अपने जीवनकाल में जन्म के कुछ समय बाद बडी उम्र में अक्षम हो गये दिव्याँगों को विभिन्न कार्यक्रमों, तकनीकों, प्रशिक्षणों तथा प्रक्रियाओं के उपरान्त उन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से उनकी अक्षमता प्राप्ति से पूर्व की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में वापस लाना ही पुनर्वास है।

वास्तव में पुनर्वास शब्द का सम्बंध किसी आयु विशेष से नहीं है। प्रौढ़ों तथा बच्चों दोनों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्वास शब्द का उपयोग किया जाता हैं। विकलांगता – जो जन्म से अथवा जन्म के दौरान उत्लन्न हुई भी हो सकती है - से पीड़ित किसी बच्चे को उसकी विकास कर सकने की क्षमता के महत्तम स्थान तक पहुँचाना भी पुनर्वास है। पुनर्वास कार्यक्रमों में विकलांग बच्चो को उनकी शारीरिक तथा मानसिक चुनौतियों के बावजूद उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के शीर्षतम स्थान तक पहुँचाने तथा शीर्षतम स्थान प्राप्ति के पश्चात उन्हें उस शीर्षतम स्थिति को बनाये रखने के लिए सामान्य से सर्वथा पृथक प्रशिक्षण तथा प्रक्रियाऐं भी आवश्यकतानुसार प्रयुक्त की जा सकती है।

विशेष शिक्षा के विश्वकोष के अनुसार पुनर्वास का आशय है कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया, पद्धति या कार्यक्रम जो किसी दिव्यांग को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र तथा संतुष्टिदायक स्तर पर कार्य करने योग्य बनाती है। इसमें दिव्यांग व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्षों - शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षिक तथा व्यवसायिक - को शामिल किया जाना चाहिए।

The term rehabilitation refers to any process, procedure or programme that enables disabled individual to function at a more independent and satisfying level, this functioning should include all affects physical, mental, emotional, social, educational and vocational – of the individuals' life"(***Encyclopedia of Special Education)***

Rehabilitation refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to reach and maintain their physical, sensory, intellectual, psychiatric or social functional levels. (***Persons with Disability Act (1995) section 2 (W))***

पुनर्वास का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जो दिव्यांगों को उनके शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, मनोचिकित्सकीय अथवा सामाजिक क्रियाशीलता के स्तर के योग्य बनाने के उद्देश्य की पूर्ति करती है।

निःसंदेह यह परिभाषाऐं पुनर्वास शब्द की व्यापकता की व्याख्या करते हुए दिव्यांगो के सर्वांगीण तथा सर्वकालिक पुनर्वास पर जोर देती है अर्थात दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यक्रम इस प्रकार क्रियान्वित किये जाने चाहिए जिससे कि उनकी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा मनोचिकित्सकीय अक्षमताओं की अधिकतम समाप्ति सुनिश्चित की जा सके तथा अर्थात दिव्यांग व्यक्ति अपनी सर्वोत्कृष्ट क्षमता के अनुरूप समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान कर सके।

पुनः इन परिभाषाओं में प्रक्रिया शब्द आया है। लेकिन प्रक्रिया शब्द को सीमित अर्थ में लेना अथवा शाब्दिक अर्थों में लेना अनुचित होगा। प्रक्रिया का अभिप्राय उन समस्त कार्यक्रमों, तकनीकों, कार्यप्रणालियों, शिक्षण तथा प्रशिक्षण विधियों, उपकरणों, शोध तथा अन्वेषणों से है, जिससे कि दिव्यांगों के पुनर्वास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। दिव्यांग व्यक्ति अपनी अक्षमताओं के बावजूद अपना श्रेष्ठतम स्तर प्राप्त कर सके। किन्तु पुनर्वास प्रक्रिया श्रेष्ठतम स्तर प्राप्ति पर जाकर पूर्ण नहीं होगी, वरन दिव्यांग विशेष की आवश्यकतानुसार अनवरत जारी रहेगी, जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति उस स्तर पर स्थिर रहकर भविष्य में भी अपनी प्रगति की निस्तरता बनाऐं रखें अर्थात समाज में उनकी उपयोगिता तथा महत्व सदैव बना रहे, राष्ट्र तथा समाज की प्रगति में उनका योगदान बराबर बना रहे और उन्हें भी समाज तथा देश के विकास में अपनी भूमिका का अहसास होता रहे।

6.3.1 पुनर्वास: लक्ष्य (Rehabilitation :Aims)

वैसे अब तक आपने पुनर्वास तथा निःशक्तजनों के पुनर्वास के परिप्रेक्ष्य में बेहतर समझ विकसित कर ली होगी। आप यह भी समझ रहे होंगे कि दिव्यांगों का पुनर्वास क्यों आवश्यक है तथा पुनर्वास का उद्देश्य क्या है। इस भाग में हम पुनर्वास के मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे।

1) दिव्यंगो के शीघ्र प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त उनकी निःशक्तता के अनुरूप ससमय समुचित उपचार की शुरूआत करना, उनकी निःशक्तता की मात्रा तथा प्रतिशत निर्धारण करना तथा आवश्यकतानुसार निःशक्तता के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम चिकित्साधिकारी - जैसे मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक - द्वारा हस्ताक्षरित विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
2) निःशक्त व्यक्तियों, उनके परिवारिक सदस्यों तथा निकट सम्बन्धियों का विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सकों के द्वारा निर्देशन तथा परामर्श करना।

3) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय - भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, आयकर विभाग, रेलवे व बैंकों सहित विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा निःशक्तजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा छूट की जानकारी उपलब्ध करना।
4) निःशक्तजनों की निःशक्तता तथा पुनर्वास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का समुचित आकलन तथा तदनुसार पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना निर्माण करना।
5) निःशक्तजनों के लिए मित्रवत वातावरण निर्माण में सहायता।
6) निःशक्तजनों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक धन तथा संसाधन जुटाना।
7) दिव्यांगों के संतुलित सर्वांगीण विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना।

6.3.2 पुनर्वास के प्रकार (Types of Rehabilitation)

निःशक्तजन की शारीरिक/मानसिक कमी/क्षति के प्रकार तथा प्रतिशतता के आधार पर पुनर्वास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं। इसमें सम्बन्धित निःशक्तजन की क्षमता के अतिरिक्त उसकी आयु का भी महत्व है। मुख्यतः पाँच प्रकार के पुनर्वास है –

1) ***शैक्षिक पुनर्वास (Educational Rehabilitation)***

   किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। जैसे जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार विकास के लिए शिक्षा।

   अतः दिव्यांग व्यक्ति को भी किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। दिव्यांगता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो तथा विकलांगता का प्रतिशत चाहें कितना भी अधिक क्यों न हो, यह समाज तथा व्यवस्था का दायित्व है कि वो प्रत्येक दिव्यांग तथा बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक प्रयास करें।

   सी0वी0आर0 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों तथा परिवारों से सम्पर्क किया जाता है जिनके दिव्यांग बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चों के माता-पिता तथा पारिवारिक सदस्यों को जागरूक करके उन्हें प्रेरित किया जाता है कि अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करायें ताकि उन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके और वे अपने अधिकारों तथा हितों की प्राप्ति के लिए सचेत रहे।

2) ***व्यवसायिक पुनर्वास Professional Rehabilitation***

   आर्थिक स्वावलम्बन के लिए व्यक्ति को स्वयं धनोपार्जन के योग्य होना आवश्यक है। निःशक्तजन के लिए भी यह आवश्यक है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न होकर स्वयं पर निर्भर हो। इसके लिए यह जरूरी है कि वह किसी हुनर अथवा व्यवसाय में अपने को प्रशिक्षित करें। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं सहित यह समाज तथा निःशक्तजन के परिवार का भी दायित्व है कि वे निःशक्तजनों के व्यवसायिक प्रशिक्षणों में उनकी सहायता करें।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जैम, जैली, अचार, मुरव्वा बनाना, मोमबत्ती, चॉक, प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों का निर्माण, पेंटिंग बनाना, काष्ठकला, मूर्ति कला, क्राफ्ट सामग्री का निर्माण आदि जैसे कार्य आते हैं।

3) ***आर्थिक पुनर्वास (Economic Rehabilitation)***

प्रायः विकलांग व्यक्ति अपने परिवार पर आश्रित रहता है। कई बार परिवार के दूसरे लोग उसे अपने पर बोझ समझने लगते हैं। माता-पिता के जीवित रहने तक तो दिव्यांगों की स्थिति फिर भी सामान्य जैसी रहती है, लेकिन माता-पिता की वृद्धावस्था में अथवा उनकी मृत्यु के बाद सम्पन्न परिवारों में भी दिव्यांगों की स्थिति खराब हो जाती है।

अतः दिव्यांगों के लिए आर्थिक पुनर्वास का अभिप्राय है कि दिव्यांग व्यक्ति की निश्चित आर्थिक सहायता करके उसे स्वयं साधन सम्पन्न बनाना। सी0वी0आर0 द्वारा सर्वेक्षण करके दिव्यांगों को उनके अधिकार, सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। निःशक्तजनों को अपना कारोबार प्रारम्भ करने के लिए आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। विभिन्न नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है।

4) चिकित्सकीय पुनर्वास (Medicinal Rehabilitation)

दिव्यांग व्यक्ति की चिकित्सकीय आवश्यकताओं की सही समझ के अभाव में किसी भी पुनर्वास कार्यक्रम को सफलता संदिग्ध है। दिव्यांगों की चिकित्सकीय आवश्यकताऐं सामान्य जन की अपेक्षा अधिक और अनेकों बार बहुत खर्चीली होती है। प्रायः कमजोर आर्थिक आधार वाले निःशक्तजनों को परिवारों को इसे वहन करना बहुत कठिन हो जाता है। अधिकांशतः निःशक्तजनों के सहायता उपकरण सम्बन्धित निःशक्तजन की चिकित्सकीय आवश्यकताओं - जिनका मापन मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ही सम्भव है - के अनुरूप तैयार करने होते हैं।

सरकार स्वयं और अनेकों बार स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से निःशक्तजनों के चिकित्सकीय पुनर्वास में मदद करती है। अनेकों धर्मार्थ स्वयंसेवी संस्थाऐं भी दिव्यांगों को प्रायः निःशुल्क सहायक उपकरण सामग्री जैसे - बैसाखी, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम हाथ-पैर, आवर्धक लेंस, कैलीपर्स आदि उपलब्ध कराती है। इन चिकित्सकीय सुविधाओं की सहायता से दिव्यांग बच्चे अपने दैनिक जीवन के कार्यों का निष्पादन करने में समर्थ हो जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में लक्षित आयु वर्ग तथा कक्षा के दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण के पश्चात उनकी जरूरतों के दृष्टिगत यथोचित नाप के सहायता उपकरण प्रदान किये जाते हैं जिससे कि दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के समान शिक्षा ग्रहण कर सके।

5) ***सामाजिक पुनर्वास (Social Rehabilitation)***

निःशक्तजनों का इतिहास उनके सामाजिक बहिष्कार तथा अनवरत एकाकीपन के दृष्टान्तों से भरा पड़ा है। समाज से अलगाव करके तो सामान्य व्यक्ति का भी जीवन यापन कठिन है। निःशक्तजनों का समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें समाज की मुख्यधारा का अविभाज्य अंग बनाकर विकासात्मक गतिविधियों में उनका प्रतिष्ठापूर्ण योगदान प्राप्त करना सामाजिक पुनर्वास है। एक समय था जब संकुचित सामाजिक सोच के कारण दिव्यांगों की सामाजिक आवश्यकताऐं मात्र उनके भोजन, पानी, आश्रय और तन ढकने के लिए कपड़ों तथा सीमित थी। इस ओर तो ध्यान ही नहीं था कि सामाजिक कार्यक्रमों में वे भी सृजनात्मक योगदान कर सकते है। लेकिन समय के साथ-साथ लोगों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया और निःशक्तजनों के सामाजिक पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाने लगी।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न-भाग 1

1) पुनर्वास के कोई दो उद्देश्य लिखिए?
2) विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निःशक्तता से पीडित है?
3) पुनर्वास कितने प्रकार का हो सकता है?

6.4 समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation)

1980 के दशक से हमारे देश में समुदाय आधारित पुनर्वास व्यवस्थित रूप से प्रारम्भ हुआ हांलाकि इससे पूर्व भी कुछ थोड़ा बहुत प्रयास हुआ था। लेकिन समुदाय आधारित अवधारणा का विकास होने में समय लगा।

मोटे तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी विकलांग व्यक्ति को उसके भौगौलिक तथा सामाजिक परिवेश के अन्तर्गत ही सामुदायिक की सहभागिता तथा सहयोग से जिविकापार्जन के लिए सामर्थ्यवान बनाते हुए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसका बहुउद्देशीय पुनर्वास करना। पुनर्वास में समस्त हितधारकों का सक्रिय सहयोग आवशयक है। जैसे स्वंय विकलांग व्यक्ति, उसका परिवार, समुदाय, माननीय जनप्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी, सरकारी तथा गैर सरकारी संबंधित संस्थाएं।

भारत में विकलांग व्यक्तियों का यथोचित पुनर्वास एक चुनौती है। संसाधनों की कमी, विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले योग्य विशेषज्ञों का अभाव, विकलागों की बहुत बड़ी संख्या तथा अनके भौगौलिक बिखराव के साथ-साथ दिव्यांगों की कार्यक्षमता के प्रति नकारात्मक मानसिकता इस चुनौती को और मुश्किल बना देते हैं।

समुदाय आधारित पुनर्वास में तीन शब्द आते हैं-

(1) समुदाय

(2) आधारित

(3) पुनर्वास

हम तीनों शब्दों को पहले अलग-अलग समझने का प्रयास करेंगे।

समुदाय: - समुदाय का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, शासकीय तथा प्रशासनिक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसके सदस्य एक स्थान पर रहते हों या उनमें कुछ समानतांए हों जैसे जातीय, नस्लीय, धार्मिक , सम्प्रदाय सम्बन्धी, क्षेत्रीय समानताएं, समूह के सदस्यों में परस्पर संवाद होता हो, वो परस्पर एक दूसरे से मिलते हों और उनमें विशेष रूप से अपने समूह के सदस्यों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होती हों। पुनः समुदाय के सदस्यों के हित समान होते हैं। और हितों की समानता ही सर्वाधिक महतवपूर्ण कारक है, जो कि समुदाय के लोगों को परस्पर जोड़े रखती है।

आधारित: किसी आधार अथवा रूपरेखा के अभाव में कोई कार्य, कार्यक्रम और योजना की सफलता संदिग्ध है। इसी प्रकार किसी घटना अथवा तथ्य का भी कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। यहाँ हम निःशक्तजनों के पुनर्वास कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं। जैसी पृथ्वी अपनी धुरी के सापेक्ष घूर्णन गति करती है, फलस्वरूप् दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार पुनर्वास कार्यक्रमों की भी कोई धुरी होती है। जिसके सापेक्ष पुनर्वास कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सहित पुनर्वास में उनके परिवार तथा समुदाय की महत्तवपूर्ण भूमिका है। नैतिक तथा कानूनी रूप से भी दिव्यांग उन सभी अधिकारों तथा सुविधाओं के हकदार हैं जो कि अन्य लोगों को है। सरकार के साथ-साथ समाज का भी यह उत्तरदायित्व है कि वो दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण पूनर्वास की व्यवस्था करे।

पुनर्वास: पुनर्वास का आशय है- किसी भी कारण/कारणों के फलस्वरूप समाज से अलग थलग हो गये व्यक्ति को अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से पुनः समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना। पुनर्वास को किसी निश्चित समयावधि में सीमित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में पुनर्वास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय अपने समस्त प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संसाधनों का सदुपयोग दिव्यांगों के बहुद्देशीय कल्याण के लिए करता है।

यहाँ हमारी चर्चा मुख्यतः निःशक्त व्यक्तियों तथा बच्चों के संदर्भ में है। कई बार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक चुनौतियों से जूझते हुए व्यक्ति के लिए सामान्य जन की भाँति जीवन यापन करना

अत्यधिक कठिन हो जाता है। अपेक्षित सहयोग तथा सहारे के अभाव में प्रायः ऐसा व्यक्ति समाज से धीरे-धीरे दूर होता चला जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की ससमय सहायता करके उन्हें इस योग्य बनाया जा सकता है, जिससे कि वे अपनी निःशक्तता अथवा कमियों से उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके समाज तथा राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान तथा सहभागिता कर सकते हैं।

6.4.1 सी.बी.आर . के बुनियादी सिद्धान्त (Basic Principles of the CBR)

1) सामंजस्यपूर्ण, समन्वित तथा बहुआयामी प्रयास जिससे कि निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए समुदाय में उपलब्ध समस्त संसाधनों का समुचित सदुपयोग संभव हो ।
2) निःशक्तजनों के उत्थान के लिए सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार ।
3) निःशक्तजनों से सम्बन्धित उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक ज्ञान तथा कौशल की जानकारी से निःशक्तजनों तथा उनके परिवारों को अवगत कराना।
4) सूक्ष्म नियोजन पर बल अर्थात योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्यन धरातल पर हो।
5) योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्याकन सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहना ।
6) विशेषज्ञों तथा संदर्भ व्यक्तियाअें का अधिकाधिक उपयोग तथा विशेषज्ञों व सम्बन्धित व्यक्तियों की उच्च्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण में निवेश जिससे कि निःशक्तजनों की समस्याओं का बेहतर मूल्याकन तथा समाधान संभव हो।

6.5 सामुदायिक प्रतिभागिता पुनर्वास (Community Participatory Rehabilitation)

दिव्यांगों के पुनर्वास कार्यक्रमों में समुदाय प्रतिभागिता का महत्तव बहुत ज्यादा है। समुदाय की प्रभावी सहभागिता से पुनर्वास कार्यक्रमों को गतिशील बनाया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार तथा समाज के प्रवुद्ध वर्ग की भूमिका विशेष रूप से महत्तवपूर्ण है। संसाधन विहीन तथा सीमित संसाधनो वाले राष्ट्रों में समुदाय की सहभागित का महत्तव और बढ़ जाता है। समुदाय आधारित पुनर्वास की सम्पूर्ण अवधारणा तथा प्रक्रिया समुदाय की सक्रिय सहभागिता में टिकी है। आगे के खण्डों में आप इसके विविधि पक्षों के बारे में थोड़ा और गहरायी से समझेंगे।

6.6 पुनर्वास विशेषज्ञों के कार्य (Rehabilitation: Functions of Experts)

अच्छे विशेषज्ञ एक सफल पुनर्वास प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकता है। यहा अच्छे का आशय मात्र अपने क्षेत्र विशेष की निपुणता तथा पारंगतता तक ही सीमित नही हैं। बरन उसकी संवेदनशीलता तथा समूह में कार्य करने की दक्षता भी इसमें सम्मिलित है। निःशक्तजनों के पुनर्वास में प्रायः विशेषज्ञों को एक दल अथवा टीम के रूप में कार्य करना होता है। व्यक्तिगत श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हुए श्रेय प्राप्त करने की लालसा अनेकों बार पुनर्वास प्रक्रिया को मात्र जटिल ही नही बनाती वरन् निःशक्तजन के उत्साह तथा प्रोत्साहन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देती है।

प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता के दृष्टिगत पुनर्वास कार्यक्रमो में विशेषज्ञों की विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा उनकी संख्या अलग-अलग होना स्वाभाविक है। किन्तु उक्त इकाई में हम अपना ध्यान मुख्यतः दृष्टिवाधित दिव्यांगों पर केन्द्रित करेंगे।

6.6.1 परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक Counsellor/Psychologist

यद्यपि इसमें अनेकों बार मतैक्य भी हो जाता है कि पुनर्वास प्रक्रिया में परामर्शदाता तथा मनोवैज्ञानिक की सार्थक भूमिका हो भी सकती है अथवा नही, लेकिन दृष्टिवाधित दिव्यांग के दृष्टिकोण का यथोचित मूल्याकन तथा तदानुसार परामर्श आवश्यक है। दृष्टिवाधित व्यक्ति अन्य दृष्टिवाधितों सहित स्वयं अपने बारे में क्या राय रखता है इसकी तथ्यपरक वैज्ञानिक रिपोर्ट/आख्या तैयार करने में मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका है ।दृष्टिबाधित दिव्यांग के माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की अभिवृत्ति का आकलन भी उसके पुनर्वास में सहायक हैं। पुनः दृष्टिबाधित व्यक्ति के अपने परिवार तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आने वाली रूकावटों तथा संबंधित कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन मनोवैज्ञानिक ही बेहतर कर सकता है। इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया सहित सोसिअल मीडिया दृष्टिवाधित की सफलता की कहानियों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार सहित दृष्टिवाधित दिव्यांगो के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के आयोजन में भी परामर्शदाताओं तथा मनोवैज्ञानिको की महत्वपूर्ण भूमिका है।

6.6.2 संदर्भ शिक्षक Resource Teacher

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं से जूझने वाले बच्चे नामांकित होते है। नियमित शिक्षकों के पास प्रायः इन निःशक्तताओं से पीड़ित बच्चों को कक्षाकक्ष की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता कराने तथा उनके शिक्षण की शिक्षण तकनीको का अभाव होता है। पुनः विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास संसाधनों का अभाव तथा संसाधनों के समुचित उपयोग

की जानकारी भी नही होती है। स्वाभाविक रूप से इसका दुष्प्रभाव दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन तथा शैक्षिक पुनर्वास में पड़ता है।

देश के अनेकों राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में जनपद स्तर पर तथा विकासखण्ड स्तर पर ऐसे संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। अनेकों बाद निजि विद्यालयों में भी दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विशेष संदर्भ शिक्षक नियुक्त किये जाते है। संदर्भ शिक्षक का विशेष शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम पूर्ण करने के अतिरिक्त अनुभवी भी होना चाहिए। क्योंकि दिव्यांगों के शैक्षिक पुनर्वास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हैं ।अत संदर्भ शिक्षक अपने सेवित क्षेत्र के उन स्थानों तथा विद्यालयों में जाते है, जहॉ कि निःशक्त बच्चे है। विद्यालयों में नामांकित बच्चों के शिक्षकों की सहायता करते है। जो बच्चे विद्यालयों में नही आ पाते तथा गृह आधारित शिक्षण-Home Based Education के अन्तर्गत लाभांवित किये जा रहे है ,उनके केयर गिवर, माता-पिता तथा पारिवारिक सदस्यों को परामर्श तथा निर्देशन प्रदान करते है। ऐसे बच्चों के जीवन कौशल विकास-Daily Life Skilla(DLS) के लिए भी शिक्षकों तथा केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करते हैं।

6.6.3 व्यावसायिक अनुदेशक Vocational Instructor

अनेकों बार वित्तीय बाध्यताओं तथा अन्य कारणों से संदर्भ शिक्षक तथा व्यावसायिक अनुदेशक का दायित्व निर्वहन एक ही व्यक्ति भी करता है। यद्यपि दोनों कार्यों का अपना अलग अलग महत्तव है। दिव्यांग बच्चों तथा व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा उनकी शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्धित विशिष्ट आवश्यकताओं के वास्तविक आकलन सहित उनके दैनिक जीवन कौशल विकास में व्यावसायिक अनुदेशक की भूमिका महत्तवपूर्ण है। दृष्टिबाधित बच्चों को स्पर्श लिपि का ज्ञान कराना, उनके माता-पिता व संरक्षकों को उनकी शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी संभावनाओं से परिचित कराना ,सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं, छूट/रियायतों की जानकारी देना व्यवसायिक अनुदेशक के कार्य हैं। दृष्टिबाधितों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के आयोजन मे भी व्यावसायिक अनुदेशक योगदान करते हैं।

6.6.4 पुनर्वास कर्मी Rehabilitation Worker

पहले पुनर्वास कार्यक्रमों में सहायता के लिए प्रायः अप्रशिक्षित या अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अभिकर्मी नियुक्त किये जाते थे। किन्तु अब प्रशिक्षित तथा योग्यताधारी बहुदेशीय कार्मिकों को रखने का चलन है। दिव्यागों का सर्वेक्षण, उनकी आवश्यकताओं के आकलन में विशेषज्ञों को सहयोग करना, दिव्यांग बच्चों के वैयक्तिक शिक्षा योजना- Individualised Education Plan

तथा जीवन वृत-Case Hiatory तैयार करना, विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करना, उनके लिए सहायता उपकरण उपलब्ध कराना आदि जैसे कार्य पुर्नवास कर्मी करते हैं।

6.6.5 समन्वयक Coordinator

दिव्यांगों की पुनर्वास प्रक्रिया में समन्वयक सर्वाधिक महत्तवपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति है। इसे आप पुनर्वास कार्यक्रम की धुरी अथवा रीढ़ की हड्डी भी की सकते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छी शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव के साथ साथ दिव्यागों के प्रति संवेदनशीलता तथा खुली सोच का व्यक्ति बेहतर समन्वय कर सकता है। पुनर्वास कार्यक्रमों वार्षिक की पर्सपेक्टिव योजना सहित वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण तथा उसका समयबद्ध-सुचारू क्रियान्वयन समन्वयक का उत्तरदायित्व है। पुनर्वास कार्यक्रमों के हितधारकों तथा पुनर्वास प्रक्रिया से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं के मध्य समन्वयन करना भी उसका कार्य है। पुनर्वास विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, संदर्भ शिक्षकों, व्यवसायिक अनुदेशकों आदि को आवशयक सुविधाएं व संसाधन सहित वित्तीय तथा गैरवित्तिय सहायता प्रदान करवाना आवशयक है। इसके अतिरिक्त समन्वयक पुनर्वास कार्यक्रमों का अभिलेखीकरण,प्रगति आख्या, प्रतिवेदन तथा पश्चपोषण आख्या तैयार करके शीर्ष अधिकारियों तथा सक्षम समितियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पुनर्वास टीम के सभी सदस्यों को नेतृत्व प्रदाने करते हुए उनमें अच्छा सामंज्सय हो, यह सुनिश्चित करना समन्वयक का ही कार्य है।

6.6.6 गतिशिलता अनुदेशक Mobility Instructor

दृष्टिवाधित तथा विशेष रूप से पूर्ण दृष्टिबाधित दिव्यांगों की सुरक्षित तथा सूचारू गतिशिलता के विकास के लिए गतिशिलता अनुदेशक को दायित्व सौंपा जाता हैं गतिशिलता अनुदेशक दृष्टिवाधित बच्चे की वर्तमान गतिशीलता स्तर तथा संभावित व आवश्यकिय गतिशीलता कौशलों के विकास का आकलन करता हैं और उसकी जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त छड़ी का चुनाव करके उक्त छड़ी की सहायकता से सम्बन्धित दृष्टिवाधित को अनुस्थिति ज्ञान Orientation तथा गतिशीलता Mobility का प्रशिक्षण देता हैं । इसके अतिरिक्त गतिशीतला अनुदेशक दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए उसकी दैनिक व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलों को सुचिबद्ध करता है। और इन सूचिबद्ध कौशलों के विकास तथा निपुणता के लिए सम्बन्धित दृष्टिवाधित को प्रशिक्षित भी करता है। इस प्रकार हम पाते है कि दृष्टिवाधित दिव्यांगों के पुनर्वास में गतिशीलता अनुदेशक का योगदान अतुलनीय है।

6.7 पुनर्वास की उपादेयता (Utility of Rehabilitation)

यहॉ हम यह जानने का प्रयत्न करेंगें कि पुनर्वास की आवश्यकता, उपादेयता तथा महत्व क्या है और क्यों है। दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास एक कष्टसाध्य तथा जटिल प्रक्रिया है। बहुत धैर्य तथा परिश्रम के साथ निरन्तर प्रयत्नशील रहने के पश्चात भी कभी कभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। और पुनर्वास कार्यक्रम से जुड़े लोग हतोत्साहित होकर शिथिल पड़ जाते हैं या प्रयास समाप्त कर देते हैं। पुनः भारत जैसे विकासशील देशों में तो दिव्यांगों के पुनर्वास में अनेकों बाधाएं हैं। जैसे दिव्यागों की जनसंख्या के दृष्टिगत सीमित साधन या अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों का सर्वथा अभाव, सामाजिक संरचना तथा आर्थिक असमानतांए दिव्यांगों का भौगोलिक बिखराव निःशक्तता के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों तथा सन्दर्भ व्यक्तियों की कमी आदि । स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में पुनर्वास कार्यक्रमों की उपादेयता तो स्वतः स्पष्ट हो जाती है। आइये हम कुछ ऐसे बिन्दुओ को सूचीबद्ध करते हैं, जिससे कि पुनर्वास की आवश्यकता एवं महत्तव में और अधिक स्पष्टता आ जाए । और जब कभी भविष्य में आपको दिव्यांगों की पुनर्वास प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर मिले तो आपके विचारों में पुनर्वास को लेकर कोई दुविधा या रहे मतैक्य नहीं ।

हम शुरूआत करते हैं महान खगोलशास्त्री तथा भौतिकविद प्रोफेसर स्टीफन हाकिंग द्वारा लिखे आलेख के कुछ अंशों से। यहॉ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रोफेसर स्टीफन हाकिंग अनेकों शारीरिक चुनैतियों से जूझने के बावजूद आज भी अपने वैज्ञानिक शोध तथा अध्ययन के काम में लगे हैं।

" विकलांगता सफलता के मार्ग में बिल्कुल भी अवरोध नहीं है। मैं मोटर न्यूरान बिमारी से पीड़ित हूँ जिसने मेरे पूरे प्रौढ़ जीवन को प्रभावित किया। लेकिन इस बीमारी ने मुझे खगोल भौतिकी के मेरे उल्लेखनीय कैरियर और खुशनुमा पारिवारिक जीवन को जीने से नहीं रोका..................मैं आला दर्जे की चिकित्सकीय देखभाल से लाभान्वित हुआ........मैं अनुभव करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।

उत्पादक रोजगार तथा व्यक्तिगत संतुष्टि तो बहुत दूर की बात है, हकीकत तो यह है कि दुनिया के अधिकांश विकलांगों को रोजमर्रा की जिन्दगी में अपना असतित्व बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वास्तव में यह हम सभी का नैतिक दायित्व है कि विकलांगों की क्षमता तथा प्रतिभा के सदुपयोग के लिए हमें उनकी सहभागिता के मार्ग की समस्त रूकावटों को दूर करने सहित पर्याप्त धनराशि निवेश तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करें। दुनिया के समस्त देशों की सरकारें उन लाखों लाख विकलांगों को नजर

अंदाजा नहीं कर सकती, जो स्वास्थ्य, पुनर्वास, सहायता, शिक्षा तथा रोजगार से वंचित हैं और जिन्हें कभी भी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका नहीं मिला।'----प्रो0 स्टीफन हाकिंग

6.7.1 स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव Lack of Health Facilities

देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी है। सरकारी क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र, दोनों में अधिकांशतः समयानुकूल अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं होने से विकलांगता की ससमय शीघ्र पहचान नहीं हो पाती है। और फिर पहचान के बाद इलाज में भी प्रायः विलंब हो जाता है। इससे निःशक्त व्यक्ति की समस्या बड़ती जाती है। और उसका चिकित्सकीय पुनर्वास बहुत कठिन हो जाता है।

दृष्टिहीनता के मामले तो और भी जटिल हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जब बच्चे तीव्र ज्वर के बाद या चोट लगने या जलने के बाद बहुत कम समयान्तराल में ही पूर्णदृष्टिबाधित हो गए। समय पर नेत्रों की शल्य चिकित्सा नहीं मिलने पर अनेकों लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं है भी तो उनमें काम करने वाले चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है अतः पुनर्वास प्रक्रिया में काम करने वाले व्यक्ति को सीमित चिकित्सकीय संसाधनों का महतम सदुपयोग करते हुए अधिकतम दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त उसके समक्ष विकल्प बहुत सीमित है।

6.7.2 वृद्धावस्था की कठिनाइयाँ Difficulties of old age

हमारे देश सहित समूची दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। प्रायः प्रौढ़ावस्था में एक उम्र के बाद ऑखों में मोतिया बिन्द होना लगभग सामान्य बात है। ऑखों की ज्योति कमजोर होना या ऑखों से पानी आना भी वृद्धावस्था की समस्याएं हैं इसके लिए नेत्र चिकित्सा शिविर के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि यदि व्यक्ति के घर से दूर चिकित्सकीय पुनर्वास संभव नही है तो आवास-स्थल में ही पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा दी जाए।

6.7.3 नगर केंद्रित पुनर्वास सेवाएं Urban-Centered Rehabilitation Services

लगभग 80% से भी अधिक दृष्टिवाधित गॉवों में रहते है। लेकिन अधिकांशतः पुनर्वास सेवाएं नगर तथा महानगरों तक सीमित है। शहरों की जरूरतों के अनुसार बनाई गई पुनर्वास सेवाओं की तुलना में समुदाय की सहभागिता पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रम बेहतर परिणाम दे सकते है।

6.7.4 महंगी पुनर्वास सेवाएं Expensive Rehabilitation Services

दृष्टिवाधितों का पुनर्वास एक खर्चीली प्रक्रिया है और दुःखद पहलु यह है कि निःशक्त बच्चों की अधिकांश जनसंख्या बहुत गरीब परिवारों से आती है। यद्यपि हाल के वर्षो में सरकारों तथा

स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुनर्वास कार्यक्रमों में बड़ी धनराशि व्यय की है लेकिन दिव्यांगों की बड़ी आबादी और अत्यधिक महंगी पुनर्वास प्रक्रिया के दृष्टिगत यह धनराशि भी बहुत कम है। पुनर्वास केन्द्रों के ढांचागत विकास के साथ प्रत्येक दिव्यांग को आधारभूत सुविधाएं जैसे भोजन,कपड़ा,पानी, अधिगम सामग्री, लार्ज प्रिंट बुक्स आदि उपलब्ध कराने में ही बहुत खर्चा आता हैं। इससे प्रति दिव्यांग पुनर्वास व्यय बढ़ जाता हैं भारत जैसे विकासशील देश में तो यह और भी जरूरी हैं कि पुनर्वास कार्यक्रमों में अधिक से अधिक समुदाय की सहभागिता प्राप्त की जाय।समाज के प्रतिष्ठित तथा घनाढ़य लोगों के अलावा औद्योगिक समूह, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहयोग तथा ढांचागत विकास में सहायता प्रापत करने का प्रयास किया जाना चाहिए । कॉरपोरेट के लोग अपने सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility-CSR) मद में प्रायः कुछ धनराशि रखते है। इस मद का उपयोग दिव्यांगों के पुनर्वास में किया जा सकता है।

6.7.5 सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमी Lack of Social Security System

मानव विकास सुचकांक के मानकों में हमारे देश का स्थान बहुत नीचे है। (131वॉं स्थान) गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली के न्यूनतम अनिवार्य मापदण्डों के आस-पास भी हम नहीं हैं। विकसित पश्चिमी राष्ट्रों, जापान, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में सरकारें इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करती हैं। पुनः विकलांगता की स्थिति में व्यक्ति लगभग असहाय सा अनुभव करता है। और स्वयं धनोपार्जन करके अपनी आजिविका अर्जन करना बहुत कठिन हो जाता है। समाज व परिवार में वह प्रायः उपेक्षित हो जाता है। अतः सीमित संसाधनों की स्थिति में पारीवारिक व सामाजिक तानेबाने को सशक्त बनाकर और सामुदायिक प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करके दिव्यांगों के पुनर्वास कार्यक्रमों को गति दी जा सकती है।

6.7.6 पुनर्वास की समस्याओं का निराकरण Remedy of Rehabilitation Problems

दिव्यागों के पुनर्वास में अनेकों बाधाएं आती है । आइये संक्षेप में इन रूकावटों को दूर करने के उपायों पर चर्चा करते हैं। निःशक्तजनों का पुनर्वास जितना आवशयक स्वंय उनके लिए है उससे कहीं ज्यादा समाज तथा समुदाय के लिए जिसका कि वे भाग है। अच्छा भला कोई व्यक्ति भी नहीं जानता है कि वो अपने जीवन या जीवन के किस कालखण्ड में कब असहाय तथा निःशक्त हो जायेगा। अतः कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं का यह दायित्व है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समाज-कल्याण व सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकारिक नीतियो तथा योजनाओं में पुर्नवास से संबंधित कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें। साथ ही दिव्यागों के कल्याण से संबंधित संवैधानिक संशोधन तथा कानूनी प्रावधानों से भी पुनर्वास कार्यक्रमों को यथासंभव सशक्त कानूनी कवच प्रदान किया जा सकता है।

विकलांगता की शीघ्र पहचान तथा विकलांग व्यक्ति की सुविधा व आवश्यकता के अनुरूप समयानुकूल उसके घर पर ही या घर के निकटस्थ चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सकीय उपचार को सरकारी नीतियों का हिस्सा बनाना जरूरी है। क्योंकि विकलांगता के मामलों में शीघ्र तथा सार्थक हस्तक्षेप बहुत जरूरी है।

समुदाय की अधिकाधिक प्रतिभागिता तथा सशक्त रेफरल तंत्र पुनर्वास प्रक्रिया की सफलता के लिए जरूरी है सीमित सुविधाओं व संसाधनों की स्थिति में तो समुदाय आधारित पुनर्वास – सी.बी.आर. का महत्तव और भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपनें निःशक्तता कार्यक्रम में सी.बी.आर. पर बहुत जोर देता हैं। हाल के वर्षों में सी.बी.आर का विकास भी हुआ और विस्तार भी। निःशक्ताजनों के अच्छे स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सहित शिक्षा, राजगार, उनके कानूनी अधिकार तथा सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उनके लिए संचालित किये जा रही योजनाओं और प्रदान की जा रही रियायतों तक सीधी-सरल पहुँच बनाने में सी.वी.आर. की उल्लेखनीय भूमिका रही है। यही कारण है अनेकों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन और दाता संस्थाओं के अतिरिक्त कारपोरेट व निजी संस्थाएं भी दिव्यागों के पुनर्वास कार्यक्रमों में धनराषि प्रदान करने से पूर्व सामुदायिक प्रतिमागिता पर आधारित पुनर्वास अर्थात सी.बी.आर. को अनिवार्य शर्त बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी कार्ययोजना में विकलांगता को बहुआयामी मुद्दा मनते हुए इसके लिए समग्र तथा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें अनेकों क्षेत्रों के सहयोगियों,सिविल सोसाइटी तथा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का अभाव एक बड़ी समस्या है। अतः पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों का समय समय पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। दिव्यागों का पुनर्वास स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जा सकता है। कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर दिव्यांगों से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम वाले डिप्लोमा तथा डिग्री कार्यक्रमों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। दिव्यांगों के पुनर्वास में सहायता उपकरणों तथा तकनीक के बेहतर उपयोग का बड़ा महत्तव है। इससे दिव्यांगों की दूसरों पर निर्भरता को काफी कम किया जा सकता है। अतः सहायता उपकरणों के निर्माण तथा वितरण से पूर्व पात्र लाभार्थियों के चयन में सावधानी बरतने के साथ साथ सहायता उपकरणों की मरम्मत तथा नियमित देखभाल तथा दिव्यांग व्यक्ति की परिवर्तित जरूरतों के अनुसार सहायता उपकरण के परिमार्जन पर ध्यान देने की जरूरत है। निःशक्तजनों द्वारा सहायता पर ध्यान देने की जरूरत है। निःशक्तजनों द्वारा सहायता उपकरणों तथा नवीन तकनीक के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें इनके निर्माण व विक्रय के समय करों में रियायतें तथा सबसीडी प्रदान कर सकती हैं।

अंतराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के सहयोग के साथ साथ पुनर्वास सेवाओं के सुद्रढ़ीकरण के लिए पी पी पी- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छा विकल्प हो सकता है। अत्यधिक निर्धन

निःशक्तजनो को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी पुनर्वास प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है।

स्वमूल्यॉकन हेतु प्रश्न- भाग 2

1) सी.बी.आर. का पूरा नाम लिखिए *?*

2) दिव्यांगो के पुनर्वास में सर्वाधिक महत्तवपूर्ण भूमिका किसकी है*?*

3) उस महान भौतिक वैज्ञानिक तथा खगोलविद का नाम बताइए जो मोटर न्यूरॉन की बिमारी से पीड़ित है*?*

6.8 पुनर्वास हेतु कार्यरत मुख्य संगठन (Principal Organizations Working for Rehabilitation)

दिव्यांगता तथा मुख्यतः दृथ्विाघितों के पुनर्वास के लिए अनेकों राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन प्रशंसनीय कार्य कर रहें हैं। यहॉ हम ऐसे चार संगठनों के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं*,* जिन्हों ने दृष्टिहीन दिव्यांगो के पुनर्वास के लिए एतिहासिक कार्य किये हैं

6.8.1 क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन-सी0बी0एम0 Christffel Blinden Mission

जर्मनी के रहने वाले पास्टर जेकब क्रिस्टोफेल उक्त संगठन के संस्थापक थे, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 45 वर्ष दिव्यांगों तथा विशेष रूप से दृष्टिहीनों के साथ व्यतीत किये। क्रिस्टोफेल ने लगभग 100 देशों की यात्रा की और दिव्यांगों के सहायतार्थ अनेको कार्यक्रमों में सहयोग किया। 1908 में स्थापित उक्त संगठन ने मुख्यतः निर्धन दृष्टिहीनों की शिक्षा तथा पुनर्वास में विशेष योगदान किया। सी0बी0एम0 ने सामुदायिक प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करते हुए समुदाय आधारित पुनर्वास पर जोर दिया। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा दृष्टिहीनों को चश्में, आवर्धक लेंस प्रदान करने सहित उनकी चिकित्सा के कार्यक्रमों में सी0बी0एम0 ने समुदाय आधारित पुनर्वास पर विशेष बल दिया।

6.8.2 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO

सितम्बर 1978 में अल्मा अटा (वर्तमान में कजाकिस्तान का अल्माटी नगर) घोषणा पत्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिव्यागों के बेहतर जीवन के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का आरंभ किया। इसके अंतर्गत दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने तथा समावेशन हेतु प्रयासों पर बल दिया गया। नवीन संसाधनों तथा सुविधाओं को जुटाने के साथ ही सीमित संसाधनों के बीच दिव्यांगों के पुर्नवास के लिए समुदायिक सहभागिता पर बल दिया गया। निःशक्तजनों को बराबरी के अवसर मिलें इसके सुनिशिचतीकरण के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान तथा कार्ययोजना निर्माण

सहित बहुआयामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी। इसके बाद निःशक्तजनों, उनके परिवार, समुदाय, सम्बंधित सरकारें और शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक व समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से समुदाय आधारित पुनर्वास के कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये।

मई 2013 में विश्व स्वास्थ्य एसेंबली में पारित प्रस्ताव के बाद--सदस्य राष्ट्रों के अनुरोध पर ''सभी दिव्यागों के लिए बेहतर स्वास्थ्य'' शीर्षक से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक दिव्यांगता कार्ययोजना-2014-21 का विकास किया। सदस्य राष्ट्रों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया था कि World Bank Report on Disability-WBRD Convention on the Rights of Persons with Disability-CRPD तथा High Level Meeting of the United Nations General Assembly on Disability and Development-HLMDके आलोक में निःशक्तजनों के कल्याणार्थ एक समग्र तथा बहुपक्षीय कार्ययोजना तैयार की जाए। इस कार्ययोजना में निःशक्तजनो की संख्या तथा निःशक्तताओं के प्रकार सहित संबधित आंकड़ों का डेटा बैंक बनाने की बात कही गयी। जिससे कि कार्ययोजना के उद्देश्यों के अनुसार दिव्यांगों के पुनर्वास कार्यक्रमों में तेजी लायी जा सके। उक्त कार्ययोजना में तकनीक के उपयोग, सहायता उपकरणों की उपलब्धता, पुनर्वास तथा समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के सशक्तीकरण को प्रमुखता से स्थान दिया गया।

6.8.3 राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान National Institute for Visually Handicapped-NIVH

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एन,आई,वी, एच दृष्टिबाधित दिव्यांगता के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संस्थान है। यह देहरादून में स्थित है। दृष्टिबाधितों के शैक्षिक तथा व्यवसायिक पुनर्वास के लिए उक्त संस्थान ने प्रशंसनीय कार्य किया है। दृष्टिबाधितो की शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तथा सहायता उपकरण के निर्माण तथा सवंधित क्षेत्र मै शोघ तथा विकास के अनेको उल्लेखनीय कार्य इस संस्थान की उपलब्धि की कहानी बताते हैं।

एन,आई,वी,एच के विशाल परिसर में दृष्टिवाधितों की शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय के साथ ही विशेष शिक्षा में बी,एड, तथा एम,एड, के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। परिसर के अन्दर ही हेलेन केलर पुस्तकालय भी स्थित है जिसमें हष्बिाधितो से संबंधित उपयोगी साहित्य शोध तथा विकास से सवंधित पुस्तके रखी गयी हैं। यहॉ ब्रेल कागज , स्टाइलस आदि का उत्पादन करके विभिन्न स्थानों में प्रेषित किया जाता है।

6.8.4 नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड- नेब National Association for the Blind-NAB

पद्मश्री से सम्मानित रूस्तमजी मर्वान्जी लल्पाईवाला की संस्थापक अध्यक्षता में ***19*** फरवरी***, 1952*** को बम्बई में नेब की स्थापना हुई देश के तिभिन्न मागों में दृष्टिबाधितों के कल्याण तथा विकास के लिए नेब द्वारा शैक्षिक तथा व्यवसायिक पुनर्वास के अनेकों कार्य किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समावेशित शैक्षिक वातावरण तथा समावेशित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में भी नेब के प्रयास सराहनीय हैं। ***Serve the Blind-*** पूर्णदृष्टिबाधितों की सेवा- नेब का आदर्श वाक्य है। तथा नेब का उद्देश्य है दृष्टिबाधित दिव्यागों को ससमय समुचित जानकारियॉ तथा सुविधाओं प्रदान करके उनका सशक्तीकरण करना जिससे कि वे ससम्मान जविन यापन करते हुए उत्पादक कार्यो से जुडे। हष्टिबाधितों के अधिकारों तथा कानूनी प्रवधानों की ओर सरकार तथा शासन का ध्यान आकृस करना भी नेव का कार्य है। दृष्टिवाधितों की शीघ्र पहचान तथा चिक्तिसा सहित उनके पुनर्वास में नेव की महत्तवपूर्ण भूमिका रही है।

6.8.5 National Institute for Mentally Handicapped-NIMH- सन 1 9 84 में बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण केअंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्थान सिकंदराबाद के मनोविकसनागर में स्थापित किया गया| इस संस्थान के नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित तीन क्षेत्रीय केंद्र और नई दिल्ली स्थित एनआईईपीआईडी (पूर्व में एनआईएमएच) मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर स्थापित हैं।यह संस्थान मानसिक विकलांगता वाले लोगों को सशक्त बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है। NIMH कला पुनर्वास हस्तक्षेप, शैक्षिक, चिकित्सकीय, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश और सामाजिक गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पूर्ण भागीदारी की स्थिति तक पहुंचने के लिए मानसिक मंदता वाले लोगों को अधिकार प्रदान करता है।

6.8.6 अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग असीबिलिटी (AYJNISD)- अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग असीबिलिटी (AYJNISD) की स्थापना 9 अगस्त 1 9 83 को हुई। संस्थान बांद्रा (पश्चिम), मुंबई में स्थित है| संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, नई दिल्ली, सिकंदराबाद और भुवनेश्वर में स्थापित किए गए हैं।श्रव्य विकलांगों के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की चलाये जा रहे है। पहचान, हस्तक्षेप, शैक्षिक दृष्टिकोण, उपचारात्मक शिक्षण विधियों, श्रवण विकलांगों और प्रौद्योगिकी विकास के लिए रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान किया गया है। बधिर लोगों के लिए मौजूदा विद्यालय का अध्ययन करके, पाठ्यक्रम का पालन, शिक्षण आदि के तरीकों और मौजूदा शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार और उन्हें आवश्यक नई

रणनीति बनाने के माध्यम से उन्हें पूरक या मजबूत करने के लिए, अनपढ़ / ड्रॉप आउट के लिए खुले स्कूल जैसे नये उपाय मॉडल गतिविधि के रूप में आयोजित किये जा रहे है।

6.10 सारांश Summary

दुनिया में हर 7वाँ व्यक्ति अक्षम है और अक्षम लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी को मुख्यधारा का हिस्सा बनाए बगैर समावेशित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस इकाई में हमने यह समझा कि दिव्यांगों का पुनर्वास कैसे सम्भव है। इसमें समुदाय की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।पुनर्वास का अर्थ है किसी पूर्व विशेषाधिकार तथा कद को पुनस्थापित करना। हमने उन लोगों तथा संगठनों के बारे में भी अध्ययन किया जिन्होंने निःशकतजनों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान किया ।

6.11 शब्दावली

हैविलिटेशन आवास - निःशक्तजनों के दैनिक जविन के कार्यों को सरल तथा सुगम वनाने वाली प्रक्रिया जिससे कि निःशक्तजनों के विकास में सहायता मिलती है।

पुनर्वास - व्यापक अर्थ तथा अनकों आयाम वाला शब्द पुनर्वास एक ऐसी प्रकिया है जो निःशक्तजनों को उनके शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, मनोचिकित्सकीय अथवा सामाजिक क्रियाशीलता के स्तर के योग्य बनाती है।

समुदाय आधारित पुनर्वास - समुदाय की सहायता से दिव्यागों को अनकी आवश्यकता के अनुसार अनके परिवेश में ही बहुपक्षीय पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह संस्थागत पुनर्वास को नही वरन दिव्यांगों के परिवारों तथा समुदाय में सरलता से उपलब्ध सुविधाओं तथा साधनों के महत्तम सदुपयोग के आधार पर दिव्यांगों के व्यावहारिक तथा बहुद्देशीय पुनर्वास को प्रोत्साहित करता है।

6.12 स्वमूल्याकित प्रश्नों के उत्तर

भाग *1*

1) दिव्यांगता का शीघ्र प्रारंभिक परीक्षण तथा उपचार, दिव्यांगो का सर्वागीण विकास आदि

2) लगभग ***15*** प्रतिशत

3) पॉच प्रकार शैक्षिक, व्यवसायिक, आर्थिक, सामाजिक, चिक्त्सिकीय

भाग-*2*

1) समुदाय आधारित पुनर्वास –***Community Based Rehabilitation***

2) पुनर्वास समन्वयक

3) प्रोफेसर स्टीफन हाकिंग

6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ***World Report on Disability-World Health Organisation and the World Bank***
- ***WHO Global Disability Action Plan,2014-21***
- ***Declaration of Alma Ata-1978***
- ***Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD***
- शिक्षक-प्रशिक्षण लेखमाला
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा सर्व-शिक्षा अभियान का सम्बंधित साहित्य
- निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक-दिसम्बर-***2016*** (भारत सरकार)
- ***UNCRPD*** संयुक्त राष्ट्र निःशक्त व्यक्ति अधिकार समझौता-दिसम्बर ***2006***
- उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की समावेशित शिक्षा की पुस्तकें
- ***Position paper, NCF, on education of CWSN-NCERT, publication***
- ***Literature of the NIVH and NAB***

6.17 निबंधात्मक प्रश्न

1) पुनर्वास से आप क्या समझते है*?* एक *12* वर्षीय कक्षा *6* में पढ़ने वाले विद्यार्थी का शैक्षिक पुनर्वास आप किस प्रकार करेंगें*?*

2) दिव्यांगो के पुनर्वास की आवश्यकता क्यों है। भारतीय परिवेश में दिव्यांगो के पुनर्वास की समस्याओ का उदहरण सहित वर्णन करे *?*

3) दिव्यांगो के पुनर्वास के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के योगदान का वर्णन करो*?*

इकाई –7मनोरंजन व खाली समय का समय प्रबंधन, तथा सूक्ष्मकौशल (सॉफ्ट स्किल्स) व सामाजिक कौशल प्रशिक्षण

7.1 प्रस्तावना
7.2 उद्देश्य
7.3 मनोरंजन व खाली समय का प्रबंधन
7.4 सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण (सॉफ्ट स्किल्स)
7.5 सामाजिक कौशल प्रशिक्षण
7.6 सारांश
7.7 संदर्भ ग्रंथ सूची
7.8 निबन्धात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

जब हम अपना निर्धारित कार्य कर चुके होते हैं, चाहे पाठशाला से संबंधित हो रोजगार संबंधित हो या फिर सामाजिक मेलजोल से संबंधित हों हमारे पास प्रतिदिन या एक अंतराल के बाद एक समय आता है जब हम खाली होते हैं तथा हमारे पास करने को उस समय कोई निर्धारित कार्य नहीं होता। ऐसे समय का अपना एक महत्व होता है तथा इस खाली समय का यदि उचित प्रबंधन कर लिया जाए तो इससे हम अपने व्यक्तित्व विकास में लाभ उठा सकते हैं। इस इकाई में हम खाली समय के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे।

जीवन के एक समय तक दृश्यों को देखने के बाद अचानक दृष्टिबाधित होने के कारण जीवन अचानक एक नया मोड़ लेता है। दृश्य खो जाते हैं, रंग खो जाते हैं, वस्तु व उसका परिदृश्य खो जाता है। खण्ड एक की इकाई एक में हमने नवजात दृष्टिबाधित शिशु के जन्म के कारण प्रभावित होने वालेगत्यात्मक पहलुओं को जाना था। यहाँ हम इस इकाई में यह जानेंगे कि जन्म के बाद एक सामान्य व्यक्ति जब किसी रोग अथवा दुर्घटना वश दिव्यांग हो जाता है तब उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

जीवन में शिक्षा अथवाव्यावसायिक प्रशिक्षण से हमें अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता हासिल होती है। किन्तु एक सफल व प्रभावी विद्यार्थी अथवा व्यवसायी बनने के लिए इस दक्षता के अतिरिक्त भी कौशल हैं जिन्हें सूक्ष्म कौशल या अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है कि आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम उन कुछ सूक्ष्म कौशलों को जानेंगे जो किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए एक प्रभावशाली विद्यार्थी अथवा व्यवसायी बनने के लिए अहम योगदान दे सकती हैं।

सामाजिक प्रतिमान के अनुसार कोई भी विकलांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह ही समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सामाजिक उत्थान कि परिकल्पना किसी भी व्यक्ति-वर्ग का तिरस्कार करके नहीं की जा सकती। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी अहम भूमिका निभानी होती है। इस भूमिका को प्रभावशाली तरीके से निभाने के लिए सामाजिक कौशलों का होना आवश्यक है। इस इकाई के अंतिम भाग में हम उन सामाजिक कौशलों का अध्ययन करेंगे जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को समाज का प्रभावशाली हिस्सा बनाती हैं।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जानेंगे कि

1. मनोरंजन व खाली समय का प्रबंधन
2. सूक्ष्म कौशल प्रशिक्षण (सॉफ्ट स्किल्स)
3. सामाजिक कौशल प्रशिक्ष

7.3 मनोरंजन व खाली समय का प्रबंधन

जब हम अपना निर्धारित कार्य कर चुके होते हैं, चाहे पाठशाला से संबंधित हो रोजगार संबंधित हो या फिर सामाजिक मेलजोल से संबंधित हों हमारे पास प्रतिदिन या एक अंतराल के बाद एक समय आता है जब हम खाली होते हैं तथा हमारे पास उस समय करने को कोई निर्धारित कार्य नहीं होता। ऐसे समय का अपना एक महत्व होता है तथा इस खाली समय का यदि उचित प्रबंधन कर लिया जाए तो इससे हम अपने व्यक्तित्व विकास में लाभ उठा सकते हैं।

समय एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको प्रकृति ने सभी को एक ही अनुपात में वितरित किया है। किन्तु यह सीमित है।उदाहरण के लिए यदि एक गरीब व्यक्ति का दिन 24 घंटों का है तो एक अमीर व्यक्ति के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। महत्वपूर्ण है कि, कौन इस समय को , कितनी कुशलता से उपयोग करता है व कौन इसी समय को किस प्रकार व्यर्थ गंवाता है। समय के सदुपयोग से एक मेहनतकश मजदूर करोड़पति बन जाता है वहीं समय बर्बाद करने वाला करोड़पति कंगाल है सकता है। इस धरा पर हमारा अस्तित्व सीमित समय के लिए है। याद रखने वाली बात यह है कि हमें यह तो ज्ञात है कि दिन में चौबीस घंटे होते हैं किन्तु कोई यह नहीं जानता कि हमारा जीवन कितने समय का है।

चित्र 7.2.1

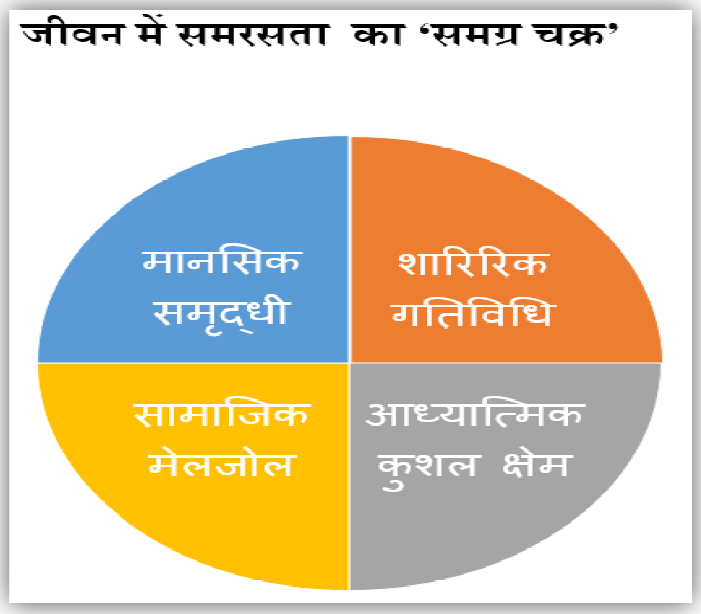

हमें जीवन में अनको कार्य करने होते हैं। जीवन में समरसता बनाए रखने के लिएसभी क्रियाकलापों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हम जीवन के कार्यों को ***चित्र 12.2.1*** में दर्शाई क्रियाओं के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन चारों क्रियाओं हेतु समय निकालता है व इनमें संतुलन बनाने में सफल रहता है उसका सामान्य कुशल क्षेम उच्च कोटि का होता है।इनमें से किसी भी एक क्षेत्र को नजर अंदाज करना संतुलन को बिगाड़ना है।इसमें संतुलन प्राथमिकताओं के निर्धारण से सम्भव है।

एक अध्ययन के अनुसार, औसत व्यक्ति अपने दिन के 24 घंटों का उपयोग ***चित्र 12.2.2*** में दर्शाए कार्यों में करते हैं।

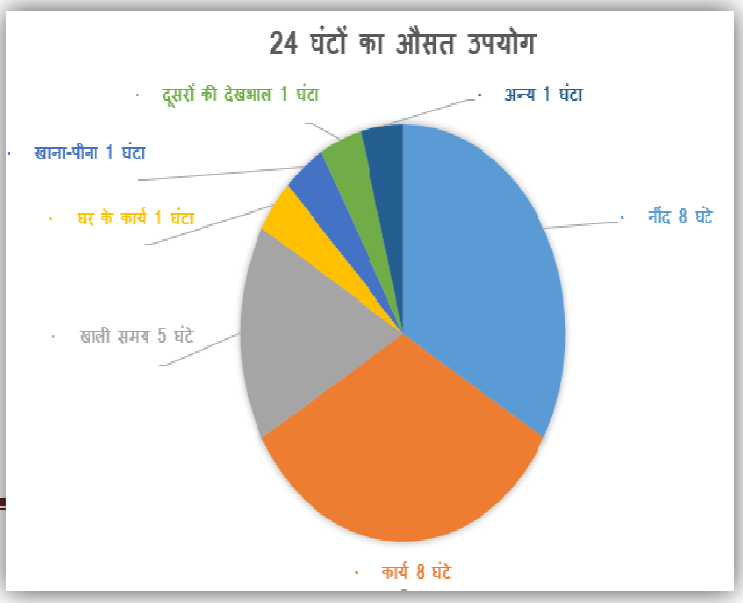

चित्र 12.2.2 औसत व्यक्ति द्व□□दिन क□24 घंटों क□उपयोग

- नींद 8 घंटे
- कार्य 8 घंटे
- खाली समय 5 घंटे

- घर के कार्य 1 घंटा
- खाना-पीना 1 घंटा
- दूसरों की देखभाल 1 घंटा
- अन्य 1 घंटा

यदि दिन के 24 घंटों में से मिलनेवाले खाली समय के 5 घंटों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करें तो औसत व्यक्ति इन 5 घंटों का उपयोग निम्न प्रकार से करता है।

चित्र 12.2.3 खाली समय के 5 घंटों का

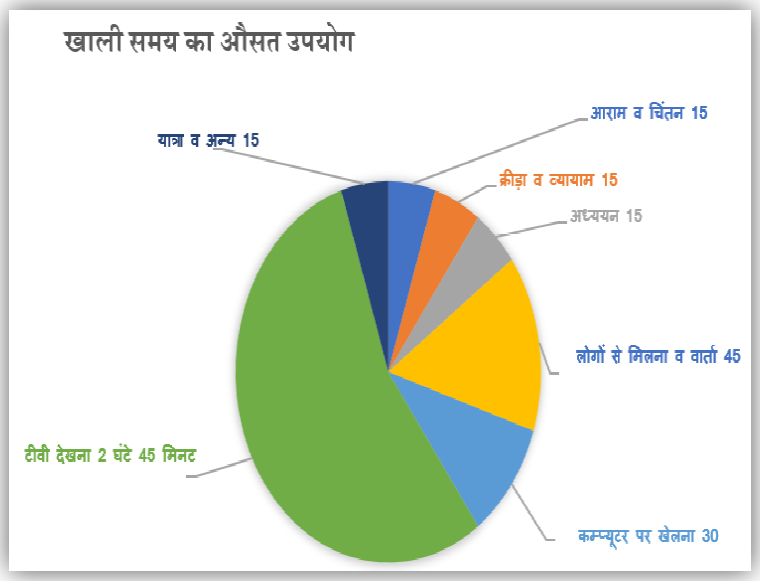

औसत उपयोग।

- आराम व चिंतन 15
- क्रीड़ा व व्यायाम 15
- अध्ययन 15
- लोगों से मिलना व वार्ता 45
- कम्प्यूटर पर खेलना 30
- टीवी देखना 2 घंटे 45 मिनट
- यात्रा व अन्य 15

मनोरंजन व खाली समय प्रबंधन का मुख्य आयाम आराम व जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना है।आजकल इंटरनेट, मोबाइल फोन पर उपलब्ध वट्सएप, फेसबुक व भिन्न-भिन्न प्रकार के इंटरनेट खेल युवा पीढ़ी को लत में घसीटती जा रही है। चित्र 12.2.3 के आयामों पर यदि पुनः विचार किया जाए तो आने वाले समय में इंटरनेट की लत ही अकेली ऐसा आयाम होगा जो ना केवल हमारे खाली समय अपितु हमारे काम-काज के समय को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा कारक होगी।

समय बर्बाद करने वाले व्यक्तित्व

- ***'ए' प्रकार के व्यक्तित्व***– ये देखने में अत्यधिक व्यस्त दिखते हैं किन्तु वास्तविकता कुछ और ही होती है। सदैव आतुर से दिखते हैं। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में ये कार्यों को जल्दबाजी में पूर्ण करते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण दूसरों से ईर्ष्या करने में समय गवाते हैं। अनको कार्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयास करते दिखते हैं। 'और सब साधे, सब जाए' कि कहावत सिद्ध करते हैं।
- ***कार्य-मादक व्यक्तित्व***– ये व्यक्ति घंटों-घंटों कार्य करने में संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जो कार्य आसान व कम समय में पूरे हो सकने वाले होते हैं उनको अधिक समय में व महत्वपूर्ण कार्यों को समय बीत जानें के बाद पूरा करने में समय गंवाते हैं।
- ***समय के बाजीगर व्यक्तित्व***–एक समय में अनको कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं उसी समय मोबाइल पर भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ नाश्ता भी हो रहा है ओर अपनी प्रजेंटेशन की फाइल भी साथ में देखी जा रही है। ऐसे लोग अकसर सारे काम एक साथ तो कर रहे होते हैं लेकिन अकसर किसी भी कार्य की समापन के निकट भी नहीं होते। ऐसे में ये अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा कर पाने से वंचित रह जाते हैं।
- ***टालमटोल वाले व्यक्तित्व***– ये ऐसे लोग होते हैं जो आज का कार्य कल पर टालने के बहाने बनाते रहते हैं। ये लोग अधिक महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देने के बजाए कम मुश्किल कार्य को पहले करने का प्रयास करते हैं। कार्य शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा करना उनके लिए महाभारत हो जाता है और ये कार्यों को अधूरा ही छोड़ देते हैं।
- ***पूर्णतावादी व्यक्तित्व***– ये ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो प्रत्येक कार्य में सौ प्रति शत तक की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं इन्हें अपने ही कार्यों में कभी पूर्णता का आभास नहीं हो पाता है और ये एक ही कार्य को करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं अब क्योंकि इनकी संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता अतः ये एक ही कार्य के पीछे समय नष्ट कर देते हैं।

- ***'हाँ जी' जीवनशैली वाले व्यक्तित्व***– ये ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो कभी किसी को ना नहीं कह पाते। अब क्योंकि ये किसी के भी कार्य को ना नहीं कहते अतः ये दूसरों की प्राथमिकता का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ये अपने कार्यों को नहीं कर पाते।

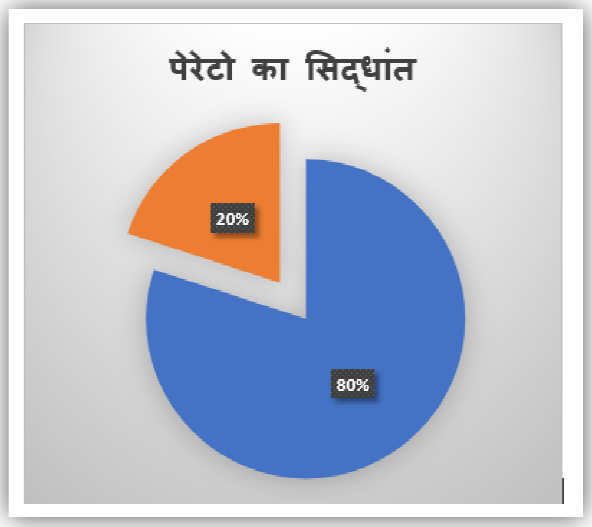

चित्र 12.2.4

आइए समझने का प्रयास करते है कि आखिरकार हम समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। समय के सदुपयोग को समझने के लिए निम्न वर्णित मॉडलों का अध्ययन करते हैं।

- ***पेरेटो का सिद्धांत (20-80 का सिद्धांत):***

  1906 में विल्फ्रेडपेरेटो नाम के इंगलैंड के नागरिक ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की खोज कि। उन्होंने अपने अवलोकन में पाया कि किसी भी देश की 80 प्रति शत भूमि केवल 20 प्रति शत उत्पाद प्रदान करती है। या फिर यदि देखें तो 80 प्रति शतउत्पाद केवल 20 प्रति शत भूमि से ही उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को सफल व्यक्तियों की मेहनत व सफलता के प्रति शत से भी आंका गया व पाया गया कि लोगों को 80 प्रति शत सफलता मात्र 20 प्रति शत की गई मेहनत का परिणाम होता है व 80 प्रति शत मेहनत के बाद भी लोग केवल 20 प्रति शत सफलता ही प्राप्त कर पाते हैं। अतः यहां विचार करने वाली बात यह है कि हमें अपने उन 20 प्रति-शत प्रयासों को पहचानना होगा जो हमें सफलता प्रदान करा सकते हैं। हमें अपने उन 80 प्रतिशत प्रयासों की पहचान भी करनी होगी जो व्यर्थ जा रहे हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी।

चित्र 12.2.5

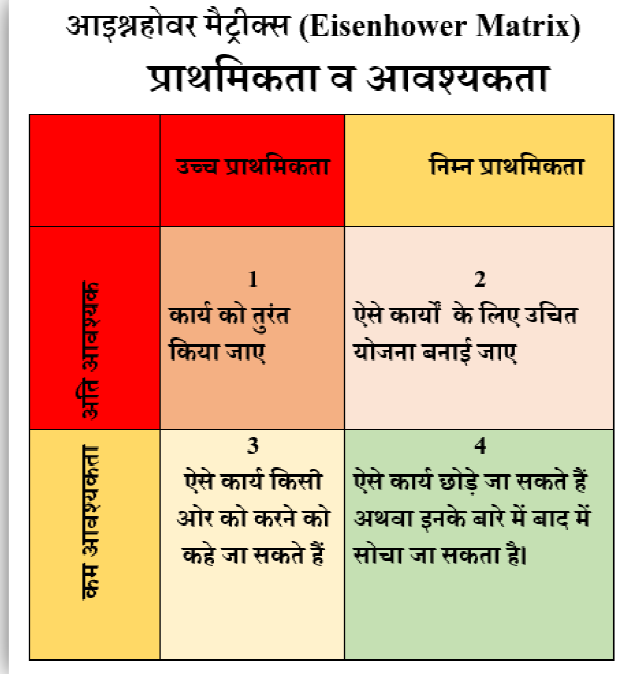

- ***आइश्नहोवरमैट्रीक्स:*** इस युक्ति के अनुसार हमें जो भी कार्य करने हैं उनकी एक सूची बना लें। चाहे जितने भी कार्य हों उनको कार्य की प्राथमिकता व कार्य की आवश्यकता के आधार पर निम्न ***आइश्नहोवर द्व□र□ सुझ□ई गई मैट्रीक्स*** के अनुसार जहाँ वो जिस खाने में सही बैठते हों वहाँ उन्हें अंकित करें। ऐसा करके हम सुगमता से निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा कार्य कब करना है। इस प्रकार हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे।

  हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो उचित है अथवा नहीं इसको जानने के लिए हम चित्र 12.2.6 में दर्शाए स्वॉट विश्लेषण के जरिए जाँच कर सकते हैं। सवॉट विश्लेषण , चित्र 12.2.6 में दर्शाए अंग्रेजी के शब्दों के प्रथम अक्षरों से बना है। इसके अनुसार यदि विश्लेषण किया जाए तो हम अपने लक्ष्य के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं।

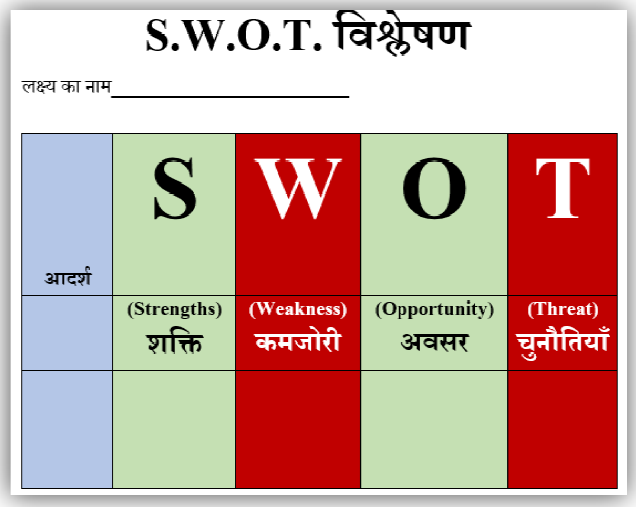

चित्र 12.2.

उदाहरण के तौर पर हम अपने लिए कोई भी लक्ष्य चुन लें, चित्र 12.2.6 के अनुसार उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या आदर्श योग्यताएं व परिस्थितियाँ आवश्यक हैं उन्हें आदर्श वाले कॉलम में लिख लें फिर उन आदर्शों को एक-एक कर अपने में देखें कि क्या ये आदर्श योग्यता या परिस्थिति आपमें है या नहीं यदि आदर्श योग्यता आपमें है तो उसे शक्ति वाले कॉलम में नहीं है तो कमजोरी वाले कॉलम में लिखें। इसी प्रकार यदि आदर्श परिस्थितियाँ आपके पास हैं तो अवसर हैं नहीं तो वो चुनौती हैं। अब इन सभी कॉलमों में अंकित की गई योग्यताओं व परिस्थितियों को जोड़ लें। यदि शक्ति से अधिक कमजोरी हैं और अवसर से अधिक चुनौतियों का योग है तो या तो हमें इन कमजोरियों व चुनौतियों को दूर करने के उपाय करने होंगे अथवा लक्ष्य बदलने में ही बुद्धिमानी होगी। अन्यथा हो सकता है कि हम सुगमता से ना पा सकने वाले अथवा दुर्लभ लक्ष्य की प्राप्ति में बहुमूल्य समय गंवा दें।

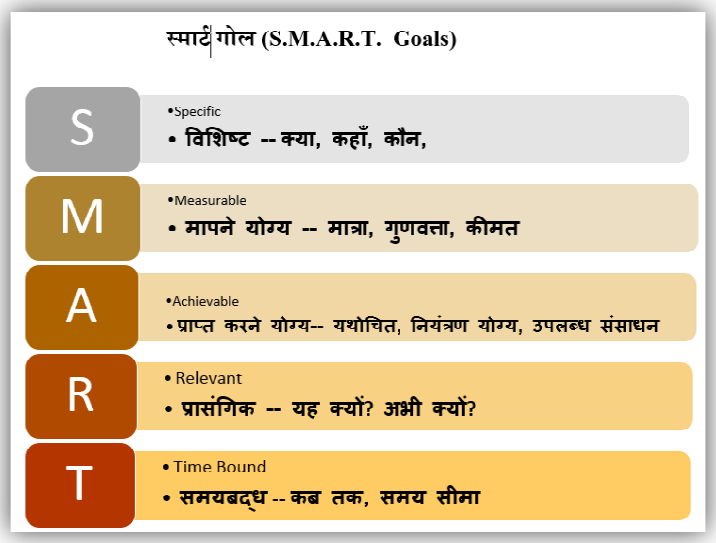

चित्र 12.2.7 स्मार्ट लक्ष्य

(S.M.A.R.T. Goal)

स्वॉट विश्लेषण के साथ-साथ चित्र 12.2.7 के अनुसार स्मार्ट (S.M.A.R.T.) लक्ष्य का निर्धारण कर लेना भी समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण साबित होता है। यहाँ पर भी स्मार्ट शब्द अंग्रेजी के पाँच शब्द क्रमशः Specific, Measurable, Achievable, Relevant तथा Time bound शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर बना है। इसके अनुसार प्राप्त कर सकने वाले वे लक्ष्य होते हैं जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त कर सकने योग्य, प्रासंगिक व समयबद्ध हों।

समय प्रबंधन की कुछ युक्तियाँ

- प्राथमिकता निर्धारित करें
- निर्धारित प्राथमिकताओं पर अडिग रहें
- टालमटोल से बचें
- गप्पें हाँकने से बचें
- भिन्न-भिन्न गतिविधियों में संतुलन बनाने का प्रयास करें
- अनावश्यक सामाजिकता से बचें
- स्वयं को संगठित रखें
- कार्यों का उचित विभाजन करें
- सदैव सम्पूर्णता व श्रेष्ठता की कामना ना करें
- दुसरों की योग्यता पर भी भरोसा करें
- अनावश्यक कुंठा से पार पाना सीखें
- कार्यों को सरल बनाएं
- जब आपको कुछ मना करना हो तो मना करना सीखें व मना करें
- कार्यों पर पुनः विचार करने व योजना बनाने के लिए भी समय रखें
- कार्य को करने से पहले विचार करें
- केवल आनंददायी गतिविधि में आवश्यकता से अधिक समय ना दें
- प्रतिदिन करने वाले कार्यों की लिखित सूची बनाएं

स्वमूल्यांकन प्रश्न – भाग 1

प्रश्न 1. जो एक समय में अनेक कार्यों को करने का प्रयास करते हैं उन्हें ____________ कहते हैं।

प्रश्न 2. स्वोट (SWOT) एनालिसिस में 'O' का अर्थ ____________ है।

प्रश्न 3. आइश्नहोवरमैट्रीक्सके अनुसार अति आवश्यक किन्तु निम्न प्राथमिकता वाले कार्य को ________________ करना चाहिए।

प्रश्न 4. स्मार्ट (SMART) लक्ष्य में 'T' किसको इंगित करता है?

7.4 सूक्ष्मकौशल प्रशिक्षण (सॉफ्ट स्किल्स)

जीवन में दक्षता हासिल करने के लिए हमें चित्र 12.4.1 में उदाहरण के रुप में दर्शाए प्रशिक्षणों की आवश्यकता होती है। अकसर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग इसी शिक्षण- प्रशिक्षण को समर्पित रहता है। शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण से हमें अपने कार्यक्षेत्र में दक्षता हासिल होती है। किन्तु एक सफल व प्रभावी विद्यार्थी अथवा व्यवसायी बनने लिए इस दक्षता के अतिरिक्त भी कौशल हैंजिनकी आवश्यकता होती है जिन्हें सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल या अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है।ये सूक्ष्म कौशल निम्नलिखित है।

चित्र – स्थूल प्रशिक्षण के कुछ उदाहरण

1. संप्रेषण कौशल
2. उचित समय में उचित निर्णय लेने की क्षमता
3. स्वअभीप्रेरणा
4. नेतृत्व कौशल
5. समूह में कार्य करने का कौशल
6. रचनात्मकता

7. समस्या समाधान कौशल
8. समय प्रबंधन
9. प्रतिबद्धता
10. विश्वसनीयता
11. प्रस्तुतिकरण कौशल
12. अंतर्व्यक्तिक कौशल
13. शिष्टाचार
14. क्रोध प्रबंधन
15. द्वंद्व प्रबंधन
16. तनाव प्रबंधन
17. अभिवृत्ति
18. मुखरता कौशल
19. भावनात्मक बौद्धिकता

चित्र : प्रमुख सूक्ष्म कौशल

इन समस्त सूक्ष्म कौशलों को वस्तुनिष्ठ अथवा मात्रात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता। किन्तु कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से इनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

7.5 सामाजिक कौशल प्रशिक्षण

सामाजिक प्रतिमान के अनुसार कोई भी विकलांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह ही समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सामाजिक उत्थान कि परिकल्पना किसी भी व्यक्ति-वर्ग का तिरस्कार करके नहीं की जा सकती। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी अहम भूमिका निभानी होती है। इस भूमिका को प्रभावशाली तरीके से निभाने के लिए सामाजिक कौशलों का होना आवश्यक है। इस इकाई के अंतिम भाग में हम उन सामाजिक कौशलों का अध्ययन करेंगे जो दृष्टिबाधित व्यक्ति को समाज का प्रभावशाली हिस्सा बनाती है

- ***सामाजिक कौशल की आवश्यकता***

- *बालक व अभिभावक - प्रथम सामाजिक अंत:क्रिया*
- *सामाजिक परिधि का विस्तार*
- *कक्षा में सामाजिक कौशल सीखना*
- *सामाजिक कौशल के रूप में स्व वकालत*

चित्र : सामाजिक कौशल की आवश्यकता

- *स्वजागरूकता का विकास*
- *सामाजिक कौशल व संतुष्टि*

सामाजिक कौशल जो सफल सामाजिक सूक्ष्म हेतु आवश्यक हैं।

1. ***ध्यानपूर्वक सुनना***: क्या आप आपसे वार्तालाप करने वाले की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं?
2. ***वार्ता आरम्भ करना***: क्या आप दूसरों से वार्ता करते हुए पहले सामान्य व बाद में जटिल विषयों को लेते हैं ?

3. ***प्रश्न पुछना***: क्या आप दूसरों से प्रश्न पूछने से पूर्व अपना प्रश्न निर्धारित कर लेते हैं?
4. ***धन्यवाद कहना***: क्या आप लोगों को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं?
5. ***स्वयं का परिचय देना***: क्या आप लोगों के पास जाकर स्वयं अपना परिचय देते हैं?
6. ***दूसरों का परिचय करवाना***: क्या आप अन्य लोगों का परिचय आपस में करवाते हैं?
7. ***बधाई देना***: क्या आप लोगों को बताते हैं कि आप उनकी किसी बात अथवा उनके किसी कार्य को पसंद करते हैं ?
8. ***सहायता मांगना***: जब आपको आवश्यकता होती है, क्या तब आप सहायता का आग्रह करते हैं?
9. ***क्षमा मांगना***: जब आपका दोष हो तो क्या आप क्षमायाचना करते हैं?
10. ***अपनी भावनाओं को जानना***: क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में सजग होते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं?
11. ***भावनाओं की अभिव्यक्ति***: क्या आप दूसरों के सामने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाते हैं?
12. ***दूसरों की भावनाओं को समझना***: क्या आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं?
13. ***दूसरों के क्रोध को समझना व नियंत्रित करना***: क्या आप दूसरों के क्रोध को समझ पाते हैं व उसे नियंत्रितकिरनें का प्रयास करते हैं?
14. ***स्नेह की अभिव्यक्ति***: क्या आप दूसरों को यह अहसास दिला पाते हैं कि आप उनका ख्याल रखते हैं?
15. ***भय को नियंत्रित करना***: क्या आप जानते हैं कि आप कब और क्यों डरते हैं, और उस भय को नियंत्रित करने के लिए कुछ करपाते हैं?
16. ***स्वयं को प्रोत्साहित करना***: जब आप स्वयं की तारीफ करने के हकदार होते हैं तो क्या स्वयं के लिए कुछ अच्छा करते हैं?
17. ***अनुमति मांगना***: क्या आप जानते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए आपको कब अनुमति मांगनी चाहिए, और अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
18. ***आपस में बाँटना***: क्या आप उन लोगों के साथ चीजों को बाँटते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है तथा जो उसे चाहते हैं ?
19. ***दूसरों की मदद करना***: दूसरों जब आवश्यकता होती है और जब वे माँगते हैं तोक्या आप उनकी मदद करते हैं?
20. ***बातचीत से सहमति बनाना***: आपसे भिन्न राय रखने वालोंको रजामंद करनें के लिए तथा सभी की बातों को महत्व देते हुए संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए क्या आप ऐसी

योजना बना लेते हैं जिसमें आपके विचार से अलग राय रखने वाले आप आपकी बातों से व आप उनकी बातों से संतुष्ट हो जाएं?

21. ***दूसरों के साथ टकराव से दूर रहना:*** क्या आप दूसरों से संभावित टकराव की परिस्थितियों से दूर रहते हैं?
22. ***अकेलेपन का सामना करना:*** क्या आप अकेलेपन की स्थिति में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो?
23. ***प्रोत्साहन का उत्तर देना:*** क्या आप दूसरों के प्रोत्साहित करने वाले विचारों की तुलना अपने विचारों से कर पाते हैं, जिससे कि आप निर्णय ले सकें कि आपको क्या करना है?
24. ***किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना:*** किसी कार्य को आरम्भ करने से पहले क्या आप उसके लिए ध्यानपूर्वक तैयारी कर पाते हैं ?
25. ***अपने से अलग उम्र के लोगों से समन्वय करना:*** क्या आप अपने से उम्र में छोटे अथवा बड़े से समन्वय स्थापित कर पाते हैं?

स्वमूल्यांकन उत्तर- भाग 1

उ0 1. समय के बाजीगर

उ0 2. Opportunity अवसर

उ0 3. उचित योजना बनानी चाहिए

उ0 4. Time (समय) को

7.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने अध्ययन किया कि जब हम खाली होते हैं तथा हमारे पास उस समय करने को कोई निर्धारित कार्य नहीं होता। ऐसे समय का अपना एक महत्व होता है तथा इस खाली समय का यदि उचित प्रबंधन कर लिया जाए तो इससे हम अपने व्यक्तित्व विकास में लाभ उठा सकते हैं। समय एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको प्रकृति ने सभी को एक ही अनुपात में वितरित किया है। एक सफल व प्रभावी विद्यार्थी अथवा व्यवसायी बनने लिए दक्षता के अतिरिक्त भी कौशल हैं जिनकी आवश्यकता होती है जिन्हें सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म कौशल या अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान के अनुसार कोई भी विकलांग व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह ही समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सामाजिक उत्थान कि परिकल्पना किसी भी व्यक्ति-वर्ग

का तिरस्कार करके नहीं की जा सकती। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी अहम भूमिका निभानी होती है। इस भूमिका को प्रभावशाली तरीके से निभाने के लिए सामाजिक कौशलों का होना आवश्यक है।

सन्दर्भ

- Carroll, T. J. (1961). *Blindness: What is it is, what it does and how to live with it*. Boston: Little, Brown.
- Carroll, T. J., Muldoon, J. F., & Furlong, T. F. (1990). *Essays on blindness rehabilitation in honor of Thomas J. Carroll: A festschrift*. New York: American Foundation for the Blind.
- Dalmia, A. M., & Mittal, A. K. (Eds.). (2015). *Visual Disability - A resource book for teachers*. Dehradun, Uttarakhand: NIVH.
- Romas, J. A., & Sharma, M. (2017). *Practical Stress Management: A Comprehensive Workbook*. Saint Louis: Elsevier Science.
- Sacks, S. (2017). Developing Social Skills in Children Who Are Blind or Visually Impaired | Perkins eLearning. Retrieved from http://www.perkinselearning.org/videos/webcast/developing-social-skills-children-who-are-blind-or-visually-impaired
- Soft Skills Training. (n.d.). Retrieved from http://www.executivecoachingindia.com/dehradun/soft-skills-training-dehradun.html
- दृष्टिबाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान. (1984). *माता पिता और नेत्रहीन बालक.* देहरादून, उत्तराखण्ड: लेखक.

7.8 निबन्धात्मक प्रश्न

1. खाली समय का हम कैसे प्रबंध कर सकते हैं?
2. सूक्ष्म कौशल से आप क्या समझते हैं| समझाइए?